भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

संघ सरकार

1995 की संख्या 17 (वाणिज्यिक)

CAG
351.7232R
N5;3

भारतीय खाद्य निगम

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

संघ सरकार

1995 की संख्या 17 (वाणिज्यिक)

भारतीय खाद्य निगम

PARLIAMENT LIBRARY
Central Govts. Publications
Acc. No DC 9410(4)
Date 23/4/96

CAG
351.7232R
N5;3

विषय सूची

		पृष्ठ
	प्रस्तावना	iii
	विहंगावलोकन	iv
1.	संगठन और कार्य	1
2.	खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति	4
3.	भण्डारण प्रबन्धन	14
4.	भण्डारण हानियां	25
5.	मार्गस्थ हानियां	35
6.	निर्माण कार्य प्रबन्धन	41
7.	रेलवे साइडिंग	50
8.	विलम्ब शुल्क	57
9.	लेवी और आयातित चीनी का वितरण	61
10.	आन्तरिक लेखापरीक्षा	69
11.	आधुनिक चावल मिलें	73
12.	आर्थिक सहायता	78
13.	ध्यान देने योग्य अन्य विषय	84
	अनुबन्ध	89

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, संघ सरकार, 1995 की संख्या 1 (वाणिज्यिक) में प्रस्तावनात्मक टिप्पणी की ओर ध्यान दिलाया जाता है जहां पर यह उल्लेख किया गया था कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनियों/निगमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा अलग प्रतिवेदनों में प्रस्तुत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में भारतीय खाद्य निगम के कार्याचालन की समीक्षा शामिल की जाती है।

विहंगावलोकन

I. भारतीय खाद्य निगम (भा.खा.नि.) की स्थापना जनवरी 1965 में हुई। भा.खा.नि. के क्रिया कलाप अनाजों की खरीद, भण्डारण, संचलन, वितरण तथा बिक्री और बफर स्टाक के निर्माण तक सीमित थी।

(पैरा 1.1 और 1.3)

II. भा.खा.नि. को 1986-87 से 1992-93 तक निरन्तर हानि हुई और 1993-94 में 9.21 लाख रु. का अल्प लाभ हुआ। 1993-94 तक संचित हानि 22.63 करोड़ रु. थी।

(पैरा 1.4)

III. भा.खा.नि. खाद्य मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रहा था। 1993-94 के दौरान भा.खा.नि. बिक्री, पारगमन कमी, भेदय स्थानों पर भण्डारण और संचयन में असफल रहा। समग्र ग्रेडिंग "अति उत्तम" था।

(पैरा 1.12)

IV. 1992-93 और 1993-94 के दौरान अनाजों की खरीद क्रमशः 18.14 मिलियन टन और 24.70 मिलियन टन हुई

(पैरा 2.2)

V. पिछले चार वर्षों में मूल्य की अधिप्राप्ति और लागतों की अधिप्राप्ति में तेजी से वृद्धि हुई।

(पैरा 2.5)

VI. यदि अधिप्राप्ति लागतों पर नियंत्रण रखा जाता और राज्य सरकार को प्रदत्त प्रभारों को उनके बकाया तक सीमित रखा जाता तो आर्थिक सहायता कम की जा सकती थी। 1986-87 और 1992-93 की अवधि के बीच राज्य सरकारों को जो 258.36 करोड़ रु. का भुगतान किया गया उसमें औचित्य का अभाव था और इसका परिहार्य किया जा सकता था, इससे इस अवधि के लिए उसी सीमा तक सरकार पर आर्थिक सहायता का बोझ कम हो जाता। इनमें ब्याज का भुगतान, स्थापना प्रभार, भंडारण, सुविधाओं आदि का अपर्याप्त प्रयोग शामिल था।

(पैरा 2.6 (i) से (xv))

VII. बाजार में पहुंचने की प्रतिशतता के रूप में भा.खा.नि. की कुल अधिप्राप्ति नीचे रही जिससे यह संकेत मिलता है कि आन्तरिक विशेषज्ञता का कम उपयोग हुआ। राज्य एजेन्सियों की तुलना में भा.खा.नि. का निष्पादन खराब रहा।

(पैरा 2.8 व 2.9)

VIII. भा.खा.नि. दो मौसमों में अनाज प्राप्त करता है किन्तु इसने अधिप्राप्त मात्रा के अनुपात में भण्डारण क्षमता का संबंध नहीं रखा। इसके परिणामस्वरूप भण्डारण क्षमता अप्रयुक्त रही। मार्च 1994 के अन्त तक 1704 गोदामों में से 424 के संबंध में 50% कम उपयोग हुआ। मार्च 1991 से 52 स्थलों पर आपेन क्षमता का बिल्कुल उपयोग नहीं हुआ। 1993-94 को समाप्त गत तीन वर्षों के लिए निष्क्रिय क्षमता की लागत 417.15 करोड़ रु. थी।

(पैरा 3.1, 3.7, 3.15 व 3.20)

IX. फालतू क्षमता का पता लगाने की प्रणाली अपर्याप्त है। विद्यमान गोदामों में पर्याप्त रिक्त स्थान उपलब्ध होने के बावजूद भा.खा.नि. ने भंडारण क्षमता किराये पर लिया। क्षमता किराये पर लेता रहा और किराया पर ली गई फालतू क्षमता को किराया मुक्त करने में विलम्ब भी किया।

(पैरा 3.11 से 3.18)

X. वर्ष 1993-94 को समाप्त 4 वर्षों के लिए भंडारण और पारगमन हानि 813.21 करोड़ रु. थी। इसमें भण्डारण के दौरान कोटि में गिरावट के कारण हानि शामिल नहीं है।

(पैरा 4.1)

XI. भा.खा.नि. द्वारा 401 डिपुओं में निर्धारित मानक से अधिक भंडारण हानियां 46.18 करोड़ रु. थी।

(पैरा 4.7)

XII. अवमानक स्टाक को बेचने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब और उसके बाद वास्तव में बेचे जाने में विलम्ब के फलस्वरूप 1990-91 से 1992-93 तक 32.42 करोड़ रु. की हानि हुई।

(पैरा 4.14)

XIII. भा.खा.नि. द्वारा निर्धारित मानक से अधिक पारगमन हानियां दर्शाने वाले डिपुओं की संख्या बढ़ती जा रही है किन्तु भा.खा.नि. ने इस समस्या को कम करने की पर्याप्त कारवाई नहीं की है। 31 मार्च 1993 को समाप्त दो वर्षों के दौरान इस कारण हानि चावल और गेहूं के संबंध में 169.06 करोड़ रु. थी।

(पैरा 5.5)

XIV. एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अनाजों को भेजने के दौरान 31 मार्च 1994 को समाप्त 4 वर्षों के दौरान 8 मामलों में 16.26 करोड़ रु. की पारगमन हानि हुई। 1992 के दौरान आघात संभाल के समय 1.52 करोड़ रु. के आनाजों की कमी ध्यान में आई। इसी प्रकार पांडु पत्तन पर तटवर्ती पारगमन में 1987 से 1991 के दौरान 1.05 करोड़ रु. की हानि हुई।

(पैरा 5.6, 5.7 व 5.8)

XV. 31.3.1994 को अविनियमित कमियां 774.04 करोड़ रु. थी। कमियों के विनियमन में विलमब के कारण भारत सरकार से उनकी वसूली में विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरुप प्रतिवर्ष 119.98 करोड़ रु. के ब्याज की हानि हुई।

(पैरा 5.11)

XVI. 27 स्थानों पर गोदामों के निर्माण और पूरा करने में 6 महीने से 7 वर्षों का विलम्ब हुआ।

(पैरा 6.5)

XVII. पहले पूरी की गई 2.59 लाख मी टन की क्षमता 31 मार्च 1994 तक खाली पड़ी थी। इसमें 1985-86 में पूरी की गई क्षमता शामिल है।

(पैरा 6.6)

XVIII. VIII वीं योजना की अवधि के दौरान पूरी की गई क्षमता की प्रति टन वास्तविक निर्माण लागत VIIIवीं योजना के लिए निर्माण की अनुमानित लागत से अधिक रही है।

(पैरा 6.7)

XIX. अनेक स्थानों पर भा.खा.नि. ने गोदामों के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया किन्तु निर्माण कार्यक्रम नहीं बनाया गया। 9 मामलों में 1.65 करोड़ रु. की लागत से भूमि खरीदी गई थी किन्तु गोदामों का निर्माण न होने के कारण भा.खा.नि. को किराया और बवरुद्ध पूंजी पर ब्याज के कारण 3.90 करोड़ रु. की हानि हुई।

(पैरा 6.11)

XX. 105.20 करोड़ रु. की लागत से निर्मित 124 रेलवे साइडिंग का अनुरक्षण भा.खा.नि. द्वारा किया जाता है। इनमें से पांच साइडिंग परिचालित नहीं किए गए, दो का प्रयोग नहीं किया गया और 22 का जनवरी 1991 और जुलाई 1994 के बीच सीमान्त उपयोग किया गया।

(पैरा 7.1 व 7.4)

XXI. रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए स्थल के बारे में अन्तिम निर्णय के अभाव में रेलवे के पास 13.65 करोड़ रु. की जमा राशि गत 6 वर्षों से पड़ी रही।

(पैरा 7.12)

XXII. भा.खा.नि. द्वारा रेलवे को प्रदत्त विलम्ब शुल्क पर व्यय 1989-90 में 9.89 करोड़ रु. से बढ़कर 1993-94 में 21.05 करोड़ रु. हो गया। 31 मार्च 1994 को समाप्त 5 वर्षों के दौरान 123.71 करोड़ रु. विलम्ब शुल्क का भुगतान किया गया।

(पैरा 8.2 व 8.3)

XXIII. 13 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में लेवी और आयातित चीनी के वितरण में भा.खा.नि. को 31 मार्च 1994 को समाप्त गत 5 वर्षों के दौरान 475.80 करोड़ रु. की निवल हानि हुई।

(पैरा 9.1 व 9.2)

XXIV. भा.खा.नि. के मानक के अनुसार चीनी के लिए हानि अनुमत नहीं है। फिर भी 31 मार्च 1994 को समाप्त गत चार वर्षों के दौरान भा.खा.नि. द्वारा 11.12 करोड़ रु. की हानि स्वीकार की गई।

(पैरा 9.5)

XXV. सी डब्ल्यू सी और एस डब्ल्यू सी की तुलना में भा.खा.नि. का प्रति क्विंटल भण्डारण प्रभार अधिक था जिसमें भा.खा.नि. द्वारा भण्डारण प्रभारों में कटौती की गुंजाइश थी।

(पैरा 9.11)

XXVI. आधुनिक मिलिंग तकनीक को लोकप्रिय बनाने तथा चावल के उत्पादन को 8 से 10% बढ़ाने के लिए भा.खा.नि. ने 4.83 करोड़ रु. की लागत पर 1977 तक 25 आधुनिक चावल मिले स्थापित की। पूर्वी क्षेत्र में स्थित मिलों के संबंध में मिलों की परिचालन क्षमता 3 से 4 मी. टन प्रति घंटा से कम करके 1.2 से 1.9 मी.टन प्रति घंटा कर दी गई।

(पैरा 11.1 व 11.2)

XXVII. अक्तूबर 1995 तक भा.खा.नि. ने बेचने के लिए पता लगाए गए 13 मिलों में से 9 मिलों की मशीनरी बेच दी। शेष 12 मिलों की औसत उपयोग क्षमता 1993-94 में मात्र 4.4% थी। मिलिंग की प्रति मी.टन औसत लागत 2703.33 रु. प्रति टन थी जबकि भा.खा.नि. द्वारा प्राइवेट मिल मालिकों को 90 रु. प्रति मी. टन की दर पर भुगतान किया जाता था।

(पैरा 11.4, 11.5 व 11.8)

XXVIII. उनके निष्पादन को ध्यान में रखते हुए भा.खा.नि. ने शेष सभी मिलों की मशीनरी को बेचने का निर्णय किया। तथापि अभी तक कोई कारवाई नहीं की गई। इसी बीच भा.खा.नि. को गत दस वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा इन मिलों पर 15.21 करोड़ रु. आर्थिक सहायता का भुगतान किया गया।

(पैरा 11.13)

XXIX. ग्राहक आर्थिक सहायता जो 1970-71 में 7 करोड़ रु. थी, बढ़कर 1993-94 में 3175 करोड़ रु. हो गई। इसके अतिरिक्त 1993-94 में बफर स्टाक के अनुरक्षण के लिए ढुलाई प्रभार के रूप में भा.खा.नि. को 1245 करोड़ रु. का भुगतान किया गया।

(पैरा 12.1 व 1.8)

xxx. बी आई सी पी ने गेंहू और चावल के वितरण के लिए मानक लागत निर्धारित किया। भा.खा.नि. द्वारा वास्तविक लागत काफी अधिक थी। 1993-94 में गेंहू के लिए 64 रु. प्रति क्विंटल और चावल के लिए 70.60 रु. प्रति क्विंटल मानक के प्रति भा.खा.नि. ने गेंहू ओर चावल के लिए वितरण लागत पर क्रमशः 117.44 रु. और 124.45 रु. प्रति क्विंटल व्यय किया और दावा किया।

(पैरा 12.14)

1. संगठन और कार्य

1.1 निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसद के अधिनियम द्वारा जनवरी 1965 में भारतीय खाद्य निगम (भा.खा.नि.) का गठन किया गया:-

i) यह सुनिश्चित करना कि अनुमानित व्यापार की लहर से ग्राहक को बचाने के लिए समय समय पर घोषित न्यूनतम मूल्य मूल उत्पादक प्राप्त कर रहा है।

ii) एक मान्य स्तर पर खाद्य वस्तुओं में राज्य व्यापार करना तथा बफर स्टाक बढ़ाना।

iii) स्वयं को मूलतः खाद्य वस्तुओं और खाद्यान्नों की खरीद, भण्डारण, संचलन, वितरण और बिक्री में लगाए रखना।

iv) देश के खाद्यान्नों के व्यापार में युक्ति संगत और कमाण्डिग स्थिति प्राप्त करना।

भा.खा.नि. उत्पादक और उपभोक्ता के बीच सेतु का काम करता है और देश में वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

1.2 भा.खा.नि. का प्रबन्ध एक निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, एक प्रबन्ध निदेशक और 10 निदेशक होते हैं। निगम की कुल स्टाफ संख्या जो प्रारम्भ में 2150 थी 31 मार्च 1994 को बढ़कर 65,931 हो गई। वर्ष 1993-94 के लिए मजदूरी बिल की राशि 512.30 करोड़ रु. थी, प्रति कर्मचारी प्रतिमाह लागत 6475 रु. थी। इसके अतिरिक्त 17229 विभागीय श्रमिक थे जिनकी मजदूरी वर्ष के दौरान 95.42 करोड़ रु. थी। संगठनात्मक ढांचा अनुबन्ध I में दिया गया है।

1.3 भा.खा.नि. की प्रदत्त पूंजी जो प्रारंभ में 4.00 करोड़ रु. थी, मार्च 1994 के अन्त में बढ़कर 969.98 करोड़ रु. हो गई। बफर स्टाक धारण के लिए निधि की आवश्यकता आंशिक रुप से पूरी करने के लिए भारत सरकार ने 280 करोड़ रु. नकद इक्विटी और 1200 करोड़ रु. का शाफ्ट लोन उपलब्ध कराया। मार्च 1994 के अन्त में बैंकों से 9052.49 करोड़ रु. उधार लिया गया था।

1.4 1986-87 से 1992-93 तक भा.खा.नि. को निरन्तर हानि हुई और 1993-94 में 9.29 लाख रु. का नगण्य लाभ हुआ। 1993-94 तक संचित हानि 2263 लाख रु. थी।

1.5 भा.खा.नि. राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों के साथ मिलकर केन्द्रीय पूल के लिए गेंहू, धान और चावल अधिप्राप्त करता है। धान और गेंहू की अधिप्राप्त प्राइस स्पोर्ट स्कीम के अन्तर्गत की जाती है। चावल की अधिप्राप्ति राज्य सरकारों द्वारा जारी उद्ग्रहण आदेशों के अनुसार की जाती है। जब कभी परिस्थितियों से इस बात का औचित्य हो तो खाद्यान्नों का आयात और निर्यात भी किया जाता है। 1.4.1990 से भा.खा.नि. को घटिया किस्म के अनाजों की अधिप्राप्ति के लिए नोडल एजेंसी भी बनाया गया है।

1.6 भा.खा.नि. पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सा वि प्र) और इन्टीग्रेटिड ट्राइबल डेवलपमैंट प्रोग्राम और जवाहर रोजगार योजना जैसी कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत वचनबद्धता को पूरा करने और बफर स्टाक के रखरखाव के लिए खाद्यान्नों का स्टाक धारण करता है। जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत जारी करने के लिए खाद्यान्नों की चार महीने की आवश्यकता को प्रचालनात्मक स्टाक के रूप में उद्दिष्ट किया जाता है, शेष को बफर स्टाक के रूप में माना जाता है।

निगम भी विभिन्न चीनी मिलों से लेवी की चीनी लेता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए आबंटन के प्रति राज्यों को इसे भेजता है।

1.7 खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति और इनकी निर्गम कीमतें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। लेवी के चावल की अधिप्राप्ति दरों में एक से दूसरे राज्य में अन्तर होता है।

1.8 आर्थिक लागत में अनाज की पूल लागत खरीद से सम्बन्धित अन्य खर्चे, राज्य सरकारों और एजेंसियों को प्रदत्त अग्रनयन प्रभारों और वितरण लागत शामिल होते हैं। "आर्थिक लागत" और बिक्री वसूली के बीच अन्तर आर्थिक सहायता का द्योतक है। 1992-93 और 1993-94 में प्रति क्विंटल आर्थिक सहायता की दरें गेंहू के लिए क्रमशः 224.74 रु. और 176.15 रु. तथा चावल के लिए क्रमशः 142.87 रु. और 164.68 रु. थे। कुल आर्थिक सहायता में 1970-71 में प्रतिवर्ष 7 करोड़ रु. से 1993-94 में 3175 करोड़ रु. तक वृद्धि हुई।

1993-94 की आर्थिक सहायता में कमियों के नियमन पर सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य अनाज की कमियों के कारण 159 करोड़ रु. शामिल हैं। कमियों में चोरी, अग्नि, दुर्विनियोजन और खाद्यान्नों की अब खरीद के कारण हुई हानि शामिल थी। सरकार बफर स्टाक की लागत को भी पूरा करती है। पिछले दो वर्षों में इसके कारण व्यय क्रमशः 450.69 करोड़ रु. और 1245.34 करोड़ रु. था।

1.9 निगम द्वारा भेजे गए खाद्यान्नों की प्रमात्रा 1991-92 में 186.60 लाख टन, 1992-93 में 189.00 लाख टन और 1993-94 में 191.60 लाख टन थी। निगम सामान्यतया अधिक स्टाक वाले राज्यों से घाटे के स्टाक वाले राज्यों को स्टाक का परिवहन करता है। जबकि अधिकतर स्टाक रेलवे द्वारा भेजा जाता है फिर भी स्टाक सड़क और नदी जहां कहीं आवश्यक हो, द्वारा भी भेजे जाते हैं। कुल परिवहन लागत 1991-92 में 696.89 करोड़ रु. से बढ़कर 1993-94 में 1027.43 करोड़ रु. हो गयी थी।

1.10 संचरण और गोदामों (खुले भंडारण सहित) में भंडारण के दौरान खाद्यान्न में कमियों का मूल्य 1991-92 में 219.70 करोड़ रु., 1992-93 में 223.33 करोड़ रु. और 1993-94 में 214.20 करोड़ रु. था। निगम को खाद्यान्नों की क्षति/उनके खपत होने के कारण भी हानि हुई थी जो 1991-92 में 22 लाख रु. और 1993-94 में 724 लाख रु. तक थी। तथापि 1992-93 में 102 लाख रु. का लाभ हुआ था।

1.11 बाजार कीमतों को स्थिर करने और बाजार में स्टाकों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए निगम खुली बिक्री, जब कभी केन्द्र सरकार द्वारा निदेश दिया जाता है, का सहारा लेता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत किया गया निर्गम क्रमश: 10.15 लाख टन, 0.50 लाख टन और 29.79 लाख टन था। 1993-94 में खुली बिक्री के परिणामस्वरूप तकरीबन 160 करोड़ रु. तक आर्थिक सहायता में कमी आई थी।

1.12 1993-94 वर्ष के लिए खाद्य मंत्रालय के साथ निगम द्वारा हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन (स.ज्ञा) में निर्धारित लक्ष्यों पर समग्र निष्पादन को लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार "बहुत अच्छा" के रूप में स्वीकृत किया गया था। तथापि भा.खा.नि. बिक्री, मार्गस्थ कमियों, सुरक्षित स्थानों में स्टेकिंग और रेल/सड़क द्वारा स्टाकों के संचरण के सम्बन्ध में स.ज्ञा. में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा था।

1.13 इस समीक्षा में अधिप्राप्ति, भंडारण और मार्गस्थ हानियों, भंडारण और निर्माण प्रबन्धन, रेलवे साइडिंग की दक्षता, विलम्ब शुल्क के भुगतान, चीनी वितरण की दक्षता, आधुनिक चावल मिलों की दक्षता और आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता सम्बन्धी मामलों पर चर्चा की गयी है। शामिल की गयी अवधि 1993-94 तक की है।

2. खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति

2.1 अनाज सुरक्षा में अभाव और कमी की परिस्थितियों में अनाज की किफायती प्रबन्ध शामिल होता है। यह वह क्षमता होती है जिससे वर्षानुवर्ष आधार पर लक्ष्य खपत स्तरों को पूरा करना होता है। बदले में यह प्रारम्भिक उत्पादकों से दक्षतापूर्वक अधिप्राप्ति, बफर स्टाकों से रखरखाव और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सा.वि.प्र.) के प्रबन्धन पर आधारित होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली समाज के असुरक्षित वर्गों के खपत प्रतिमान को पूरा करता है।

2.2 पिछले 4 वर्षों में भा.खा.नि. ने रबी और खरीफ मौसम के दौरान निम्नलिखित मात्रा की अधिप्राप्ति की और बफर स्टाक रखा था:-

(आंकड़े लाख टन में)

वर्ष	रबी	खरीफ	वर्ष के अन्त में बफर स्टाक
1990-91	102.16	118.16	74.95
1991-92	84.94	93.80	55.80
1992-93	66.85	114.51	43.48
1993-94	115.29	131.75	106.29

2.3 वांछित अधिप्राप्ति स्तर प्राप्त करने के लिए भारत सरकार गेहूं और विभिन्न किस्म के चावल के लिए अधिप्राप्ति कीमत निर्धारित करती है। 1990-91 और 1993-94 के बीच अधिप्राप्ति कीमतें निम्नानुसार थीं:-

(प्रति क्विंटल रु.)

	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
गेहूं	215	225	275	330
धान	225	250	290	350
चावल	393.80	444.80	514.10	620.90

2.4 अधिप्राप्ति लागतों (अधिप्राप्ति कीमतों को छोड़कर) में प्रत्यक्ष प्रभार, स्थापना, भंडारण एवं ब्याज प्रभार, जो राज्य सरकारों और एजेंसियों को भा.खा.नि. की ओर से उनके द्वारा की गयी अधिप्राप्ति के लिए राज्य सरकारों और एजेंसियों को प्रतिपूर्ति किये गये थे, शामिल होते हैं। 1990-91 से गेहूं, धान और चावल के लिए अधिप्राप्ति लागतों का सारांश नीचे दिया गया है:-

(प्रति क्विंटल रु.)

	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
गेहूं	54.50	68.95	73.05	73.04
धान	43.86	55.03	49.36	71.97
चावल	23.66	26.33	27.07	30.85

2.5 पिछले चार वर्षों में गेहूं, धान और चावल की अधिप्राप्ति कीमतों में क्रमशः 53%, 56% और 58% तक और अधिप्राप्ति लागतों (अधिप्राप्ति कीमत को छोड़कर) में गेहूं के मामले में 34% धान के मामले में 64% और चावल के सम्बन्ध में 30% तक वृद्धि हुई है। चूंकि निर्गम कीमतों में 1992-93 तक समानुपातिक रूप से वृद्धि नहीं की गयी थी इसलिए इसके कारण आर्थिक सहायता में वृद्धि हुई। तथापि 1993-94 वर्ष में निर्गम कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप आर्थिक सहायता में कमी हुई थी।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 1995) कि डीजल/पैट्रोल कीमतों में अत्यधिक वृद्धि और सामान्य मुद्रास्फीति के अलावा बढ़ती ब्याज दरों के कारण अधिप्राप्ति लागतों में वृद्धि हुई थी।

2.6 यदि जांच में नियंत्रण योग्य लागतों को अपनाया गया होता और राज्य सरकारों को प्रदत्त प्रभारों को देय प्रभारों तक सीमित कर दिया गया होता तो आर्थिक सहायता में कमी की जा सकती थी।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 1995) कि

क) पंजाब और हरियाणा जहां अधिकतम अधिप्राप्ति की जाती है, में अधिप्राप्ति का अधिकांश भाग राज्य सरकार और उनकी एजेंसियों द्वारा किया गया होता है क्योंकि भा.खा.नि. की अवसंरचना समस्त भार नहीं उठा सकती,

ख) भारत सरकार ने भा.खा.नि. और राज्य सरकारों द्वारा किए गए आकस्मिक प्रभारों की समीक्षा की थी, और

ग) सरकार द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने कि वास्तविक खर्चों की राज्य सरकार/एजेंसियों को प्रतिपूर्ति की जाती है ताकि अधिप्राप्ति प्रचालनों को हानि न हो, के लिए भी उचित ध्यान दिया जाता है।

तथापि ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां लागतों पर नियंत्रण रखने के लिए पर्याप्त स्रोत है जैसा नीचे दिया गया है:-

i) भा.खा.नि. राज्य सरकारों और इनकी एजेंसियों को अधिप्राप्ति पर व्यय की प्रतिपूर्ति करता है जिसमें अनाजों की लागत, मंडी प्रभार, खरीद कर, मंडी श्रम प्रभार, आंतरिक संचरण की लागत, भंडारण प्रभार, अग्रेषण प्रभार और स्थापना प्रभार शामिल हैं। भा खा नि अग्रेषण प्रभारों और स्थापना प्रभारों, जो औसत भंडारण अवधि तथा गोदामों के अग्रिम किराए को शामिल करने के लिए 15 दिनों के लिए थे, को छोड़कर उपरोक्त सभी पर परिकलित ब्याज की भी प्रतिपूर्ति करता है। अतिरिक्त 15 दिनों के लिए ब्याज का औचित्य मात्र भंडारण प्रभारों पर होता है क्योंकि केवल ये ही इस अविध के लिए रोककर रखे जाते हैं। पंजाब सरकार को परिणामी अतिरिक्त भुगतान 1988-89 और 1991-92 के दौरान 1782 लाख रुपए और 1992-93 के दौरान 481लाख रुपए बनता था।

इसी प्रकार हरियाणा सरकार को अधिक भुगतान 1990-91 और 1991-92 में क्रमशः 289 लाख रुपए और 303 लाख रुपए बनते थे ।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 1995) कि निधियों की पूर्वस्थिति बनाए रखने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त ब्याज अनुमत किया गया था। तथापि यह इस बात पर सहमत था कि भविष्य में ब्याज/भंडारण प्रभारों को वास्तविक सीमा तक कम कर दिया जाएगा ।

(ii) पंजाब से गेहूं की अधिप्राप्ति के मामले में भा खा नि ने उस मात्रा,जो राज्य गोदामों से प्रेषित किए गए थे,को गलत ढंग से शामिल करके 67 दिनों की बजाय 87 दिनों की औसत भंडारण अवधि निकाली थी। परिणामी रुप से भा खा नि ने पंजाब सरकार को 1112.72 लाख रुपए का अधिक भुगतान किया जिसमें 248.85 लाख रुपए के अधिक भंडारण प्रभार और 863.87 लाख रुपए के अधिक ब्याज प्रभार शामिल थे।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 1995) कि भंडारण प्रभार सही ढंग से निकाले गए थे और इसलिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया गया था। तथापि लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि औसत भंडारण अवधि निकालने के लिए राज्य सरकार ने अधिप्राप्ति अवधि अर्थात् अप्रैल से जून 1991 के दौरान कोई भी मात्रा भा खा नि को सौंपी गयी नहीं दर्शायी थी जबकि एम आई एस रिपोर्टों के अनुसार उसी अवधि के दौरान भा खा नि द्वारा पर्याप्त मात्रा को ग्रहण किया गया दर्शाया गया था।

(iii) पंजाब राज्य सरकार और इसकी एजेंसियों ने अप्रैल में 12.48 लाख मी.टन, मई में 22.39 लाख मी.टन और जून 1991 में 0.68 लाख मी टन गेहूं की अधिप्राप्ति की थी। इसमें से भा.खा.नि. द्वारा इन महीनों के दौरान मात्र 4.91 लाख मी.टन, 3.79 लाख मी.टन और 1.31 लाख मी.टन स्वीकार किया गया था जबकि इसकी 22.18 लाख मी टन की अपनी पर्याप्त भंडारण क्षमता थी। यदि भा.खा.नि. ने अप्रैल, मई और जून के

दौरान अपेक्षित मात्राएं स्वीकार कर के उपलब्ध भंडारण क्षमता का उपयोग किया होता तो आकस्मिक प्रभारों में 1606.86 लाख रु. की अतिरिक्त बचत हुई होती। इसी प्रकार भा.खा.नि. 5256.84 लाख रु. के अग्रनयन प्रभारों के भुगतान से भी बच सकता था यदि देश के अन्य भागों में उपलब्ध भंडारण क्षमता के समतुल्य बनाने के लिए पंजाब से मासिक प्रेषणों पर प्रभावी ढंग से मानीटरन किया गया होता। इस प्रकार 1991 के रबी मौसम के दौरान पंजाब से किए गए सभी परिहार्य भुगतान 6863.70 लाख रु. बनते थे।

हरियाणा के मामले में भी भा.खा.नि. ने अग्रनयन प्रभारों के कारण 1991-92 में 49.07 करोड़ रु. और 1992-93 में 30.06 करोड़ रु. का परिहार्य भुगतान किया था। भा.खा.नि. ने जून 1991 में 5.14 लाख मी टन और जून 1992 में 9.87 लाख मी टन की अधिक भंडारण क्षमता का अनुमान लगाया था। अधिक क्षमता जुलाई 1991 से मार्च 1993 के दौरान 7.16 लाख मी टन से 11.81 लाख मी टन के बीच थी। इस क्षमता के साथ भा.खा.नि. अपने गोदामों में 1991-92 में 11.34 लाख मी टन और 1992-93 में 6.70 लाख मी टन अनाज का भंडारण कर सकता था और अग्रनयन प्रभारों के रुप में 79.13 करोड़ रु. के भुगतान से बच सकता था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया कि उपलब्ध भंडारण क्षमता की दुलाई का मतलब लम्बी दूरी होगा। इससे खरीफ भंडारण पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसने आगे बताया कि औद्योगिक सम्बन्धों, ट्रक उपलब्धता, मंडी प्रचालन आदि जैसी अन्य प्रचालनात्मक समस्याएं थीं। यदि ये सही था तो भा.खा.नि. ने इन भंडारण क्षमताओं को स्वीकार करने/किराए पर लेने के कारण नहीं बताए थे।

iv) 1990-91 के दौरान पंजाब सरकार ने मासिक आधार पर ब्याज प्रभारों का दावा किया था। भा.खा.नि. ने ब्याज के परिकलन के लिए 365 के प्रति 360 दिन का वर्ष अपनाया। इससे ब्याज प्रभारों में प्रति क्विंटल दर में वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरुप 42.34 लाख मी टन गेहूं की अधिप्राप्ति पर 46.57 लाख रु. अधिक अदा किए गए थे।

मंत्रालय ने बताया कि भविष्य में राज्य सरकारों को ब्याज प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय पर होगी।

v) जिस कीमत, पर सीमाशुल्क के मिलों द्वारा पेषित चावल को स्वीकार किया जाना है उसे भा.खा.नि. के साथ परामर्श करके मंत्रालय द्वारा अंतिम रुप दिया जाता है। इस प्रकार निर्धारित कीमत में अन्य बातों के साथ-साथ धान की कीमत और पेषण की लागत पर ब्याज शामिल होता है। चूंकि चावल के पेषण के तत्काल बाद इसकी सुपुर्दगी ले ली जाती है इसलिए पेषण प्रभारों पर ब्याज के भुगतान का औचित्य नहीं बनता। 1991-92 तक पिछले 6 वर्षों में ऐसा अधिक भुगतान 217 लाख रु. बनता था। इसे स्वीकार करते हुए

मंत्रालय ने मार्च 1994 में 1992-93 के लिए संस्वीकृति देते समय सीमाशुल्क के मिलो द्वारा पेषित चावल पर उपरोक्त ब्याज को शामिल नहीं किया था। पिछले वर्षों के सम्बन्ध में कोई वसूली नहीं की गयी थी।

vi) 1986-87 और 1987-88 के दौरान पंजाब सरकार ने प्राइस स्पोर्ट स्कीम के अन्तर्गत अधिप्राप्त सीमाशुल्क के मिलों द्वारा पेषित चावल के संबंध में भंडारण प्रभारों और स्थापना प्रभारों का दावा किया था। भा.खा.नि. द्वारा दावो का इस आधार पर विरोध किया गया था कि खाद्यान्नों की सुपुर्दगी मंडी से ही कर दी गयी थी और इसलिए कोई भंडारण प्रभार भुगतान योग्य नहीं था। तथापि स्थापना प्रभारों के अतिरिक्त 1986-87 और 1987-88 में देखभाल करने सम्बन्धी खर्चों के लिए पंजाब सरकार को 5 महीनों के लिए प्रति क्विंटल 1.79 रु. की तदर्थ राशि अनुमत की गयी थी। इस राशि को संशोधित करके 1988-89 में प्रति क्विंटल 4.50 रु. कर दिया गया था। इस वृद्धि का तात्पर्य पिछले तीन वर्षों के लिए मात्र देखभाल सम्बन्धी खर्चों के प्रति 340 लाख रु. का भुगतान था। 1991-92 में ऐसा कोई भुगतान नहीं किया गया था। 1992-93 की संस्वीकृति में भारत सरकार ने भंडारण प्रभारों की बजाय 5 महीने की अवधि के लिए प्रति क्विंटल 5 रु. की दर पर अभिरक्षा एवं अनुरक्षण प्रभार अनुमत किए थे जो 815 लाख रु. बनते थे।

मंत्रालय के अनुसार (जनवरी 1995) राज्य सरकार ने प्लेटफार्मों, लकड़ी के क्रेटों, पालिथीन कवर, सुरक्षा स्टाफ आदि मुहैया कराकर चावल मिलों में रखे गए धान के अनुरक्षण और अभिरक्षा के लिए व्यय किया था। मंत्रालय ने भी इसका कारण कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बताया जो सुसंगत अवधि के दौरान पंजाब में रही। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार को 1991-92 तक प्रतिमाह प्रति क्विंटल 0.90 रु. की दर, जिसे 1992-93 में बढ़ाकर प्रतिमाह प्रति क्विंटल एक रु. कर दिया गया था, पर क्षतिपूर्ति की गयी थी। बढ़ायी गई दर शामिल किए गए भंडारण के लिए केन्द्रीय भाण्डागारण निगम द्वारा प्रभारित दर थी। वर्तमान मामले में मिल मालिक धान का खुले में भंडारण कर रहे थे जिसके लिए भा.खा.नि. द्वारा प्रभारित दर प्रति माह प्रति क्विंटल 0.60 रु. थी। इसके अतिरिक्त 5 महीने की अवधि के लिए ये प्रभार अनुमत किए गए थे जहां धान को चावल में बदलने से पहले अपेक्षित भंडारण की अवधि मात्र लगभग 2-3 महीने होती है और राज्य सरकार द्वारा मिल मालिकों को धान की अभिरक्षा के लिए बदले में ऐसे कोई प्रभार अदा नहीं किए जाते।

vii) धान के 2.3 बैगों में 65 कि.ग्रा. के प्रति मानक बैग के 67% आउटटर्न अनुपात पर एक क्विंटल चावल की सुपुर्दगी करनी होती है। जब एक गनी बैग को चावल के साथ वापिस प्राप्त किया जाता है तो बाकी के 1.3 गनी बैगों की लागत का 40% भारत सरकार द्वारा और 60% मिल मालिकों द्वारा वहन किया जाता है। तथापि यह देखा गया था कि 40% लागत की वांछित प्रतिपूर्ति के प्रति वास्तविक भुगतान 46% था। इसके अतिरिक्त मनी बैगों की लागत पर ब्याज घटक में भी समानुपातिक रुप से वृद्धि हुई थी। 1986-87 से

1991-92 के दौरान पंजाब सरकार और इसकी एजेंसियों को कुल अवांछित अतिरिक्त भुगतान 374.08 लाख रु. बनता था।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 1995) कि 1992-93 खरीफ से पंजाब क्षेत्र के मामले में 40:60 अनुपात को लागू किया गया था। अन्य राज्यों को सिद्धांत लागू करने के सम्बन्ध में इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी।

viii) 1988-89 में भा.खा.नि. ने तीन मिल मालिकों से 25859 मी ट बहुत बढ़िया चावल प्राप्त किया था। समस्त प्रमात्रा अस्वीकार करने योग्य सीमा से अधिक पाई गई थी और इसे पूर्णत: स्वीकार नहीं किया जा सका था। परन्तु मिल मालिकों द्वारा मात्र 5111.4 मी टन प्रतिस्थापन किया गया था। जून 1994 तक 20000.4 मी.टन प्रमात्रा बेची जा सकी थी और 659 लाख रु. की वसूली हुई थी। 747.20 मी टन भंडारण हानि के रुप में माना गया था। इस मामले में भा.खा.नि. को 1057 लाख रु. की हानि हुई थी।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 1995) कि उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया था और ऐसी विफलताओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए निवारक दंड दिया गया था।

ix) गेहूं की अधिप्राप्ति के लिए पंजाब सरकार को प्रदत्त आकस्मिक प्रभार गेहूं की औसत भंडारण अवधि के आधार पर परिकलित किये गये हैं। 1990-91 के दौरान औसत भंडारण अवधि को 2.9 महीने और आकस्मिक प्रभारों को प्रति क्विंटल 2.90 रु. परिकलित किया गया था। तथापि संस्वीकृति के समय मंत्रालय ने इस रकम को पूर्णांक करके प्रति क्विंटल 3 रु. कर दिया था। इस पूर्णांक के लिए कोई कारण नहीं बताया गया था। अधिक भुगतान 42.34 लाख रु. बनता था।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 1995) कि राज्य सरकार/एजेंसियों का मत जानने के बाद प्रति क्विंटल 3 रु. अनुमत करने का सरकार का निर्णय उचित था।

x) हरियाणा में 14 भुगतान कार्यालयों में से 7 कार्यालयों में नमूना जांच से पता चला कि बिलों को प्रस्तुत करने के लिए अधिप्रापन एजेंसियों द्वारा मात्र 2-3 दिन लिए गए थे और बिलों को प्रस्तुत करने के 3 दिन के अंदर 96% भुगतान किए गए थे। इस प्रकार बिलों का निपटान करने के लिए लिया गया समय औसत आधार पर मात्र 5 दिन था। दूसरी ओर ब्याज प्रभारों की 10 दिनों के मानक पर संगणना की जाती है। इस प्रकार 1988-89 से 1990-91 के दौरान 5 दिनों अर्थात् बिलों के भुगतान के लिए पांच दिनों की अधिकतम सीमा को लेते हुए, के लिए ब्याज का परिहार्य भुगतान 183.96 लाख रु. बनता था।

मंत्रालय इस बात पर सहमत था (फरवरी 1995) कि भविष्य में वास्तविक व्यय पर ब्याज की गणना की जाएगी।

xi) ब्याज परिकलन के प्रयोजनार्थ औसत भंडारण अवधि के परिकलन में भा.खा.नि. ने एक फार्मूला अपनाया था जिसमें यह पूर्व कल्पना की गयी है कि किसी माह के दौरान अधिप्राप्त समस्त प्रमात्रा महीने की पहली तारीख को अधिप्राप्त की जाती है। इसके बजाय इसे परिकलित किया जाना चाहिए था ताकि महीने के सभी दिनों पर होने वाले निधियों के वहिर्प्रवाह का औसत निकाला जा सके, यद्यपि प्रमात्राएं महीने के मध्य तक ही अधिप्राप्त की गयी थीं। भा.खा.नि. द्वारा अपनायी गयी गलत विधि के परिणामस्वरूप 1988-89 से 1991-92 वर्षों के दौरान पंजाब और इसकी अधिप्रापक एजेंसियों को 2534 लाख रु. का अधिक भुगतान किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 1995) कि भविष्य में प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय पर परिकलित की जाएगी।

xii) उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रयुक्त स्टाक वस्तुओं पर किराए के अतिरिक्त खरीद से सम्बन्धित अन्य खर्चों के एक घटक के रुप में अप्रयुक्त स्टाक के लिए मूल्यह्रास का दावा किया था। भारत सरकार ने अपनी संस्वीकृति में विशेष रुप से यह कहा था कि 1987-88 मौसम से अप्रयुक्त स्टाक पर मूल्यह्रास बंद कर दिया जाना चाहिए। तथापि 1988-89 के बाद यह मद अन्य खर्चों में पुनः भारत सरकार द्वारा अनुमत की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप 1988-89 और 1989-90 वर्षों के लिए राज्य सरकार और इसकी एजेंसियों को 45.83 लाख रु. का अतिरिक्त भुगतान किया गया था।

xiii) हरियाणा सरकार और इसकी एजेंसियों को उनके द्वारा प्रस्तुत आंकडों के आधार पर स्थापना प्रभारों की प्रतिपूर्ति की गयी थी। 1990-91 वर्ष के दौरान 45.44 लाख रु. के प्रति 64.92 लाख रु. सेवानिवृत्ति लाभों के रुप में लिए गए थे। इस गलती के कारण प्रति क्विंटल दर गलत ली गयी थी जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और अन्य अधिप्रापक एजेंसियों को 76.02 लाख रु. का अधिक भुगतान करना पड़ा।

xiv) गेहूं की अधिप्राप्ति पर पंजाब सरकार द्वारा किए गए स्थापना प्रभारों के 70 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है जबकि 30 प्रतिशत राज्य द्वारा वहन किया जाता है। पंजाब के वित्त लेखाओं के अनुसार 1990-91 से 1991-92 के लिए प्रतिपूर्ति करने योग्य राशि क्रमशः 773.20 लाख रु. और 909.85 लाख रु. बनती थी जिसके प्रति 822.73 लाख रु. और 926.87 लाख रु. की प्रतिपूर्ति की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप 66.55 लाख रु. अधिक अदा किए गए थे।

मार्कफैड, पंजाब की एक अधिप्रापक एजेंसी, को 1989-90 ओर 1990-91 वर्ष के लिए इसी प्रकार का अधिक भुगतान 1062.39 लाख रु. बनता था।

चूंकि एजेंसियों को प्रतिपूर्ति पंजाब सरकार को प्रदत्त अधिप्राप्ति लागत की दर से अधिक थी इसलिए राज्य को अधिक प्रतिपूर्ति के स्वत: ही परिणामस्वरुप उनके लिए अभी भी ऊंची दर अपनायी गयी है। जबकि पंजाब सरकार द्वारा अधिप्राप्ति में 1990-91 में 11.38 लाख मी टन से 1993-94 में 7.67 लाख मी टन की कमी हुई थी इसलिए उसी अवधि के दौरान एजेंसियों द्वारा अधिप्राप्ति प्रमात्राओं में 30.96 लाख मी टन से 36.18 लाख मी टन तक वृद्धि हुई थी। राज्य सरकार द्वारा कम अधिप्रापति के कारण प्रति क्विंटल अधिप्राप्ति लागत में वृद्धि हुई थी जिसके बदले एजेंसियों को भुगतान योग्य दर में वृद्धि हुई। परिणामत: एजेंसियों को प्रतिपूर्ति में अधिप्राप्त अधिक प्रमात्राओं और उच्चतर दर दोनों के ही कारण पर्याप्त रुप से वृद्धि हुई थी।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 1995) कि स्थापना प्रभारों के प्रति भावी भुगतान राज्य महालेखाकार से प्रमाणपत्र के आधार पर विनियमित किए जाएंगे।

xv) 1989-90 से 1992-93 के दौरान 9.95 लाख मी टन गेहूं मंडियों से सीधे ही भा.खा.नि. को भेजा गया था। यद्यपि इस पर कोई भंडारण और ब्याज प्रभार भुगतान योग्य नहीं थे फिर भी भा.खा.नि. ने 1306 लाख रु. अदा किए थे। भारत सरकार ने अक्तूबर 1993 में स्पष्ट किया था कि प्रत्यक्ष रुप से भेजे गए खाद्यान्नों के मामले में मात्र 15 दिनों के लिए ब्याज प्रभार भुगतान योग्य था। ऐसा ब्याज अनुमत करने के बाद अधिक भुगतान 1152 लाख रु. बनता था।

2.7 अधिप्राप्त लागत पर नियंत्रण करने की विफलता के अलावा अधिप्राप्ति में दक्षता में भी सुधार की आवश्यकता थी। इस संदर्भ में लोक उपक्रम समिति ने अपनी XXII रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि गेहूं और चावल की विपणन योग्य बेशी को सुनिश्चित करने के लिए एक वैज्ञानिक प्रणाली होनी चाहिए और आंकड़ों को उचित रुप से अद्यतन बनाया जाना चाहिए। समिति ने अपनी XXXVI की गयी कार्रवाई रिपोर्ट में अपनी अनुशंसा की पुनरावृत्ति करते समय इस बात पर बल दिया था कि विपणन योग्य अधिक के प्रति भा.खा.नि. द्वारा विचार की गयी खरीदों की प्रमात्रा निगम के निष्पादन का एक अक्षांक है। तथापि यह देखा गया था कि इस सम्बन्ध में निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी।

2.8 बाजार प्राप्ति की प्रतिशतता के रुप में भा.खा.नि. द्वारा कुल अधिप्राप्ति काफी कम रही है। भा.खा.नि. का हिस्सा जो हरियाणा में 1989-90 में 21.9% था, घटकर 1991-92 में 6.66%, 1992-93 में 9.4% और 1993-94 में 15.6% हो गया था। उत्तर प्रदेश में भा.खा.नि. 1990-91, 1991-92 और 1992-93 में बाजार प्राप्ति का क्रमश: 7.8%, 1.36% और 3.63% अधिप्राप्ति कर सका था। राजस्थान में भा.खा.नि., जिसने 1990-91 में बाजार प्राप्ति का 67.8% अधिप्राप्त किया था, ने 1991-92 में 9.4% और

1992-93 में 19.3% अधिप्राप्त किया था। ऐसे निष्पादन से भा.खा.नि. के पास उपलब्ध इन हाउस विशेषज्ञता के कम उपयोग का पता चलता है।

2.9 राज्य एजेंसियों की तुलना में भा.खा.नि. का निष्पादन भी कम है। राज्य एजेन्सियों के माध्यम से अधिप्राप्ति का मतलब भा.खा.नि. के अन्दर उपलब्ध अधिप्राप्ति स्टाफ पर अलाभप्रद व्यय है। इसका मतलब अतिरिक्त व्यय करना भी है चूंकि राज्य एजेंसियों को प्रति क्विंटल अतिरिक्त 1.25 रु. दिए जाते हैं, पंजाब और हरियाणा राज्यों में 1989-90 से 1992-93 के दौरान अकेले इस पर अतिरिक्त व्यय 1898.26 लाख रु. था।

2.10 भा.खा.नि. और राज्य एजेंसियों द्वारा चलाए गए खरीद केन्द्रों की संख्या नीचे तालिका में दर्शायी गयी है:-

	1990-91		1991-92		1992-93		1993-94	
	भा.खा.नि.	राज्य एजेंसियों	भा.खा.नि.	राज्य एजेंसियों	भा.खा.नि.	राज्य एजेंसियों	भा.खा.नि.	राज्य एजेंसियों
पंजाब	447	476	432	493	409	501	392	470
हरियाणा	88	197	37	275	95	205	90	210
उ.प्र.	350	5401	350	5401	480	5812	339	5751
राजस्थान	38	95	34	99	34	103	43	92
म.प्र.	455	166	455	166	426	1300	15	552

चूंकि भा.खा.नि. द्वारा चलाए जा रहे केन्द्र बहुत कम अधिप्राप्ति कर रहे थे इसलिए बी आई सी पी ने अनुशंसा की थी कि सभी खरीद केन्द्रों, जहां अधिप्राप्ति 1000 मी टन से कम थी, को बंद कर दिया जाना चाहिए। यह देखा गया कि पिछले तीन वर्षों में पंजाब में चलाए जा रहे कम से कम 31 केन्द्रों में 1000 मी टन से कम गेहूं की अधिप्राप्ति की गयी थी और 4 केन्द्रों में कुछ भी अधिप्राप्ति नहीं की गयी। उ.प्र. में निष्पादन काफी अनिश्चित था और कभी-कभी तकरीबन 79% केन्द्रों की कोई अधिप्राप्ति नहीं थी जबकि मध्यप्रदेश में सभी 426 केन्द्रों में नकारात्मक अधिप्राप्ति थी। इसी प्रकार राजस्थान में कम से कम 12 केन्द्रों में से 1000 मी ट से कम अधिप्राप्ति और 8 केन्द्रों में कोई अधिप्राप्ति नहीं हुई थी।

2.11 धान के मामले में भा.खा.नि. का भाग 1992-93 के दौरान पंजाब में बाजार प्राप्तियों का तकरीबन 20% और हरियाणा में 1.74 प्रतिशत था। उ.प्र. तथा राजस्थान में अधिप्राप्ति शून्य थी। समग्र रुप से जबकि

अधिप्राप्ति सीमान्त थी, भा.खा.नि. ने उपलब्ध खरीद केन्द्रों के आधे से अधिक को पंजाब में और उपलब्ध केन्द्रों के लगभग 2/3 को हरियाणा में रखा था।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 1995) कि खरीद केन्द्रों को कुर्की बिक्री से बचने के लिए चलाया जाता है। विभिन्न एजेंसियों को अधिप्राप्ति के भाग का राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया जाता है और भा.खा.नि. को मामले में बहुत कम हस्तक्षेप करना होता है। इसने आगे बताया कि भा.खा.नि. भविष्य में मंडियों के चयन की भी समीक्षा करेगा।

2.12 धान, चावल और गेहूं के अतिरिक्त भा.खा.नि. सेन्ट्रल नोडल एजेंसी के रूप में अप्रैल, 1990 में मोटे अनाजों अर्थात् ज्वार, मक्की, बाजरा आदि की अधिप्राप्ति में भी लगा हुआ था। पिछले 5 वर्षों में भा.खा.नि. ने मोटे अनाजों की अधिप्राप्ति की थी जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

मी ट में प्रमात्राएं

वर्ष	खरीद	भंडारण
1989-90	1130	12
1990-91	808	26
1991-92	शून्य	29
1992-93	4292	1
1993-94	11804	1

यद्यपि अधिप्राप्ति निम्नतम थी, 1991-92 तक भंडारण हानियां अधिक थीं।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 1995) कि मोटे अनाजों की शैल्फ लाइफ सीमित थी और इसके अतिरिक्त उनको प्राइस स्पोर्ट स्कीम के अन्तर्गत खरीदा जाना था बेशक उनको सा वि प्र के तहत बेचना कठिन था।

3. भंडारण प्रबन्धन

3.1 भा.खा.नि. दो मौसमों में खाद्यानों अधिप्राप्त करता है परन्तु इसने अधिप्राप्त की जाने वाली प्रस्तावित मात्राओं के प्रति अपनी भंडारण क्षमता को संबद्ध नहीं किया है। निगम द्वारा की गई खरीदों और पिछले चार वर्षों में उपलब्ध भंडारण क्षमता इस प्रकार थीं:-

(लाख टन में)

वर्ष	खरीद	भंडार क्षमता
1990-91	223.40	221.10
1991-92	181.70	199.20
1992-93	213.10	194.60
1993-94	251.50	236.60

3.2 भंडारण क्षमता सिलो, बिनों, फ्लेटों, गोदामों आदि के रुप में होती है। इसके अतिरिक्त, आवश्यकता के समय खाद्यान्नों का खुले में कवर्ड एंड प्लिन्थ (कैप) स्टोरेज में बैगों में भंडारण किया जाता है। सामान्यतया गोदामों में भंडारण को प्राथमिकता दी जाती है चूंकि इसमें अनाज बेहतर रहता है और इसमें चोरी, नष्ट करने वाले जीवों आदि का भय नहीं रहता। पिछले चार वर्षों की समाप्ति पर कुल भंडारण क्षमता निम्नानुसार थी:-

(लाख टन में)

निम्नलिखित वर्ष की समाप्ति पर	प्राप्ति की गयी क्षमता	गोदामों की क्षमता	कवर्ड एंड प्लिन्थ क्षमता	प्लिन्थ की संख्या	कुल क्षमता	गोदामों और प्लिन्थ की सं.
1990-91	196.00	1447	25.10	232	221.10	1679
1991-92	182.70	1303	16.50	197	199.20	1500
1992-93	180.10	1276	14.50	190	194.60	1466
1993-94	209.60	1470	27.00	234	236.60	1704

पिछले वर्ष की तुलना में 1993-94 में खुली क्षमता में असमानुपातिक रुप से वृद्धि हुई थी।

उपरोक्त भंडारण क्षमता में अपनी और किराए पर ली गयी क्षमता दोनों शामिल हैं। भंडारण क्षमता को केन्द्रीय भंडागारण निगम, राज्य भांडागारण निगमों और प्राइवेट पार्टियों से किराए पर लिया जाता है। पिछले चार वर्षों में अपनी और किराए पर ली गयी भंडारण क्षमता के बीच वितरण किराए पर ली गयी क्षमता पर बढ़ती हुई आस्था को दर्शाता है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(क्षमता लाख टन में)

वर्ष	अपनी	किराए पर ली गयी	कुल
1990-91	130.40	90.70	221.10
1991-92	130.70	68.50	199.20
1992-93	132.80	61.80	194.60
1993-94	135.70	100.90	236.60

3.3 बफर स्टाक कमेटी की अनुशंसा पर निर्णय सूचित करते समय भारत सरकार ने भंडारण उपयोग का इष्टतम स्तर 85% निर्धारित किया। इसके बाद बी आई सी पी ने 75% औसत क्षमता उपयोग प्राप्त करने की अनुशंसा की। 31.3.1994 को समाप्त हुए चार वर्षों के दौरान भा.खा.नि. की उपलब्धि 1993-94 को छोड़कर इस स्तर से कम थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

1990-91	66.00 प्रतिशत
1991-92	58.00 प्रतिशत
1992-93	53.00 प्रतिशत
1993-94	77.00 प्रतिशत

व्यस्ततम स्तर के दौरान भी अंतिम दो वर्षों को छोड़कर उपयोग घटिया स्तर का रहा था जोकि बम्पर फसलों के कारण रहा।

निम्नलिखित तारीख को	प्राप्त की गयी क्षमता उपयोग %	कवर्ड एंड प्लिन्थ क्षमता उपयोग %
1.7.90	65.20	67.68
1.7.91	66.00	52.00
1.7.92	55.00	32.00
1.7.93	81.70	58.28
1.7.94	89.00	79.00

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 1995) कि उपयोग अधिप्राप्ति और आफ टेक पर आधारित था जो निगम के नियंत्रण से परे था।

3.4 मार्च 91 से मार्च 94 तक की अवधि के लिए क्षेत्रवार आंकड़ों के आगामी विश्लेषण से विषम निष्पादन का पता चला था। जबकि कुछ राज्यों में कतिपय अवधियों के दौरान 100% से अधिक उपयोग दर्ज किया गया वहीं 19 क्षेत्रों/पत्तन कार्यालयों में एक वर्ष से 3-1/4 वर्षों तक की अवधि के लिए 50% से भी कम उपयोग दर्ज किया गया था। अरुणाचल प्रदेश में 1993-94 की अंतिम तिमाही जबकि उपयोग 43% था, को छोड़कर 28% से अनधिक उपयोग दर्शाया गया। कुछ व्यापक परिवर्तनों से पता चला कि भंडारण क्षमता को बिना किसी उचित आयोजना के स्थापित किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 1995) कि पत्तन गोदामों के दीर्घकालीन उपयोग पर नीति का निर्णय सरकार द्वारा अभिनिर्णय किए जाने वाले आयात पर निर्भर करेगा।

3.5 अधिप्राप्ति क्षेत्रों में उपलब्ध भंडारण क्षमता की तुलना भंडारण प्रबन्धन की प्रर्याप्तता अवधारित करने के लिए वास्तविक अधिप्राप्ति की प्रमात्रा से की जाती थी। पंजाब और हरियाणा में गत चार वर्षों में उपलब्ध क्षमता और धारित स्टाक यह दर्शाता है कि अधिक क्षमता प्राप्त की गई थी और जून 1994 तक क्षमता और स्टाक के बीच अन्तराल कम हो गया जो निम्नवत् है:-

(लाख टनों में)

	पंजाब		हरियाणा	
	क्षमता	स्टाक	क्षमता	स्टाक
1.7.1991	58.29	42.31	15.43	8.74
1.7.1992	49.48	35.40	15.41	6.64
1.7.1993	54.53	48.84	14.34	10.83
1.7.1994	69.24	64.50	16.55	13.41

अपेक्षा से अधिक क्षमता की उपलब्धता के बावजूद निगम इस तर्क पर राज्य सरकारों/एजेन्सियों के पास पर्याप्त मात्रा में भंडार करने के लिए चुना, कि यह सस्ता था। उस मामले में भा.खा.नि. ने अपनी भंडारण क्षमता कम क्यों नहीं की, स्पष्ट नहीं है।

मंत्रालय के अनुसार (जनवरी 1995) राज्य एजेन्सियों की भंडारण क्षमता का उपयोग सूक्ष्म स्तर पर मेल न खाने के कारण अधिप्राप्ति केन्द्रों पर किया जाता है और इनमें भंडारित खाद्यान्न को अनुवर्ती अधिप्राप्ति के लिए जगह बनाने हेतु भा.खा.नि. की गोदामों को खाली किए जाते हैं।

3.6 यह देखने के लिए नमूना आंकड़े का भी अध्ययन किया गया था कि क्या किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध भंडारण क्षमता उस क्षेत्र को किए गए खाद्यान्नों के आवंटन अथवा आवंटन के प्रति उस क्षेत्र द्वारा उठाए गए खाद्यान्नों की वास्तविक प्रमात्रा से संबंधित थी। सामान्यतः क्षेत्रों में 3 से 4 महीने का स्टाक रखा जाता है परन्तु समापन स्टाक उससे हमेशा कम रहता है। असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में उपलब्ध भंडारण क्षमता आवश्यकता से कई गुना अधिक थी। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में भंडारण क्षमता आवंटन और माल उठाने की अपेक्षा बहुत कम थी।

3.7 डिपो स्तर का अतिरिक्त विश्लेषण से यह देखने में आया कि 31 मार्च 1988 को 1768 में से 1096 गोदामों में 50 प्रतिशत से कम उपयोग हुआ था। यहां तक की 31 मार्च 1994 को 1704 में से 424 गोदामों (पत्तन में सिलो/विन और गोदाम सहित) में 50% से कम क्षमता उपयोग था। उचित योजना से निगम गोदामों के निर्माण में अथवा सरकार से दावित आर्थिक सहायता में परिणामी कमी से किराए के गोदामों के लिए प्रदत्त किराए पर पर्याप्त पूंजीगत परिव्यय बचा सकेगा।

मंत्रालय ने सिलो और विन के कम उपयोग को स्वीकार किया (जनवरी 1995) और यह बताया कि जब इनका निर्माण किया गया था, काफी संम्भलाई की प्रत्याशा थी जो पूरी नहीं हो सकी।

3.8 साइलो और विन के कम उपयोग के कुछ उदाहरण नीचे उजागर किए गए हैं:

i) बोरीवली में 1.04 लाख मी.टन की क्षमता वाले साइलो जिसकी मरम्मत 1991-92 में 18.91 लाख रुपए के व्यय से की गई थी, मार्च 1994 तक अधिकतम 27% तक उपयोग किया गया था।

ii) गोविन्दगढ़ में जबकि भा.खा.नि. के पास 20,000 मी.टन की क्षमता वाले साइलो है इसने उसी स्थान पर 1726 मी.टन और 10,000 मी.टन के बीच की क्षमता किराए पर ली, सिलो का अप्रैल 1992 से मार्च 1994 तक कोई उपयोग नहीं हुआ था।

iii) जून 1976 में गया में 32,000 मी.टन की क्षमता के विन 48.03 लाख रुपए की लागत पर बनाए गए थे। उसमें रिसाब होने की रिपोर्ट है और अप्रैल 1977 से भंडारण का प्रारम्भ हुआ। गंभीर रिसाब की रिपोर्ट पुनः मिली और विनों को 1989 में खाली कर दिया गया जो अभी भी अप्रयुक्त पड़ा है।

3.9 51,250 मी.टन की क्षमता वाले कोसीकालन (उत्तर प्रदेश) गोदाम का 750 मी.टन के स्टाक के भंडारण (कुल क्षमता का केवल 1.46%) को छोड़कर बिल्कुल उपयोग नहीं किया जा रहा है। 21,250 मी.टन की वर्तमान क्षमता रखते हुए भी भा.खा.नि. अप्रैल 1986 में 30,000 मी.टन की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण शुरु किया। जून 1989 तक 3.07 करोड़ रुपए की लागत पर गोदाम का निर्माण किया। दिसम्बर 1990 में अधिकार में लेने के बाद इन गोदामों का उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि वर्तमान क्षमता यथेष्ट की अपेक्षा अधिक पाई गई थी। जून 1992 में भा.खा.नि. ने गोदामों को किराए पर देने अथवा उन्हें तत्काल बेच देने का

निर्णय लिया जो पूरा नहीं हो पाया। इस प्रकार कोसी कालन में निवेशित 3.07 करोड़ रुपए का कोई लाभ नहीं हुआ।

भा.खा.नि. ने कोसीकालन में साइडिंग का निर्माण करने के लिए रेलवे को सर्वेक्षण फीस के रूप में 3.99 लाख रुपए भी अदा किया (1987)। 1988 में यह अनुमान लगाया गया था कि इस केन्द्र पर साइडिंग की लागत लगभग 2 करोड़ रुपए होगी। इसे भा.खा.नि. द्वारा अमितव्ययी माना गया और प्रस्ताव को अनदेखी कर दिया। प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 1994) कि इस गोदाम के उपयोग से खाद्यान्नों के संचलन में अधिक खर्च पड़ता था। इसने आगे बताया कि इस गोदाम का 1991 से 1993 तक उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि उस समय भंडारण क्षमता की अपेक्षा में समग्र कमी थी।

इस प्रकार एक ऐसे गोदाम का निर्माण किया गया जो न तो सड़क से और न ही रेल से मितव्ययी ढ़ंग से काम कर सका। इसका उपयोग 1991 से 1994 के क्रमिक बम्पर फसल के वर्षों में भी नहीं किया गया था।

प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 1995) कि डिपो को बफर स्टाक के लिए पुन: खोल दिया गया है। परन्तु इस गोदाम के उपयोग के संबंध में दीर्घावधि दृष्टिकोण रेलवे सुविधाएं मुहैया कराने की सम्भावना को अभिनिश्चित करने के बाद अपनाना चाहिए।

3.10 भा.खा.नि. ने 54123 रुपए के मासिक किराए पर कापा, मध्यप्रदेश में 350.67 एकड़ जमीन का अधिकार लिया। जमीन का उपयोग सी ए पी भंडारण के लिए किया जाना था। जमीन रक्षा, रेलवे और मध्यप्रदेश सरकार से संबंधित थी और 3 लाख मी.टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता की आशा थी। कार्यस्थल पर भंडारण परिसर की स्थापना की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए गठित (अगस्त 1993) समिति ने अनुकूल निर्णय नहीं दिया था। इसके बावजूद भा.खा.नि. ने 80.69 लाख रुपए की लागत पर 350.67 एकड़ में से 101.03 एकड़ जमीन खरीदने का निर्णय लिया। मूल रुप से विनिर्दिष्ट 3 लाख की अतिरिक्त क्षमता की कई बार समीक्षा की गई और विभिन्न क्षमताओं के निर्माण की सलाह दी गई थी। अब तक किसी अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण नहीं किया गया है। अब तक भा.खा.नि. ने 79.98 लाख रुपए अदा किया है और 57.40 लाख रुपए की और देयता है।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 1995) कि रेलवे से संबंधित लगभग 240 एकड़ जमीन लौटाई जा रही है और शेष पर 50,000 टन के बफर भंडारण का निर्माण किया जाएगा। प्रबन्धन ने यह नहीं बताया कि इस निर्णय पर पहुंचने के लिए क्यों 12 वर्ष का समय लगा।

3.11 67,000 मी.टन की क्षमता वाला ब्रूकलिन डिपो कलकत्ता पत्तन न्यास से किराए पर लिया गया है। इस तथ्य के बावजूद कि इसका उपयोग बहुत कम होता था जो 0 से 43% के बीच था और जे जे पी में भा.खा.नि. निजी क्षमता भी 1.72 लाख टन थी, भा.खा.नि. ने डिपो को किराए पर रखना जारी रखा। अनुचित

किराए के संबंध में भा.खा.नि. की हानि 180.78 लाख रुपए थी (अप्रैल 90 से मार्च 93) ब्रूकलिन डिपो के कम उपयोग को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने बताया (जनवरी 1995) कि इस डिपो का उपयोग तभी किया जा सकता है जब यह रेलवे से सीधा जुड़ा हो। उसने आगे बताया कि यह जे जे पी डिपो से सड़क से जुड़ा है जिसका पूर्ण रुप से उपयोग नहीं किया जा रहा है।

उत्तर के परिप्रेक्ष्य में ब्रूकलीन डिपो को किराये पर न लेने का मामला और मजबूत बनता है।

3.12 मई 1991 में निगम ने सरकार को सूचित किया कि इसके पास सी डब्ल्यू सी/एस डब्ल्यू सी द्वारा वैकल्पिक उपयोग के लिए कोई फालतू भंडारण क्षमता नहीं है। फिर भी मार्च 1992 तक गोदामों की संख्या मार्च 1991 में 1679 से 1500 तक कम की गई। मई 1992 में 4.87 लाख टन की क्षमता का या तो किराए पर या बाजार मूल्य पर खरीद कर उपयोग के लिए सी डब्ल्यू सी के समक्ष प्रस्ताव रखा गया। इससे यह पता चलता है कि भा.खा.नि. के पास फालतू क्षमता थी परन्तु फालतू क्षमता का पता लगाने की प्रणाली अपर्याप्त थी।

3.13 कम उपयोग के अलावा किराए पर ली गई क्षमता के उपयोग के उदाहरण हैं जबकि ढके हुए भंडारों के सम्बन्ध में निजी क्षमता का उपयोग नहीं किया गया था। यह देखा गया कि पांच स्थानों पर निजी क्षमता का उपयोग किए बिना क्षमता को किराए पर लिया गया था। परिणामस्वरूप किराए का भुगतान करना पड़ा जिसे टाला जा सकता था।

उसी तरह सी ए पी के सम्बन्ध में भी यह देखा गया था कि किराए पर ली गई क्षमता का उपयोग किया गया था जबकि निजी क्षमता 17 स्थानों पर अप्रयुक्त पड़ी थी।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 1995) कि इन 17 स्थानों पर निजी सी ए पी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि अधिप्राप्ति कम थी। यदि ऐसा था तो किराए पर ली गई क्षमता को अभ्यर्पित कर देना चाहिए था।

3.14 निगम खंडवा (मध्य प्रदेश) में क्रमशः नवम्बर 1977 और जनवरी 1978 के दौरान प्राइवेट पार्टी से कृषि पुनर्वित्त पोषण और विकास निगम के अन्तर्गत निर्मित 5,000 और 2,500 मी.टन क्षमता के दो गोदामों को किराए पर लिया। यह गोदाम पांच वर्ष की गारंटी के आधार पर लिए गए थे। गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद भी क्रमशः फरवरी 1979 और अप्रैल 1979 तक किराए पर रखा गया था। खंडवा में 50,000 मी.टन क्षमता के आधार डिपो और 40,000 मी.टन क्षमता के गोदाम क्रमशः जुलाई 1982 और मई 1985 में सी डब्ल्यू सी से किराए पर लिया गया। 1985 के बाद भा.खा.नि. की आवश्यकता से अधिक प्राइवेट गोदामों को किराए पर लिए गए जबकि भा.खा.नि. के पास आधार डिपो था। इसके परिणामस्वरूप 11.82 लाख रुपए का परिहार्य भुगतान हुआ।

3.15 52 स्थानों पर खुली निजी क्षमता का उपयोग मार्च 1991 और मार्च 1994 के बीच नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 1995) कि कम अधिप्राप्ति के कारण और ढकी भंडारण क्षमता की उपलब्धता के कारण क्षमता का उपयोग नहीं किया गया था। प्रबन्धन के अनुसार निजी सी ए पी क्षमता के मामले में संसाधनों की बरबादी नहीं की गई थी। यह तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रयुक्त सी ए पी के लिए भूमि का अधिग्रहण का मतलब पूंजी को अवरुद्ध करना है।

3.16 ढकी हुई और खुली भंडारण क्षमता के संबंध में गत चार वर्षों में उच्चस्तर पर स्टाक की गई अप्रयुक्त किराए की क्षमता का सार निम्नवत है:-

निम्न को (लाख टनों में)

	01.07.91	01.07.92	01.07.93	01.07.94
किराए पर ली गई कुल क्षमता	90.22	64.59	87.13	120.43
पूर्ण रुप से अप्रयुक्त	22.56	17.88	9.36	9.09
कम उपयोग की प्रतिशतता	25.00	27.70	10.74	7.54

जबकि किराए पर ली गई क्षमता के उपयोग में ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती थी और एक साथ 1994 को कम उपयोग 7.54% थी परन्तु निजी क्षमता के मामले में यह 17.36% थी।

इस प्रकार न केवल किराए की क्षमता को कम करने में सुधार के परिक्षेत्र थे बल्कि निजी अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग कर रहे हैं।

मंत्रालय के अनुसार (जनवरी 1995) किराए पर लेने और न लेने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को अब अधिक शक्ति दी गई है।

3.17 यह पाया गया कि निम्नलिखित मामलों में फालतू भंडारण क्षमता को किराए से मुक्त करने में विलम्ब हुआ था जिसके परिणामस्वरूप निधि का निर्गम हुआ।

जिला	जिस महीने से खाली रहा	जिस महीने से परिसर खाली किया गया	प्रस्ताव का महीना	संस्वीकृति का महीना	परिहार्य किराया (लाख रुपए में)
सहारनपुर	4/88	3/91	6/88 व 2/90	2/89 व 5/90	41.07
हापुड़	11/87	3/89	4/88 व 5/88	2/89	14.40
झांसी	8/87	3/89	8/87 व 6/88	2/89	36.30
सीवान	4/87	3/92	9/88	उ.न.	11.37
डोगियापार्थी	3/89	7/92	3/89	7/92	29.40

किराए पर कुल परिहार्य व्यय 132.54 लाख रुपए था।

3.18 जहां किराए पर ली गई क्षमता का अधिकतम उपयोग नहीं हुआ उनके उदाहरण निम्नवत् हैं:-

(i) बिहार क्षेत्र समय से भंडारण क्षमता की आवश्यकता की समीक्षा करने में विफल रहा। परिणामत: 1985-86 से 1990-91 की अवधि के लिए किराए पर ली गई फालतू क्षमता के किराए पर 205.90 लाख रुपए का परिहार्य व्यय हुआ।

(ii) असम क्षेत्र में 1977-78 से भा.खा.नि. के पास 31060 टन की निजी क्षमता और 14180 टन की किराए पर ली गई क्षमता थी। इसमें से 1985-86 से 1990-91 वर्षों के दौरान निगम अपनी निजी क्षमता का केवल 50% तक उपयोग कर सका। इसलिए किराए पर लिए गए गोदाम आवश्यकता से फालतू थे। इन किराए के गोदामों के पास रेलवे साइडिंग भी नहीं थे और स्टाक को अतिरिक्त लागत पर ट्रक से ले जाया जाता था। अक्तूबर 1988 से मार्च 1991 के दौरान 105125 टन के संचलन के लिए अतिरिक्त व्यय की राशि 44.31 लाख रुपए थी। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह किराए पर परिहार्य व्यय की राशि 0.73 लाख रुपए थी।

(iii) 1976 में चौदवार (उड़ीसा) में 5000 मी.ट. क्षमता के प्राइवेट गोदाम किराए पर लिए गए थे। मूलरूप से मालिक कम्पनी से सम्बन्धित आसन्न रेलवे साइडिंग का खाद्यान्नों को उतारने के लिए उपयोग किया जा रहा था। यह सुविधा फरवरी 1977 में वापिस ले ली गई थी। इससे नजदीक के रेलवे स्टेशन पर खाद्यान्नों

को उतारना आवश्यक हो जाता है और डिपो तक सड़क परिवहन से ले जाया जाता है। जनवरी 1987 में रेलवे ने विशेष रेलवे स्टेशन पर वैगनों को उतारने की सुविधा वापस ले ली। परिणामतः प्राइवेट गोदाम बेकार हो गए। प्रबन्धन ने बचे हुए स्टाक के समापन के बाद डिपो अभ्यर्पित करने का निर्णय लिया (जून 1989)। बचे हुए स्टाक का मूल्य केवल 4.21 लाख रुपए था और सुधार की आवश्यकता थी। सम्हलाई और परिवहन ठेकेदार स्टाक के केवल कुछ भाग का सुधार कर सका तब तक उसका ठेका दिसम्बर 1989 तक समाप्त हो गया। ठेकेदार से सम्बन्धित श्रमिक भी भा.खा.नि. से वैकल्पिक रोजगार की मांग की क्योंकि गोदाम बन्द करना था। मुद्दे का समाधान नहीं हो सका अन्त में गोदाम मालिक के सुपुर्द कर दिया गया (अक्तूबर 1992)। इस समय तक 4.21 लाख रुपए मूल्य के स्टाक का निपटान करने के प्रयास में किराया और वेतन व भत्तों पर 14.38 लाख रुपए खर्च किए गए।

(iv) आरक्षण के आधार पर महाराष्ट्र राज्य भांडागारण निगम से अक्तूबर 1990 और फरवरी 1991 के बीच जालना, परभनी, नादेड़ और औरंगाबाद में किराए पर ली गई क्षमताओं का उपयोग नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरुप उस अवधि के दौरान किराए पर 3.66 लाख रुपए का निष्फल व्यय हुआ क्योंकि भा.खा.नि. द्वारा अनाजों के संचलन की योजना नहीं बनाई गई थी।

(v) जलगांव में वर्तमान ए आर डी सी गोदाम में क्षमता की उपलब्धता के बावजूद 30,000 मी.ट. क्षमता जनवरी 1991 से सितम्बर 1991 तक महाराष्ट्र राज्य भांडागारण निगम से किराए पर ली गई थी जिसके परिणामस्वरुप 2.39 लाख रुपए का निष्फल किराया व्यय हुआ।

(vi) गोदिया में 30,000 मी.ट. की निजी क्षमता के अतिरिक्त 5,000 मी.ट. क्षमता आरक्षण आधार पर जनवरी से जुलाई 1993 तक सी डब्ल्यू सी से किराए पर ली गई थी। यह देखा गया कि चार महीने की अवधि (फरवरी और मार्च 1992 तथा मार्च और अप्रैल 1993) के सिवाए, जिसके लिए वास्तविक आधार पर क्षमता किराए पर ली जा सकती, भा.खा.नि. के पास पर्याप्त खाली जगह उपलब्ध थी। इसके परिणामस्वरुप किराया पर 7.37 लाख रुपए का निष्फल व्यय हुआ।

(vii) बम्बई पत्तन न्यास से पट्टे पर ली गई 2243 मी.ट. भंडारण क्षमता अगस्त 1989 से व्यर्थ पड़ी है। अक्तूबर 1990 में पट्टा अवधि की समाप्ति के बाद भी निगम ने इसे अभ्यर्पित नहीं किया था। 18.07 लाख रुपए का परिहार्य व्यय मार्च 1994 तक किया गया था।

(viii) मई 1989 में तंजवूर में किराए पर लिए गए के.भा.नि.के गोदाम की 20,000 मी.ट. क्षमता का कुछेक अप्रयुक्त स्टाक वस्तुओं का भंडारण करने की बजाए कोई उपयोग नहीं था। 15000 मी.ट. की क्षमता को मार्च 1990 में किराए से मुक्त कर दिया गया था और शेष क्षमता को इस दलील पर रोके रखा गया है कि

किराए से मुक्त करने के प्रति स्टाफ की ओर से बाधा है। किराए और स्टाफ, जो मई 1989 से नवम्बर 1993 तक बेकार बैठा रहा, को प्रदत्त वेतन के कारण निष्फल व्यय 156.12 लाख रुपए बनता था।

मंत्रालय ने स्वीकार किया (जनवरी 1995) कि गोदामों और परिणामी रुप से श्रम का कम उपयोग हुआ था और इसने आगे बताया कि उपयोग को बढ़ा दिया गया था। इसने आगे बताया कि बेशी श्रम को स्थानान्तरित नहीं किया जा सका था क्योंकि पूरे क्षेत्र में ही सामान्यतः श्रम फालतू था। तथापि उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसमें इस बात का उल्लेख नहीं किया गया था कि एक नए गोदाम को क्यों किराए पर देना पड़ा था और बाद में इसका प्रमुख भाग क्यों अभ्यर्पित कर दिया गया था।

3.19 निर्णय लेने में विलम्ब के अतिरिक्त किराए से मुक्त करने का निर्णय लेने के बाद वास्तविक रुप से किराए से मुक्त करने में विलम्ब के परिणामस्वरुप निष्फल व्यय हुआ था।

(i) भा.खा.नि. (फरवरी 1989) ने निर्णय लिया था कि उत्तरी तथा दक्षिणी 24 परगना के राजस्व जिलों में मूल डिपुओं को छोड़कर किराए पर लिए गए सभी गोदामों को या तो किराए से मुक्त किया जाना चाहिए या फिर इन्हें आंतरिक वितरण के लिए इसके कार्य शुरु करने के तत्काल बाद राज्य सरकार को सौंप दिया जाना चाहिए। यद्यपि जुलाई 1990 तक राज्य सरकार द्वारा कार्य शुरु किए गए थे तथा जनवरी 1991 और मार्च 1995 के बीच 12 नान-बेस गोदामों में से मात्र 7 को ही किराए से मुक्त किया गया था जिसके परिणामस्वरुप किराए पर 31.67 लाख रुपए का निष्फल व्यय हुआ था।

(ii) मद्रास पत्तन न्यास में 7640 मी.ट. की बेशी क्षमता को किराए से मुक्त करने में 9 से 47 महीने तक विलम्ब के परिणामस्वरुप जुलाई 1989 से मार्च 1993 तक की अवधि के लिए 29.68 लाख रुपए का परिहार्य व्यय हुआ था।

3.20 भंडारण की लागत के संदर्भ में भंडारण प्रबन्धन में दक्षता को भी आंका जा सकता है। जब तक उपलब्ध भंडारण क्षमता और उपयोग को सरल तथा कारगर नहीं बनाया जाता तब तक भंडारण लागत पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। अनाजों की आर्थिक लागत में भंडारण लागत एक महत्वपूर्ण घटक होता है। 1991-92 वर्ष में भा खा नि द्वारा 309.29 करोड़ रु. भंडारण लागत के रुप में खर्च किए गए थे जो कि बढ़कर 1992-93 में 408.73 करोड़ रु. और 1993-94 में 413.72 करोड़ रु. हो गये। चूंकि इन तीन वर्षों में क्षमता का क्रमशः मात्र 58, 53 और 77 प्रतिशत तक उपयोग किया गया था। अतः क्रमशः 129.90 करोड़ रु.,192.10 करोड़ रु. और 95.15 करोड़ रु. प्रतिफल के बिना निष्क्रिय क्षमता की लागत के द्योतक है। बेशी क्षमताओं को किराए से मुक्त करने में विलम्ब, अपने गोदामों के विनिर्माण में विलम्ब, अनियंत्रित परिचालन व्यय और मरम्मत लागतों आदि के कारण भंडारण लागतें बढ़ती रही थी। मंत्रालय के अनुसार किराए से मुक्त

करने के कारण कुछ स्थानों में किराए की भी बचत होगी परन्तु स्थापना व्यय नियत किए जाते हैं और इनमें कमी नहीं की जा सकती।

3.21 इसके अपने गोदामें के मामले में भंडारण लागत में स्टाफ की लागत, मूल्यह्रास मरम्मत एवं रखरखाव, धूमन, निभार, फालतू पुर्जे आदि शामिल होते हैं जबकि के भा नि तथा रा भा नि से किराए पर लिए गए गोदामों के लिए यह मात्र उनको प्रदत्त किराए का द्योतक है क्योंकि ये उनके द्वारा बचा दिए जाते हैं। प्राइवेट गोदामों के लिए भा खा नि किराया अदा करता है और निगम के स्टाफ द्वारा गोदामों को भी बचाया जाता है। औसत क्षमता की प्रति क्विंटल वार्षिक भंडारण लागत के विवरण के विश्लेषण से पता चला कि के भा नि तथा रा भा नि ने भा खा नि से बहुत बेहतर ढंग से भंडारण लागत पर नियंत्रण किया था। प्राइवेट गोदामों में भंडारण की लागत सबसे अधिक थी। पिछले 5 वर्षों के लिए औसत वार्षिक भंडारण पर सुसंगत तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

(प्रति क्विंटल रुपए में)

आवृत्त	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
अपनी	14.04	14.88	15.84	22.80	20.88
के भा नि	10.56	10.80	13.68	13.32	13.44
रा भा नि	8.88	11.28	12.84	13.32	13.92
प्राइवेट	14.16	16.44	16.32	22.80	21.12
राज्य सरकार	10.92	13.44	14.16	20.14	19.20
कवर्ड एंड प्लिन्थ					
अपनी	5.28	6.12	6.24	10.80	10.56
किराए पर ली गयी	8.04	6.12	6.24	15.60	12.12

भा खा नि ने अपने गोदामों के सम्बन्ध में मरम्मत एवं रखरखाव पर 1993-94 में तकरीबन 12.47 करोड़ रु. खर्च किए थे। रखरखाव एवं मरम्मत पर प्रति मी.टन औसत वार्षिक व्यय पिछले छः वर्षों में 5.93 करोड़ रु. से बढ़ कर 10.18 करोड़ रु. हो गया था जो 71.67% की वृद्धि का द्योतक है।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 1995) कि मात्र 8.75 करोड़ रु. मरम्मत एवं रखरखाव पर खर्च किए गए हैं और रेलवे साइडिंग वेब्रिज आदि पर व्यय को निकाल दिया जाना चाहिए। यह तर्क स्वीकार्य नहीं है चूंकि ये रखरखाव लागतें भी भंडारण के दौरान आती हैं।

4. भंडारण हानियां

4.1 खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में एक महत्वपूर्ण तत्व भंडारण और पारगमन के दौरान नष्ट हुए खाद्यान्नों का मूल्य होता है। मण्डियों में अधिप्राप्त प्रचालनों, पूरे देश में पारगमन, विभिन्न गोदामों में भंडारण जिसमें लदान, उतराई, स्टैकिंग, डिस्टैकिंग आदि शामिल हैं, के साथ आरंभ होकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक विभिन्न चरणों पर खाद्यान्नों की हानि होती है। पिछले चार वर्षों में भंडारण और पारगमन दोनों के कारण 813.21 करोड़ रुपए की हानि हुई।

(मात्रा लाख मी.टन में)

वर्ष	खरीद मात्रा	बिक्री मात्रा	कुल मात्रा	हानि मात्रा	कुल पर हानि%	मूल्य (करोड़ रु. में)
1990-91	235.19	182.55	417.74	4.60	1.12	155.98 रुपए
1991-92	194.01	226.25	420.26	5.90	1.42	219.70 रुपए
1992-93	225.73	191.60	417.33	5.02	1.21	223.33 रुपए
1993-94	263.60	198.70	462.30	4.20	0.95	214.20 रुपए
						813.21 रुपए

उपरोक्त हानियों में गुम हुए वैगनों और भंडारण के दौरान कोटि में खराबी के कारण हुई हानियां शामिल नहीं हैं।

4.2 813.21 करोड़ रुपए में से 280.42 करोड़ रुपए भंडारण हानि और 532.79 करोड़ रुपए मार्गस्थ हानि से सम्बन्धित हैं। बी आई सी पी रिपोर्ट (जून 1990) के अनुसार भा.खा.नि. का भंडारण हानियों के लिए उत्तरदायित्व नियत करने और प्रभावी वसूली करने का खराब रिकार्ड रहा है। ऐसी क्रियाविधि के अभाव में भंडारण हानियां अनियंत्रित रही जैसा कि बढ़ती हुई हानियों से पता चला जो 1990-91 में 45.71 करोड़ रुपए से बढ़कर 1993-94 में 87.94 करोड़ रुपए हो गयीं।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 1995) कि जहां कहीं परिस्थितिवश ऐसा करना उचित था प्रशासनिक प्राधिकारियों ने अत्यधिक हानियों के लिए अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी थी। इसने यह भी बताया कि मार्गस्थ हानियों के मामलों की भी जांच की गयी थी। तथापि इससे यह बात प्रमाणित नहीं होती कि क्या की गयी कार्रवाई प्रभावी होने वाले उनके तार्किक परिणाम के अनुसार थी।

4.3 नीचे दर्शाए गए पिछले तीन वर्षों के दौरान भंडारण हानियों का ब्यौरा धारित औसत स्टाकों के सम्बन्ध में बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाती है:-

(लाख मी ट)/(करोड़ रुपए में)

वर्ष	मात्रा	मूल्य	औसत स्टाक	हानि की प्रतिशतता
1990-91	1.16	45.71	130.53	0.89
1991-92	1.78	73.17	124.58	1.43
1992-93	1.54	73.60	99.55	1.55
1993-94	1.56	87.94	168.30	0.93

1993-94 को छोड़कर धारित औसत स्टाक के सम्बन्ध में हानियों में बढ़ती हुई प्रवृत्ति थी जबकि 1993-94 में यह पिछले दो वर्षों की तुलना में कम हो गयी थी। इसके अतिरिक्त एक डिपों में भंडारण हानियां केवल डिस्टैकिंग के समय पर परिकलित की जाती हैं और यदि स्टैक को नष्ट नहीं किया जाता है तो कोई हानि संगणित नहीं की जा सकती।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया (जनवरी 1995) कि भंडारण हानियां बिक्री के समय अवधारित की जाती हैं और अधिक बिक्री वाले वर्षों में अधिक भंडारण हानि दर्ज की जाएगी। यद्यपि मोटे तौर पर यह सत्य है फिर भी 1992-93 में 99.0 लाख मी.ट. की बिक्री पर 1.43 लाख मी.ट. हानि की तुलना में 94.9 लाख मी.टन को जारी करने के प्रति 1993-94 में चावल के मामले में भा.खा.नि. को 1.50 लाख मी.टन की हानि हुई।

4.4 भण्डारण हानियों का विभिन्न खाद्यान्नो के संबंध में और विश्लेषण किया गया क्योंकि भण्डारण के दौरान गेहूं भारी हो जाता है। गेहूं, धान और चावल के लिए पिछले चार वर्षों में कमियों का विस्तार से ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(लाख मी.ट./करोड़ रुपए में)

पण्य	1990-91		1991-92		1992-93		1993-94	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
गेहूं	-0.24	-6.90	-0.09	-2.87	-0.13	-5.07	-0.30	-13.07
धान	0.37	14.71	0.30	12.64	0.24	12.14	0.36	21.46
(चावल के रूप में)								
चावल	1.03	37.90	1.57	63.40	1.43	66.53	1.50	79.55
जोड़	1.16	45.71	1.78	73.17	1.54	73.60	1.56	87.94

मात्रा और मूल्य दोनों के अनुसार 1991-92 में चावल की अपेक्षाकृत अधिक हानि हुई थी। यदि प्राकृतिक कारणों से भंडारण के दौरान गेहूं के भार द्वारा वेट में हुए लाभ को नहीं लिया जाय तो वास्तविक परिशुद्ध हानियां और अधिक होंगी।

4.5 भंडारण हानियों का क्षेत्रवार और अनाजवार विश्लेषण किया गया था। चूंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में भंडारण क्षमता निम्नतम है इसलिए इसे निम्नलिखित 3 तालिकाओं में पूर्वी क्षेत्र के साथ इक्ट्ठा कर दिया गया है:-

चावल (टनों में)

	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
उत्तरी क्षेत्र	60312	83178	90640	89185
दक्षिणी क्षेत्र	14456	27039	13540	24876
पश्चिमी क्षेत्र	14557	26082	23943	19164
पूर्वी क्षेत्र	13782	20468	14790	17226
जोड़	103107	156767	142913	150451

धान (टनों में)

	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
उत्तरी क्षेत्र	36399	28020	24005	35253
दक्षिणी क्षेत्र	516	1260	453	478
पश्चिमी क्षेत्र	50	104	6	--
पूर्वी क्षेत्र	187	549	143	136
जोड़	37152	29933	24601	35867

गेहूं (टनों में)

	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
उत्तरी क्षेत्र	-31774	-19467	-14580	-32559
दक्षिणी क्षेत्र	- 3771	- 2534	- 2556	- 2561
पश्चिमी क्षेत्र	- 3541	303	481	565
पूर्वी क्षेत्र	14642	12902	3827	5672
जोड़	-24444	- 8796	-12828	-30013

यह पाया गया कि सभी वर्षों के दौरान, पूर्वी क्षेत्र में गेहूं के लिए अधिकतम हानियां दर्ज की गयीं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऐसा हुआ है जबकि भंडारण के दौरान गेहूं भारी हो गया है और अन्य क्षेत्रों में सामान्यतया लाभ दर्शाया गया है।

चावल के मामले में उत्तरी क्षेत्र में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की गयी थी।

4.6 भारतीय खाद्य निगम ने जारी की गयी मात्राओं पर गेहूं के लिए 1%, चावल के लिए 1.5% और धान के लिए 2.5% हानि का प्रतिमान समस्त भारत के लिए निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रबन्धकों को पिछले अनुभव के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न डिपुओं के लिए और उनके अधीन कार्यकारी क्षेत्रों के सम्बन्ध में भंडारण हानि प्रतिमान निर्धारित करने हैं। क्षेत्रों और डिपुओं के लिए ये प्रतिमान अभी निर्धारित नहीं किए गए हैं।

मंत्रालय ने सूचित किया (जनवरी 1995) कि इस बात की आशंका थी कि यदि कमियों के लिए प्रतिमान निर्धारित किए गए तो वे बैंच मार्क बन जाएंगे और इसके कारण ऊंचे स्तर पर कमियां होंगी।

4.7 पिछले तीन वर्षों में क्षेत्रवार भंडारण हानियों के अध्ययन से पता चला कि गेहूं के सम्बन्ध में बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तथा चावल के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उड़ीसा और मध्यप्रदेश में भारी हानि हुई। तथापि ये हानियां निगम द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के भीतर थीं।

डिपोवार हानियों की समीक्षा से पता चला कि 52 विभिन्न डिपुओं में 1991-92 और 1992-93 वर्षों के दौरान गेहूं के लिए 1% से अधिक हानियां सूचित की गयी थीं। केवल इन दो वर्षों में इन डिपुओं में 103.44 लाख रुपए मूल्य का 3091 मी.ट. गेहूं नष्ट हुआ था।

चावल के मामले में भी 349 डिपुओं में भा.खा.नि. के 1.5% के प्रतिमान से अधिक हानियां सूचित की गयी थीं। 182 डिपुओं में 1991-92 में 69557 मी.ट. नष्ट हुआ था और 167 डिपुओं में 1992-93 में 35376 मी.ट. नष्ट हुआ था जिससे कुल 45.15 करोड़ रु. की भंडारण हानि हुई थीं।

4.8 पिछले चार वर्षों में भंडारण हानियों के सम्बन्ध में मिलर/एजेंटों, संभाल और परिवहन ठेकेदारों और कर्मचारियों से जो वसूलियाँ की गईं वे इस प्रकार थीं:-

वर्ष	राशि (लाख रुपए में)
1990-91	86.32
1991-92	60.73
1992-93	67.65
1993-94	253.13

उपरोक्त वसूलियों का समायोजन करने के बाद पिछले वर्षों की कमियों सहित 193.66 करोड़ रुपए लेखाओं में असमायोजित पड़े थे। पिछले चार वर्षों के लिए ब्यौरा इस प्रकार है:-

(31.3.1994 को)

लाख मी.ट./करोड़ रुपए में

	कुल कमियां		नियमित की गयीं		नियमन के लिए लम्बित	
वर्ष	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1990-91	1.16	45.86	1.15	40.97	0.01	4.89
1991-92	1.78	73.63	1.45	56.90	0.33	16.73
1992-93	1.55	74.40	1.07	48.70	0.48	25.70
1993-94	1.57	88.24	0.59	31.01	0.98	57.23

4.9 कतिपय भंडारण हानियां दुर्विनियोजन और चोरी के कारण हुई हैं जिनकी अनेक सतर्कता के मामलों के बावजूद वृद्धि हुई है।

दुर्विनियोजन और चोरी के कारण नष्ट हुए खाद्यान्नों का मूल्य 1990-91 में 154.73 लाख रुपए, 1991-92 में 87.95 लाख रुपए, 1992-93 में 91.54 लाख रुपए और 1993-94 में 290.38 लाख रुपए बनता था और यह कुल कमियों का एक हिस्सा था।

मंत्रालय ने सूचित किया (जनवरी 1995) कि हानि की प्रतिशतता कमी की प्रवृत्ति को दर्शाती थी जो 1991-92 में 0.39% से 1993-94 में 0.37% हो गयी थी और जांच करने तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए उपयुक्त उपाय किए गए हैं।

4.10 भा.खा.नि. को प्रतिवर्ष अग्नि दुर्घटनाओं और अन्य प्राकृतिक कारणों के परिणामस्वरूप अत्यधिक हानि होती है। निगम को 1989-90 से 1993-94 तक पांच वर्ष की अवधि के दौरान इसके कारण 148.97 लाख रुपए के अनुमानित मूल्य के स्टाक की हानि हुई जैसा नीचे दर्शाया गया है:-

(लाख रुपए में)

वर्ष	हानि
1989-90	35.00
1990-91	28.14
1991-92	शून्य
1992-93	85.83
1993-94	शून्य

4.11 कमियों, चोरी, दुर्विनियोजन और प्राकृतिक आपदाओं के अलावा भंडार में रखे हुए खाद्यान्नों की क्षति और उनके खराब होने के कारण घटिया भंडारण प्रबन्धन का भी पता चला। अपर्याप्त रोगनिरोधी उपचारों, अधिक स्टाक और सम्भलाई तथा परिवहन ठेकेदारों के अभाव जैसे नियंत्रणीय घटकों के कारण स्टाक को हानियां हुईं। प्रतिमान से अधिक ऐसी हानियों के कुछ मामलों का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है:

क्र.सं.	डिपो का नाम	हानि की अवधि	मात्रा मी.ट.में	मूल्य लाख रु. में	प्रतिशतता	कारण
1.	अमाडलवाल्सा (आन्ध्र प्रदेश)	1992-93	958	59.12	2.27	घटिया रोगनिरोधी उपचार अधिक स्टाक
2.	मियाल्गुडा (आन्ध्र प्रदेश)	1993-94	287	14.24	1.84	धूमकों की अनुपलब्धता
3.	जंगालापल्ली (आन्ध्र प्रदेश)	1990-91	1043	34.67	1.91	जन्तुबाधा, दीर्घ भंडारण वजन तोलने के विभिन्न तरीके

4.12 भेजे जा रहे घटिया प्रकार के अनाजों के कारण भी हानियां हुईं। ऐसे मामलों का पता लगाने और उनमें सुधार करने के लिए भा.खा.नि. ने परेषिती के गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग द्वारा गुणवत्ता के निर्धारण के 21 दिनों के अन्दर परेषक और परेषिती द्वारा संयुक्त जांच निर्धारित की है। अवमानक अनाज की बिक्री की जानी होती है और स्टाक प्राप्ति के 10 सप्ताह के भीतर अंतिम हानि निर्धारण विवरणी पूरी की जानी चाहिए।

इन पद्धतियों के अनुपालन के कुछेक मामलों का नीचे ब्यौरा दिया गया है:

i) अप्रैल 1987 में संगरूर डिपो में 797.106 मी.ट. गेहूं को भारी मात्रा में जन्तुओं से नष्ट पाया गया। मार्च 1988 और मई 1988 में स्टाक को जानवरों के चारे के रूप में बेचने के दो प्रयास सफल नहीं हुए क्योंकि क्रेताओं ने इसे जानवरों के चारे के लिए भी उपयुक्त नहीं पाया। क्षतिग्रस्त स्टाक को अंत में 12.18 लाख रुपए की हानि पर 1988-89 और 1989-90 के दौरान बेच दिया गया। उत्तरदायित्व निर्धारित करने के विचार से एक जाचं का आदेश दिया गया (अगस्त 1988) और फरवरी 1989 अर्थात् एक साल के बीतने के बाद जांच की गयी। जांच रिपोर्ट को अधूरा माना गया और मार्च 1991 में 2 वर्षों के विलम्ब के बाद एक अन्य जांच का आदेश दिया गया। इसे प्रगति में बताया गया है (मार्च 1994)। इस प्रकार 7 वर्षों के बीतने के बाद भी 12.18 लाख रुपए की हानि के लिए कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया है।

ii) कुराली भंडार डिपो (मई 1990) के मिदनापुर को आम चावल के 11306 बैग भेजे। मिदनापुर में केवल 10147 बैग प्राप्त किए गए थे और बाकी बैग पालघाट, केरल में प्राप्त किए गए थे। परेषिती ने अवमानक कोटि के बारे में शिकायत की और अनन्तिम हानि निर्धारण विवरणी दाखिल की। जून 1993 तक कोई संयुक्त जांच नहीं की गयी थी। परेषिती ने 11.01 लाख रुपए के लिए सितम्बर 1993 में अंतिम हानि निर्धारण विवरणी प्रस्तुत की। मार्च 1994 तक अवमानक स्टाक के लिए वहन और वित्तपोषित करने की लागत 18.07 लाख रुपए थी। यदि पालघाट को भेजे गए स्टाक पर हानि को भी हिसाब में लिया जाता है तो हानि बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त संयुक्त जांच की प्रणाली का अनुसरण नहीं किया गया था और अवमानक कोटि के अनाज भेजने के लिए भी उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया था।

iii) इसी प्रकार 23 अप्रैल 1991 को 2052 मी.टन वजन वाले बहुत बढ़िया चावल के 21990 बैग मच्छीवाड़ा (पंजाब) से गोरखपुर (उ.प्र.) में प्राप्त किए गए थे। यद्यपि गुणवत्ता शिकायत 26 अप्रैल 1991 को दर्ज की गयी थी फिर भी संयुक्त जांच नहीं करायी गयी है और परिषिती ने अंतिम हानि निर्धारण विवरणी तैयार नहीं की है। अंतिम हानि निर्धारण विवरणी के अभाव में तीन वर्ष से अधिक समय के बीत जाने पर भी कोई बट्टे खाते डालने का प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किया गया। अक्तूबर 1991 में अनन्तिम हानि निर्धारण विवरणी के अनुसार हानि 84.13 लाख रुपए थी।

iv) अवमानक कोटि के रूप में मोगा, पंजाब से मार्च और अप्रैल 1992 में अबादी में प्राप्त 3408 मी.ट. चावल की प्रमात्रा अभी भी बिक्री के लिए पड़ी है। इस पर पहले आयी 15.23 लाख रुपए की परिवहन लागत के अलावा भारी वहन लागत आयी है।

v) अक्तूबर 1988 में कपूरथला (पंजाब) से देहरादून में प्राप्त 948 मी.ट. बहुत बढ़िया कच्चे चावल को अत्यधिक सम्मिश्रण और खराब दिखाई देने के कारण अवमानक पाया गया। परेषक के प्रतिनिधि के न होने के कारण संयुक्त जांच नहीं की गयी। इसे मात्र नवम्बर 1993 में बेचा गया। परिणामतः परिहार्य भंडारण और प्रशासनिक व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त इसकी बिक्री पर 7.08 लाख रुपए की हानि हुई।

4.13 निगम को अन्य क्षेत्रों से प्राप्त स्टाक के सम्बन्ध में न केवल मात्रा और गुणवत्ता में बल्कि क्षेत्रों के अन्दर भेजे गए अनाजों के सम्बन्ध में भी भारी हानि उठानी पड़ी थी। ऐसे अवमानक स्टाकों, जो पी.डी.एस. को जारी नहीं किए गए हैं, की नीलामी की जानी है।

कतिपय उदाहरण नीचे दिए जाते हैं:

i) लुधियाना जिले में कई खाद्य भंडार डिपुओं में संचयित 8794 मी.ट. अवमानक कोटि चावल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण के लिए अनुपयुक्त (मार्च 1986) घोषित किया गया था। एक समिति ने अवधारित किया (मई 1986) कि 8794 मी.ट. में से 4495 मी.ट. बहुत बढ़िया चावल और 1841 मी.ट. आम चावल उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं था। दिसम्बर 1986 में अवमानक स्टाक के बिक्री किए जाने के समय 181.80 लाख रुपए मूल्य के 6274 मी.टन चावल पर मात्र 98.27 लाख रुपए मिले जिसके परिणामस्वरुप 83.53 लाख रुपए की हानि हुई।

ii) सितम्बर 1990 में मोकमेहडिपो, बिहार के पास 39501 मी.ट. का स्टाक था जिसमें से 33750 मी.ट. को अक्तूबर 1990 और सितम्बर 1991 के बीच कुल बिक्री कम होने के कारण घटिया ग्रेड का बताया गया था। घटिया ग्रेड के स्टाक में से 2599 मी.ट. पी.डी.एस. को जारी किया गया था और 29173 मी.ट. को खुले बाजार में बेचा गया था। 1978 मी.ट. की बची हुई प्रमात्रा को भंडारण हानि के रुप में माना गया था। चूंकि खाद्यान्न घटिया स्तर का था इसलिए खुली बिक्री कम कीमत पर की गयी थी। कम कीमत के कारण 43.76 लाख रुपए और भंडारण हानि के कारण 53.38 लाख रुपए की हानि हुई थी।

iii) अप्रैल 1988 तक उड़ीसा क्षेत्र में 12 वर्षों की अवधि में 3994 टन धान का संचय किया गया था। 3717 मी.ट. धान की नीलामी द्वारा बिक्री के परिणामस्वरुप 49.79 लाख रुपए की हानि हुई जिसमें 273 मी.ट. भंडारण कमी के प्रति हानि शामिल है।

iv) जिला कार्यालय पुरुलिया ने 1984-85 में 3771 मी.ट. धान की मात्रा अधिप्राप्त की थी। इस मात्रा में से धान का पेषण किए बिना या इसकी बिक्री किए बिना 3398 मी.ट. को 6 वर्षों के लिए रोक दिया गया था। 3105 मी.ट. की आरक्षित कीमत की बजाय 22.67 लाख रुपए तक कम कीमत पर निविदाओं के माध्यम से बिक्री की गयी थी। 3.81 लाख रुपए मूल्य की 271 मी.ट. मात्रा को भंडारण हानि के रुप में घोषित किया गया था। छः वर्षों तक धान को लम्बे समय तक रखने के कारण भा.खा.नि. को 26.48 लाख रुपए की निधियों

का अन्तर्वाह छोड़ना पड़ा था। इसके अतिरिक्त छः वर्षों के लिए स्टाक के वहन में भंडारण परिवहन और प्रशासनिक लागतें की गयी थीं। यद्यपि इन लागतों का निर्धारण नहीं किया गया था, गोदाम के लिए किराया, जहां धान को रखा गया था, 17.54 लाख रुपए बनता था। पूर्णरूप से परिहार्य हानि 44.02 लाख रुपए से अधिक थी।

v) कोची (केरल क्षेत्र) के विभिन्न डिपुओं में 1984 से 1989 के दौरान प्राप्त की गयी 3848 मी.ट. की मात्रा की पांच से आठ वर्षों की अवधि के बाद बिक्री की गई थी। अवमानक क्षतिग्रस्त के रूप में स्टाक का पता लगाने के लिए 1 से 2 वर्षों के बीच पर्याप्त समय लिया गया था। इसके अतिरिक्त ऐसे स्टाकों की बिक्री में पता लगने के बाद 20 से 79 महीनों के बीच विलम्ब हुआ था। भा.खा.नि. ने स्टाक की वहन लागत में 124.12 लाख रुपए का व्यय किया और लम्बे भंडारण के कारण कोटि में और खराबी के कारण 48.39 लाख रुपए की हानि हुई थी।

4.14 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय (खाद्य विभाग) के कतिपय प्रतिमानों का अनुपालन करने के बाद अवमानक चावल की बिक्री करने के लिए भा.खा.नि. को शक्तियों का प्रत्यायोजन किया (अप्रैल,1986)। निगम को इस प्रकार बेचे गए अवमानक चावल के पूरे ब्यौरे देते हुए एक तिमाही रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत करनी थी। भा.खा.नि. की शक्तियां समय-समय पर बढ़ाई जानी थीं और अगस्त 1992 में मंत्रालय ने खाद्यान्नों के अवमानक स्टाक की बिक्री के लिए इसे पूरी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया था।

1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए अवमानक चावल की बिक्री की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया था कि बिक्री के लिए आंतिरक अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब हुआ था और अनुमोदन को दिए जाने के बाद वास्तविक बिक्री में विलम्ब हुआ था। ऐसे विलम्बों के परिणामस्वरुप लम्बे भंडारण, भंडारण प्रभारों और ब्याज प्रभारों के कारण बढ़ती हुई विकृति के कारण 3242.39 लाख रुपए तक हानियां हुई थीं।

4.15 भंडारण हानियों को छुपाने के लिए कुछ डिपुओं में प्राप्ति के समय पर कम वजन पर स्टाक दर्शाया गया था। इस प्रकार असामान्य मार्गस्थ हानियाँ दर्शायी गयीं थीं जबकि उसी परेषण के लिए बाद की तारीख में भंडारण लाभ देखा गया था। 1992 में इन्दौर डिपो में प्राप्त स्टाक के ऐसे कुछ दृष्टांतों का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है:-

(i) इन्दौर (अप्रैल 1992) में प्राप्त गेहूं के एक परेषण पर 2.21% मार्गस्थ हानि दर्ज की गयी थी। उपरोक्त परेषण से निर्मित छोटे टाल में 143% असामान्य भंडारण लाभ दर्ज किया गया था।

(ii) मोगा (मई 1992) से प्राप्त गेहूं के एक टेक में 1.37% की मार्गस्थ हानि दर्ज की गयी थी। उपरोक्त परेषण से बनाए गए टाल के 3 से 4 महीनों के भंडारण के बाद 0.63 से 10.64 क्वंटिल का भंडारण लाभ दर्शाया गया।

(iii) अजीतवाल (अगस्त 1992) से प्राप्त एक रैक में 2.27% की हानि दर्ज की गयी थी। इस परेषण से बनाए गए आठ टालों में 1.80 से 13.40 क्विंटिल का भंडारण लाभ दर्ज किया गया था।

4.16 अस्थायी और मार्गस्थ शैडों में भंडारण के कारण भारी हानियां भी हुई थीं। खाद्य भंडारण डिपो सीवरी में प्राप्त स्टाक अस्थायी शेडों में भंडारित किए गए थे। परिणामतः काफी हानि हुई जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

अवधि	रखी गयी मात्रा (मी.ट.)	दिनों में भंडारण अवधि	हानि (मी.टन)	हानि की प्रतिशतता
सितम्बर 1991	2891	20	83	2.87
अक्तूबर 1991	2540	11 से 17	75	2.95
जनवरी 1992	5740	6 से 28	138	2.40

भा.खा.नि. ऐसे स्थायी गोदाम, जिसके पास उपरोक्त स्टाकों को रखने की क्षमता थी, को स्टाकों का अन्तरण करके हानियों से बच सकता था/ इन्हें कम कर सकता था।

4.17 भा.खा.नि. के मामले में स्टाकों का समय समय पर प्रत्यक्ष सत्यापन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि स्टाक पूरे देश में भेजे जाते हैं और 1500 से अधिक गोदामों तथा प्लिन्थ में इनका भंडारण किया जाता है और भा.खा.नि. की 80% परिसम्पत्तियां भी खाद्यान्नों के रुप में होती हैं। अत्यधिक आवश्यकता के बावजूद भा.खा.नि. ने कार्य की इस महत्वपूर्ण मद पर कम ध्यान दिया है। प्रत्येक वर्ष भा.खा.नि. के वार्षिक वित्तीय लेखाओं में धारित स्टाक के मूल्य के सम्बन्ध में कई प्रतिबन्ध शामिल होते हैं। लेखाओं के प्रति ऐसे प्रतिबन्ध की, स्थायी और प्रचुर होते है।

मंत्रालय ने सूचित किया (जनवरी 1995) कि वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन कराने में पहले ही सुधार किए जा चुके थे और 52 देशों में एक कम्पार्टमैंट के 100% वेमैंट कराने के लिए जेड एम एस/एस आर एम एस को निदेश दिया गया था। इसके अतिरिक्त स्टाक धारकों के अलावा व्यक्तियों द्वारा मार्च 1994 में प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था। मार्च 1995 में वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन करने के लिए इसी प्रकार के अनुदेश जारी किए जा रहे थे।

5. मार्गस्थ हानियां

5.1 मार्गस्थ हानियां खाद्यान्नों के भेजने के समय वजन और प्राप्त वजन के बीच अन्तर की द्योतक है। रेल,सड़क या स्टीमर द्वारा निरपवाद रुप से लम्बी दूरी में खाद्यान्नों की कुछ मात्रा की हानि होती है। ऐसी हानियां प्राप्त कर्ता डिपुओं द्वारा परेषणों की प्राप्ति पर गन्तव्य स्थानों पर समग्र रुप से अवधारित की जाती है। पिछले चार वर्षो में गेहूं, चावल के रुप में धान और चावल के सम्बन्ध में ऐसी हानियों की मात्रा इस प्रकार थी :

	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	जोड़
संचलन (लाख टन)	206.60	219.20	210.37	214.77	850.94
मार्गस्थ कमी (लाख टन)	3.44	4.12	3.48	2.61	13.65
कमी की %	1.67	1.88	1.65	1.21	1.60
मूल्य (करोड़ रुपए में)	110.27	146.53	149.73	126.26	532.79

इन हानियों में गुम हुए वैगनों, जो निपटान के लिए रेलवे के पास लम्बित हैं, के कारण हुई हानियां शामिल नहीं हैं ।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 1995) कि 1991-92 के दौरान अधिक हानियां पुराने स्टाक के संचलन के कारण हुई। इसने आगे बताया कि हानियों में कमी की प्रवृत्ति दर्शायी गयी है जो लदान और उतराई स्थानों पर चार इनमोशन इलेक्ट्रानिक वे ब्रिज के प्रतिष्ठापन, मशीन स्टिचिगं,निरन्तर स्कवाड जांच आदि के कारण रही ।

5.2 बी आई सी पी अध्ययन (जून 1990) के अनुसार भा.खा नि को मार्गस्थ हानियां भडांरण हानियों से काफी अधिक होना असामान्य बात है जो कि अनुमानत: इस कारण है क्योंकि मार्गस्थ हानियों के लिए उत्तर दायिव निर्धारित नहीं किया जा सकता । इसने आगे बताया,

"सबसे पहला और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि भा खा नि द्वारा अपनी बहियों में अवधारित की गयी और हिसाब में ली गयी मार्गस्थ हानियों और भडांरण हानियों केरुप में अनाज की हानियों का ब्यौरा सुस्पष्ट नहीं है और इस पर संदहे और प्रश्न उत्पन्न होता है। विभिन्न संभाल स्थानों पर खाद्यान्नों का वजन तौल पूर्ण रुप से,क्रम से और कर्त्तव्यनिष्ठ होकर नहीं किया जा रहा है। वेब्रिज के रुप में सुस्पष्ट भारतौलन सुविधाएं

विभिन्न भडांरण डिपुओं में मुहैया नहीं करायी गयी हैं। भंडारण हानियों के लिए जवाबदेही से बचने के लिए निर्गम के समय के वजन को प्राप्त किए गए वजन के रुप में स्वीकार किया जाता है और निर्गम के समय के वजन तथा प्रेषण के समय से वजन के बीच समस्त अन्तर को मार्गस्थ हानि के रुप में दर्शाया जाता है और कोई भंडारण हानि नहीं दर्शायी जाती। भंडारण हानि को कम बताने और मार्गस्थ हानि को अधिक बताने, ताकि अनाज की हानियों के लिए रेलवे पर अधिक उत्तरदायित्व डाला जाए, की प्रथा से मौजूदा गठन के अन्तर्गत इन्कार नहीं किया जा सकता। सामान्यतया ऐसा विश्वास किया जाता है कि भा.खा.नि. द्वारा विभिन्न प्रेषक स्थानों पर काफी कम लदान किया जाता है।"

5.3 चार वर्षों में क्षेत्रवार हानियों के अध्ययन से पता चला कि सभी वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर सीमांत सहित पूर्वी क्षेत्र में गेहूं और चावल के लिए सभी वर्षों में अधिकतम हानियां दर्ज की गयीं। 1990-91 में उत्तरी क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में भी ये हानियां ऐसी हानियों के लिए निगम द्वारा निर्धारित प्रतिमान, 1 प्रतिशत से अधिक रहीं जैसा कि नीचे दर्शायी गयी हानियों की क्षेत्रवार प्रतिशतता से देखा जा सकता है:-

	गेहूं				चावल			
	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
उत्तर	0.94	1.52	1.40	0.75	1.52	1.67	1.75	0.66
दक्षिण	1.61	1.58	1.20	1.03	1.56	1.67	1.34	1.26
पश्चिम	1.48	1.61	1.26	0.77	1.74	1.99	1.69	1.52
पूर्व	2.17	2.45	2.02	1.68	2.24	2.39	2.65	2.23
औसत	1.56	1.84	1.51	1.06	1.80	1.94	1.78	1.38

मंत्रालय ने सूचित किया (जनवरी 1995) कि यानान्तरण, औद्योगिक सम्बन्ध समस्याएं तथा पूर्वी जोन और पूर्वोत्तर सीमांत जोन में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति मार्गस्थ हानियों के लिए उत्तरदायी थे तथा भा.खा.नि. द्वारा किए गए प्रभावी उपायों के कारण ही समग्र हानियों में कमी की प्रवृत्ति दर्शाई गई है। अन्य क्षेत्रों में भारी हानियों का भी उत्तर में जिक्र नहीं किया गया है।

5.4 पिछले तीन वर्षों में क्षेत्रवार मार्गस्थ हानियों के अध्ययन से पता चला कि जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कलकत्ता पत्तन, असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल को गेहूं के लिए भारी हानियां उठानी पड़ी थीं। चावल के मामले में जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, कलकत्ता पत्तन, असम और बिहार को सभी वर्षों में भारी हानियां उठानी पड़ी थीं। तमिलनाडु को पहले दो वर्षों में और पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र को केवल 1992-93 में अत्यधिक हानियां उठानी पड़ी थीं।

5.5 1991-92 और 1992-93 के दौरान डिपोवार हानियों की समीक्षा से पता चला कि गेहूं के मामले में 207 और 230 डिपुओं को 59.29 करोड़ रुपए मूल्य के क्रमशः 112817 मी.टन और 67372 मी.टन की हानि हुई थी। ये भा.खा.नि. के 1% के प्रतिमान की तुलना में इन दो वर्षों के दौरान 2.17% और 2.06% की मार्गस्थ हानि की द्योतक थीं। चावल के मामले में, इन दो वर्षों में 187 और 212 डिपुओं में प्रतिमान (1%) से अधिक हानियां दर्ज की गयी थीं। मात्रा के अनुसार यह 109.77 करोड़ रुपए मूल्य पर 133079 मी.टन और 117519 मी.टन थी। यह क्रमशः 2.36% और 2.37% की हानि का द्योतक था। इस प्रकार दो वर्षों में गेहूं और चावल दोनों के लिए मार्गस्थ कमियों के रूप में निगम को 169.06 करोड़ रुपए की हानि उठानी पड़ी थी। उपरोक्त डिपुओं में से गेहूं के लिए 136 डिपुओं और चावल के लिए 130 डिपुओं को दोनों वर्षों में प्रतिमान से अधिक हानियां उठानी पड़ी थीं। प्रतिमानों से अधिक हानियां उठाने वाले डिपुओं की संख्या बढ़ रही है और इस समस्या पर नियंत्रण रखने के लिए भा.खा.नि. ने उपयुक्त कार्रवाई नहीं की है।

5.6 यह ध्यान में आया था कि एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र विशेषकर प्राप्तकर्ता क्षेत्रों (पंजाब तथा हरियाणा) से उपभोग करने वाले क्षेत्रों तक खाद्यान्नों के संचलन पर काफी मार्गस्थ हानियां उठानी पड़ी थीं। इस प्रकार के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:-

i) बंगलौर और हुबली जिलों में 1990-91 से 1992-93 वर्षों के दौरान पंजाब से प्रेषित चावल और गेहूं दोनों के मामले में भारी मार्गस्थ हानियां पंजीकृत की गयी थीं। हानियों की अधिकता अमृतसर से किए गए प्रेषणों के सम्बन्ध में 9.83% थी। 534.20 लाख रुपए मूल्य की 14902 मी.टन की मात्रा इस प्रकार नष्ट हुई।

ii) जिला कार्यालय, मदास में 1990-91 से 1992-93 के दौरान 5.54% से 10.56% के बीच हानियां दर्ज की गयी थीं। इन हानियों में से अधिकतर हानियां पंजाब से किए गए प्रेषणों पर हुई थीं। 1990-91 के दौरान माखू (पंजाब) से अराकोनम और सेवूर में प्राप्त चावल क्रमशः 9.31% और 8.31% तक कम था। इसी प्रकार गेहूं के मामले में अबादी और अराकोनम डिपुओं में क्रमशः 7.09% और 6.73% की मार्गस्थ हानियां दर्ज की गयी थीं।

iii) तमिलनाडु में कोयम्बटूर डिपो में मार्च 1991 में 6.15 लाख रुपए मूल्य के 256.225 मी.टन की हानि दर्ज की गयी थी जिसमें 3.14 लाख रुपए मूल्य के 1377 पूरे बैगों की कमी शामिल थी। इसी प्रकार उसी महीने में चावल के सम्बन्ध में 6.74 लाख रुपए की मार्गस्थ हानियां उठाई गई थीं।

iv) आंध्र प्रदेश क्षेत्र में मिरयालगुडा, विशाखापतनम, रेनीगुंटा एवं जंगालपल्ली डिपुओं में 1990-91 से 1993-94 वर्षों के दौरान पूर्व पंजाब से प्राप्त स्टाकों पर 42.98 लाख रुपए मूल्य की हानियां सूचित की गयी थीं।

v) पूर्व और पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्रां में भी सात जिला कार्यालयों में 1989-90 से 1993-94 की अवधि के बीच 904.77 लाख रुपए की हानियां दर्ज की गयी थीं। इस प्रकार नष्ट हुई मात्रा में 5966 मी.टन गेहूं 19486 मी.टन चावल और 132 मी.टन चीनी शामिल थी।

vi) बम्बई और बड़ौदा में प्राप्त माखू (पंजाब) के स्टाकों में अप्रैल/मई 1991 में 33.05 लाख रुपए मूल्य की हानियां दर्ज की गयी थीं। ये चावल में 8.4% और गेहूं में 19.02% तक पहुंच गयी थीं। इसी प्रकार भड़ौच में पूर्व माखू/जाखल (मई 1992) से प्राप्त गेहूं के स्टाक में हानि दर्ज की गयी जो 6.09% और 7.39% के बीच थी और 6.11 लाख रुपए बनती थी। जनवरी 1992 से मार्च 1992 के दौरान साबरमती और हापा में प्राप्त पूर्व पटियाला स्टाकों में हानियां दर्ज की गयीं जो 18.29 लाख रुपए बनती थीं। अप्रैल 1992 में जबलपुर में प्राप्त पूर्व संगरुर के स्टाकों में 5.31 लाख रुपए की हानि दर्ज की गयी थी।

vii) पूर्व धुरी से प्रेषित और भोपाल से पुनः बुक किए गए बहुत बढ़िया धान को के.भा.नि. खांडवा (अक्तूबर 1990) में प्राप्त किया गया था। निकाली गयी हानि 9.59% थी और यह 6.08 लाख रुपए की बनती थी। स्टाक प्लेटफार्म पर 15-20 दिनों के लिए पड़ा रहा। वर्षा, चोरी और तथ्यों के प्रकटन के कारण हुई हानियों को मार्गस्थ हानियों के रुप में माना गया था। भा.खा.नि. के जोनल स्कवाड में भी यह पाया गया था कि खांडवा में कम वजन तौलन के कारण के.भा.नि. खांडवा में हानियां मध्यप्रदेश में अन्य गोदामों से अधिक थीं।

viii) देहरादून और ऋणिकेश में प्राप्त जंडियाला (पंजाब) से स्टाक में हानियां 19.7% और 20.8% के बीच दर्ज की गयी थीं जो 10.80 लाख रुपए की बनती थीं। यद्यपि प्राप्तकर्ता क्षेत्र द्वारा कम प्राप्ति सूचित की गयी थी तथापि प्रेषण क्षेत्र द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

ix) हापुड़, कानपुर, मुरादाबाद और झांसी जिला कार्यालयों में 1993-94 के दौरान 3.2% और 13.2% के बीच मार्गस्थ कमियां पायी गयी थीं। मार्गस्थ हानियां 51.11 लाख रुपए बनती थीं।

x) पंजाब से दिल्ली क्षेत्र, जहां अर्न्तग्रस्त दूरी बहुत अधिक नहीं थी, तक 1990-91 से 1992-93 के दौरान खाद्यान्नों के संचलन में 2.75% से 3.32% तक भारी मार्गस्थ हानियां देखी गयी थीं।

मंत्रालय ने सूचित किया (जनवरी 1995) कि दोषी कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने और प्रणाली में कमियों को दूर करने के लिए अधिक मार्गस्थ हानि के प्रत्येक मामले की जांच की जा रही थी और रेल हैड पर प्राप्तियों का सूक्ष्म मानीटरन तथा उतराई प्रचालन की अचानक जांच भी की जा रही थी।

5.7 रेल द्वारा संचरण में मार्गस्थ हानियों के अलावा आयातों, विशेषकर दिसम्बर 1992 के दौरान कनाडा का गेहूं, के आयातों की संभलाई के समय भी भारी हानियां पाई गई थीं। भारत में पहुंचने पर, 123556 मी.टन गेहूं को ले जाने वाले पोत को विभिन्न भारतीय पत्तनों को परिवहन के लिए सात डाटर वैसल में खाली कर दिया गया था। ड्राफ्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इन सभी सात पोतों में से 124311 मी.टन उतारा गया जिसके

प्रति भा.खा.नि. ने केवल 120927 मी.टन की प्राप्ति दर्ज की थी। इस प्रकार 151.66 लाख रुपए मूल्य वाले 2629 मी.टन की निम्नतम समग्र कम प्राप्ति हुई। पोतवणिकों के प्रति कोई दावा नहीं किया गया क्योंकि सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जो उतारा गया था वह प्राप्य से अधिक था। सात डाटर वैसल से कमी के कारणों की जांच नहीं की गयी थी।

5.8 निगम को राइवराइन मूवमैंट में भी 5.77% की भारी मार्गस्थ हानियां उठानी पड़ी थीं। करार के अन्तर्गत अनुमत 0.25% से अधिक हानि का कुल मूल्य दिसम्बर 1987 से फरवरी 1991 के दौरान पंडुपत्तन पर 105.29 लाख रुपए था। कलकत्ता पत्तन पर केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम (के अ ज प नि) को दिए गए खाद्यान्न बैग गैर मानक बैगों में थे और ऐसे बैगों के 100% वजन तौलन का करार में कोई प्रावधान नहीं था। इसके अभाव में के अ ज प नि को किसी मार्गस्थ हानि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सका था।

मंत्रालय (फरवरी 1995) के अनुसार परिवहन की शर्तों में मई 1993 से संशोधन किया गया था जिसमें खाद्यान्नों को देते और लेते समय 100% वजनतौलन का प्रावधान था और चूंकि के अ ज प नि मार्गस्थ हानि की प्रतिशतता में 0.5% से 2% तक परिवर्तन करना चाहता था अत: शर्तों के बदलने में विलम्ब किया गया था।

5.9 अन्तर्क्षेत्रीय संचलन में भी मार्गस्थ हानियां अत्यधिक थीं। यह ध्यान देने योग्य है कि सामान्यतया ऐसे संचलन थोड़ी दूरी पर और आमतौर पर सड़क द्वारा किए गए थे। इसलिए ऐसे प्रेषणों की परिस्थितियां लम्बी दूरी में अधिप्राप्ति केन्द्रो से एक मुश्त संचलन की बजाय हानियों को घटाने या उसमें कमी करने में अधिक सहायक थीं।

1992-93 के दौरान आंध्रप्रदेश में खम्मन, मिरयालगुडा और टेडपल्लीगुडम से तमिलनाडु क्षेत्र में इगमौर/अबादी डिपो को भेजे गए चावल में 6.33 लाख रुपए की हानि हुई थी जो प्रेषित कुल मात्रा के 1.06% से 2.84% की द्योतक थी।

5.10 अर्न्तक्षेत्रीय संचलन को भी मार्गस्थ हानियां उठानी पड़ी थीं। मद्रास और बंगलौर में जिला कार्यालयों में 1990-91 और 1991-92 वर्षों के दौरान 64.03 लाख रुपए मूल्य के 1858 मी.टन चावल की कुल मार्गस्थ हानि दर्ज की गयी थी। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश क्षेत्र में अप्रैल 1991 से मार्च 1993 के दौरान 4.49% तक क्षेत्र के भीतर संचलन पर 21.22% लाख रुपए की हानि हुई।

5.11 भा.खा.नि. ने केवल कुछ मार्गस्थ हानियों को नियमित किया और आर्थिक सहायता मांगी। मार्गस्थ एवं भंडारण के लिए अनियमित कमियां 31.3.1994 को 774.04 करोड़ रुपए थीं। इनमें से कुछ हानियां 1980-81 से सम्बन्धित हैं। चूंकि निगम को नकदी प्राप्त होती है इसलिए इन कमियों के नियमन में विलम्ब के परिणामस्वरुप आर्थिक सहायता की प्राप्ति में स्थगन हुआ और प्रतिवर्ष 15.50% की दर पर ब्याज के रुप में

प्रतिवर्ष 119.98 करोड़ रुपए की हानि हुई। भारत सरकार केवल जांच के बाद हानियों के नियमन पर बल देती है। ऐसे बलदेने का उद्देश्य अनुशासन को बढ़ाना है और मार्गस्थ तथा भंडारण हानियों को कम करना है। तथापि भा.खा.नि. इन आवश्यकताओं का मुकाबला करने में में सक्षम नहीं था और इसलिए इन हानियों की 1980 से भरपाई नहीं हो पाई है।

5.12 मार्गस्थ एवं भंडारण हानियों पर नियंत्रण करने के विचार से ताकि आर्थिक सहायता बिल पर नियंत्रण किया जाए, बी आई सी पी रिपोर्ट में 25 अनुशंसा की सूची बनाई गई थी। दिसम्बर 1987 में प्रबन्ध निदेशक की 15 मुद्दों वाली कार्य योजना में अन्य प्रशासनिक उपाय भी बताए गए थे। वृहत रुप से ये गुणता विनिर्देशनों में खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, मानकीकृत बैगों में पैकिंग, उचित वजन तौलन, गिरने में कमी, प्राकृतिक प्रकिया के कारण हानियों के परिहार, आवधिक रोगनिरोधी उपायों, वेगनों के साथ मार्गरक्षी भेजने, अचानक जांच करने, सी ए पी स्टोरेज के समापन, प्राप्ति और निपटान के समय पर स्टाकों के लेखांकन, अपवादात्मक रुप से खराब स्थिति वाले डिपुओं के मानीटरन, डिपुओं की आवधिक जांच, केन्द्रीय औद्योगिक सतर्कता बल को लागू करने आदि के साथ सम्बन्धित थे। इसके बावजूद भंडारण और मार्गस्थ हानियों पर नियंत्रण नहीं किया गया है। वे 1990-91 में 155.98 करोड़ रुपए से बढ़कर 1993-94 में 214.20 करोड़ रुपए हो गयीं।

मंत्रालय ने सूचित किया (जनवरी 1995) कि भा.खा.नि. ने अधिकतर बी आई सी पी अनुशंसा को स्वीकार कर लिया है और कई उपाए किए हैं। परिणामतः दोनों प्रकार की हानियों में कमी की प्रवृत्ति है।

6. निर्माण कार्य प्रबन्धन

6.1 भा.खा.नि. प्रत्येक वर्ष दो मौसमों में खाद्यान्न की अधिप्राप्ति करता है। इसलिए भंडारण क्षमता की आवश्यकता को वर्ष के दौरान धारित अधिकतम स्टाक तक सीमित करना चाहिए। उपलब्ध भंडारण क्षमता के साथ पिछले चार वर्षों में धारित अधिकतम स्टाक की तुलना से पता चलता है कि दोनों का उचित रुप से सामंजस्य नहीं किया गया था। अधिकतम स्तर क्षमता आवश्यकता से काफी अधिक थी। ब्यौरा निम्न प्रकार है:

(लाख टनों में)

वर्ष	अधिकतम स्टाक (पहली जुलाई)	अधिकतम स्तर क्षमता पहली जुलाई
1990-91	131.45	200.79
1991-92	144.15	227.90
1992-93	104.10	195.40
1993-94	174.45	220.52

6.2 आठवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान वांछित भंडारण क्षमता की समीक्षा करते समय योजना आयोग के कार्यकारी ग्रुप ने यह मत व्यक्त किया था कि माइक्रो स्तर पर कोई अतिरिक्त क्षमता अपेक्षित नहीं थी और माइक्रो स्तर पर क्षेत्रीय और अवस्थिति सम्बन्धी असमानताओं को सही करने के लिए मार्च 1995 के अंत तक 8.23 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता अपेक्षित थी। इसमें से 2.71 लाख मी.टन के फैले हुए कार्य के अतिरिक्त भा.खा.नि. का भाग 4.23 लाख टन बनता था जिससे कुल क्षमता बढ़ोतरी 6.94 लाख मी.टन बनती थीं। तदनुसार भा.खा.नि. ने मंत्रालय को सलाह दी कि आवृत्त क्षमता को मार्च 1995 के अंत तक 126.30 लाख मी.टन तक बढ़ाया जाना चाहिए जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1.4.90 को क्षमता	119.36 लाख टन
फैले हुए कार्य	2.71 लाख टन
अतिरिक्त निर्माण कार्य	4.23 लाख टन
कुल आठवीं योजना अवधि	126.30 लाख टन

तथापि चूंकि योजना अवधि को 1990-95 से बढ़ाकर 1992-97 तक कर दिया गया था भा.खा.नि. ने मार्च 1997 के अंत तक 10 लाख मी.टन की अतिरिक्त क्षमता का सुझाव दिया था। इसे अभी अनुमोदित किया जाना है। प्रबन्धन ने स्वीकार किया (जनवरी 1995) कि यद्यपि इसने 177 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 10 लाख मी.टन की अतिरिक्त क्षमता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था भा.खा.नि. ने 120 करोड़ रुपए आवंटित किए जो इसे इसकी क्षमता में केवल 6.6 लाख मी.टन क्षमता जोड़ने देगा।

6.3 भा.खा.नि. ने भारत सरकार द्वारा इसे अंतरित 6 लाख टनों की कुल भंडारण क्षमता के साथ 1965 में अपने प्रचालन शुरु किए थे। भा.खा.नि. ने 1970 से अपना निर्माण कार्यक्रम प्रारम्भ किया। मार्च 1994 तक इसकी 122.50 लाख टन की आवृत्त क्षमता थी।

6.4 अपनी आवृत्त क्षमता के अतिरिक्त भा.खा.नि. आवृत्त क्षमता और सी ए पी क्षमता किराए पर लेता है। 31 मार्च 1994 को उपलब्ध आवृत्त और सी ए पी क्षमताएं (अपनी क्षमता सहित) क्रमशः 209.60 लाख टन और 27.00 लाख टन थीं। इसके प्रति धारित कुल स्टाक मात्र 190.80 लाख टन था। इस प्रकार 45.80 लाख टन क्षमता (अर्थात् 19%) का अनुपयोग हुआ था। मंत्रालय ने बताया (जनवरी 1995) कि क्षमता की उपलब्धता निर्णायक मापदंड नहीं होना चाहिए और आवंटन, रेलवे क्षमताओं, औद्योगिक सम्बन्ध समस्याओं, आवृत्त/सी ए पी क्षमता आदि के लिए आगामी मौसम की आवश्यकताओं, ऑफ टेक जैसे घटक भंडार और संचरण को अवधारित करते हैं। उत्तर से गलत स्थानों पर क्षमता की उपलब्धता का पता चला था।

6.5 भा.खा.नि. के निर्माण कार्यकलाप विलम्ब के उद्धरणों से भरा पड़ा था। 27 मामले देखे गए जिनमें 6 महीने से 7 वर्षों तक का विलम्ब हुआ था। ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

मंत्रालय (जनवरी 1995) ने विलम्ब का कारण एन पी सी सी द्वारा निर्माण किए जा रहे गोदामों के सम्बन्ध में लम्बे समय से चल रही मध्यस्थ निर्णय सम्बन्धी कार्यवाहियां बताया। तथापि उत्तर में 13 अन्य गोदामों के मामले में विलम्ब का उल्लेख नहीं किया गया जहां पूरा होने में एक मामले में 7 वर्ष का विलम्ब हुआ था।

6.6 यह भी पाया गया था कि पहले ही पूरी की गयी 2.59 लाख मी.टन क्षमता को मार्च 1994 को ग्रहण किया जाना था। इसमें से 0.27 लाख टन पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र, 0.13 लाख टन पूर्वी क्षेत्र, 0.65 लाख टन दक्षिणी क्षेत्र, 0.13 लाख टन पश्चिमी क्षेत्र और 1.41 लाख टन उत्तरी जोन में थी।

इन क्षमताओं को पिछले 9 वर्षों में ग्रहण नहीं किया गया है, जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है और इसके कारण दर्ज नहीं किए गए हैं:

वर्ष	क्षमता (000 मी ट में)	लागत (लाख रुपए में)
1985-86	4.52	123.77
1986-87	14.60	82.59
1987-88	35.00	242.59
1988-89	40.50	322.12
1989-90	1.25	9.01
1990-91	10.00	66.32
1991-92	20.55	416.66
1992-93	64.31	1283.45
1993-94	68.35	494.15

मंत्रालय ने एन पी सी सी निर्मित गोदामों को ग्रहण करने में विलम्ब स्वीकार किया (जनवरी 1995) और बताया कि अन्य मामलों में क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना प्रतीक्षित थी।

6.7 निर्माण की लागत के सम्बन्ध में आठवीं योजना अवधि के दौरान निर्माण के लिए विचार किए गए भंडारण की प्रतिटन अनुमानित लागत मौजूदा गोदाम का विस्तार करने के लिए 700 रुपए, नए निर्माण, जहां भूमि उपलब्ध है, के लिए 1000 रुपए जहां भूमि अधिप्राप्ति की जानी है वहां 1200 रुपए, दूर दराज के और पर्वतीय क्षेत्रों में 1650 रुपए तथा पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्रों में 2750 रुपए थी।

कई स्थानों पर जहां गोदाम मौजूद थे, आठवीं योजना अवधि के दौरान पूरे किए गए निर्माण पर वास्तविक लागत प्रति टन 700 रुपए की अनुमानित लागत के प्रति प्रतिटन 765 रुपए से 1183 रुपए तक थी। ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

केन्द्र का नाम	क्षमता (मी.टन)	वास्तविक व्यय (लाख रुपए में)	प्रतिटन लागत (रुपए)
समालकोट (आं प्र) चरण-I	10000	76.55	765
समालकोट (आं प्र) चरण-II	10000	85.37	853
डोलेश्वरम (आं प्र)	10000	108.11	1081
धामत्री (म प्र)	3340	32.75	980
खम्मन	10000	98.70	987
ओंगोले	5000	59.15	1183
भीमावरम	15000	138.89	926

मंत्रालय ने सूचित किया (जनवरी 1995) कि निर्माण लागत में समय-समय पर परिवर्तन होता है और यह विभिन्न घटकों पर आधारित है। डोलेश्वरम में अपेक्षाकृत अधिक लागत, बड़े पैमाने पर जमीन की भटाई के कारण थी और ओंगोले में कालम और बीम निर्माण को अपनाने के कारण हुई थी।

6.8 भा.खा.नि. एन पी सी सी, एन बी सी सी और लो नि वि की एजेंसियों के माध्यम से अतिरिक्त क्षमताओं को बढ़ाता रहा है। 1990-94 के दौरान इन सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा चार्ज किए गए निर्माण की लागत नीचे दी गयी है:

(प्रति मी.टन दर)

एजेंसी	भू-भाग	निम्नतम	अधिकतम
एन पी सी सी	मैदान	886.50 (मुरादाबाद)	933.44 (चदेरिया)
एन बी सी सी	मैदान	717.13 (इटारसी)	1050.70 (भीमावरण चरण-II)
एन बी सी सी	मैदान	1214.60 (खारसंग)	4744.50 (लुंगली)
लो नि वि	मैदान		1411.96 (कारगिल)

प्रबन्धन ने सूचित किया (जनवरी 1995) कि एजेंसियों द्वारा निर्माण की लागत भा.खा.नि. की लागत से काफी अधिक थी।

6.9 भा.खा.नि. के निर्माण कार्यक्रम को सरकार द्वारा निगम को इक्विटी के अभिदान के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। पिछले 5 वर्षों में प्रयोजन के लिए आवंटित निधियां और वास्तविक व्यय इस प्रकार थे:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आवंटन	व्यय
1989-90	23.75	22.11
1990-91	23.32	16.10
1991-92	15.00	17.96
1992-93	27.49	30.99
1993-94	19.00	12.05

2 वर्षों में व्यय आवंटित निधियों से अधिक था क्योंकि भा.खा.नि. मूल्यहास आरक्षित में से व्यय करता रहा था।

सरकार के ईक्विटी निधीयन में से भा.खा.नि. ने जल आपूर्ति व्यवस्था, अग्निशमन सुविधाओं, चहरदीवारी के निर्माण, कंटीन ब्लाक आदि के रुप में मौजूदा गोदामों में आनुषंगिक सुविधाओं का सृजन किया था। पिछले चार वर्षों में निधियों का इस प्रकार परिवर्तन निम्नानुसार था:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	निर्माण के लिए सहायक इक्विटी	इक्विटी में से व्यय	आनुषंगिक सुविधाओं के लिए निधियां	उपयोग की प्रतिशतता
1990-91	23.32	16.10	5.43	33.73
1991-92	15.00	15.00	4.82	32.13
1992-93	27.49	27.49	3.06	11.13
1993-94	19.00	19.00	3.93	20.68

मंत्रालय ने सूचित किया (जनवरी 1995) कि गोदामों का निर्माण एक सतत प्रक्रिया थी और इसे इक्विटी के जारी न किए जाने अथवा देर से जारी किए जाने के कारण रोका नहीं जा सकता था। इसने आगे स्पष्ट किया कि आर्थिक सहायता मांगने के लिए मूल्यहास प्रभार को ध्यान में रखा गया था और इस प्रकार प्राप्त आर्थिक सहायता को कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दे दिया गया था।

6.10 1985 से भा.खा.नि. अपनी क्षमताओं का निर्माण करना रहा है और इसने एक अलग कार्यकारी निदेशक के अधीन इस प्रयोजन के लिए परियोजना कार्यान्वयन डिवीजन के नाम से अलग डिवीजन बनाया है। डिवीजन में 6 प्रबन्धक, 10 संयुक्त प्रबन्धक, 65 जिला प्रबन्धक, 245 सहायक प्रबन्धक और 376 जूनियर इंजीनियर हैं।

चूंकि निगम का निर्माण कार्यक्रम अल्पमात्रा में है इसलिए परियोजना कार्यान्वयन डिवीजन का प्रमुख कार्य गोदामों का अनुरक्षण है। तथापि रखी गयी आवृत्त क्षमता के प्रति श्रमशक्ति की तुलना से क्षेत्रों के बीच बड़े स्तर पर अन्तर का पता चला जैसा नीचे दर्शाया गया है:-

		लाख टनों में आवृत्त क्षमता	कुल संस्वीकृत क्षमता/ कार्यरत व्यक्ति	प्रति लाख टन क्षमता
1993-94	उत्तरी			
	दक्षिणी	55.00	170/166	3.09
	पूर्वी	25.19	233/215	9.25
	पूर्वोत्तर	15.02	140/139	9.32
	सीमांत	2.58	31/31	12.02
	पश्चिमी	24.71	136/103	5.50
	मुख्यालय	-	52/48	-

प्रबन्धन ने सूचित किया (जनवरी 1995) कि अभियांत्रिकी कार्मिक की वितरण प्रणाली को अनुरक्षण उत्तरदायित्वों से जोड़ा जा सकता था चूंकि निर्माण सम्बन्धी उत्तरदायित्व कम हो गए थे।

6.11 कई स्थानों में भा.खा.नि. ने गोदामों का निर्माण करने के लिए भूमि अधिग्रहण की थी। परन्तु कोई निर्माण कार्यक्रम पूरा नहीं किया गया था। कुछेक निदर्शी मामले अनुबन्ध-III में दिए गए हैं और कुछ अन्यों का नीचे विवरण दिया गया है:

i) 20000 मी.टन गोदामों के निर्माण के लिए 29.14 लाख रुपए की लागत पर 1985-86 के दौरान राजकोट में भूमि का एक प्लाट अधिप्राप्त किया गया था। राजकोट में अपने गोदामों के निर्माण न करने के कारण 29.14 लाख रुपए की अवरुद्ध पूंजी पर किराए और ब्याज की हानि के कारण निगम की 1.66 करोड़ रुपए (1991-92 तक) की लागत आई थी।

ii) 25000 मी.टन के एक बफर काम्पलैक्स का निर्माण करने के लिए 16.47 लाख रुपए की लागत पर 42 एकड़ और 16 गुंटा की मापित भूमि का एक प्लाट अगस्त 1987 के दौरान रायचुर में अधिप्राप्त किया गया था। अप्रैल 1994 में काम्पलैक्स का निर्माण न करने का फैसला किया गया क्योंकि निगम के हुगली और बैलरी में पहले ही दो बफर काम्पलैक्स थे।

iii) 30.08 लाख रुपए की लागत पर शिलांग में अधिग्रहीत भूमि को अनुपयुक्त पाया गया था और इस जमीन पर प्रबन्धन ने गोदाम का निर्माण न करने का फैसला किया था। इसी प्रकार गोआ में अनुपयुक्त भूमि के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप नवम्बर 1983 से मार्च 1994 तक की अवधि के लिए पट्टा किराए के प्रति 151.51 लाख रुपए का अलाभकारी व्यय हुआ।

iv) अगस्त 1981 में भा.खा.नि. ने पडाउटहल्ली में 30000 मी.टन की भंडारण क्षमता रखने का फैसला किया। इसके प्रति 60000 मी.टन की क्षमता वाले गोदामों के निर्माण के लिए भूमि अक्तूबर 1981 में अधिग्रहीत की गयी। इसके परिणामस्वरुप 13.46 लाख रुपए मूल्य की 25 एकड़ भूमि का अधिक अधिग्रहण हुआ। 20.95 लाख रुपए के ब्याज सहित निष्क्रिय निवेश 34.41 लाख रुपए बनता था।

v) डिचापल्ली में रेलवे साइडिंग के साथ 20,000 मी.टन क्षमता के विचार से 26.69 लाख रुपए की लागत पर फरवरी 1983 में 32.38 एकड़ भूमि अधिप्राप्त की गई थी। बाद में इस परियोजना को अमितव्ययी पाया गया और इसे छोड़ दिया गया। भा.खा.नि. इस भूमि की बिक्री करने में विफल रहा परिणामतः 19.97 लाख रुपए के ब्याज सहित 46.66 लाख रुपए की निधियां अवरुद्ध हुई।

vi) अक्तूबर 1976 में भा.खा.नि. ने कटिहार में 50000 मी.टन वाले गोदाम का निर्माण करने का फैसला किया। तदनुसार 4.79 लाख रुपए (अक्तूबर 1978) की लागत पर मिरछे और तिहारपारा में 28.17 एकड़ भूमि अधिप्राप्त की गयी थी। इसके बाद स्थल को देहरिया पर अंतरित कर दिया गया जिसके कारण लिखित रुप में दर्ज नहीं हैं और 42.44 एकड़ (15.92 लाख रुपए लागत) तथा 7.55 एकड़ (3.36 लाख रुपए लागत) अतिरिक्त भूमि क्रमशः अगस्त 1984 और अप्रैल 1990 में अधिप्राप्त की गयी थी। तथापि निर्माणकार्य शुरु नहीं हुआ है और भूमि का अनधिकार प्रवेश हुआ है। अवरुद्ध निधियां 28.97 लाख रुपए बनती थीं।

vii) गोदामों के निर्माण के लिए प्रति प्लाट 93,000 रुपए के प्रारंभिक प्रीमियम पर नवम्बर 1985 में न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट, मंगलौर से निगम ने पांच प्लाट, जिसमें से प्रत्येक 0.93 एकड़ का था, पट्टे पर लिए थे। एक को नवम्बर 1991 में और बाकी चार को नवम्बर 1992 में अभ्यर्पित किया गया था। इसके परिणामस्वरुप 14.14 लाख रुपए का निष्फल व्यय हुआ (प्लाटों पर प्रीमियम के कारण 4.65 लाख रुपए और भूमि किराए के कारण 9.49 लाख रुपए)।

viii) धमोरा में 30,000 मी.टन क्षमता के निर्माण के लिए 20.00 लाख रुपए की लागत पर 1986 में भूमि का एक प्लाट अधिग्रहण किया था। 12.78 लाख रुपए की लागत पर मार्च 1988 में एक चहरदीवारी बनाई गई थी। फरवरी 1986 से सुरक्षा गार्ड लगाए गए थे और फरवरी 1994 तक इसके कारण 5.03 लाख रुपए का व्यय किया गया था। फरवरी 1993 में यह फैसला किया गया था कि क्योंकि क्षमता नजदीक के स्थानों पर उपलब्ध थीं इसलिए धमोरा में कोई गोदाम आवश्यक नहीं था। इस प्रकार फरवरी 1994 तक 37.81 लाख रुपए का व्यय निष्फल हो गया।

प्रबन्धन ने सूचित किया (जनवरी 1995) कि ग्रहण की गयी भूमियों की समीक्षा की जा रही थी और उन केन्द्रों पर भूमि, जहां गोदामों को आवश्यक नहीं माना गया था, को अभ्यर्पित किया जाए या अन्य प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग किया जाए जैसे स्टाफ क्वाटर।

6.12 16 करोड़ रुपए की लागत पर निर्मित उ.प्र., पंजाब और दिल्ली में पांच साइलो अधिकतर अनुपयुक्त पडे रहे। 31 मार्च 1994 को शून्य उपयोग वाले गोदामों की संख्या 10.69 लाख टन की क्षमता के साथ 150 थी जिसमें पंजाब 56 के साथ सूची में सबसे ऊपर था उसके बाद 31 पर उ.प्र. और 24 पर हरियाणा का स्थान था। ये तीन राज्य हैं जिनमें 1993-94 के दौरान गेहूं की कुल अधिप्राप्ति का 95% प्राप्त हुआ।

6.13 निर्मित कुछ गोदाम अवस्थिति की हानियों के कारण लाभप्रद नहीं पाए गए हैं।

i) 1987-88 में 64.19 लाख रुपए की लागत पर खारसंग में निर्मित 5000 मी.टन क्षमता का एक गोदाम प्राप्त नहीं किया गया था क्योंकि यह एक जंगल के बीच में स्थित है।

ii) अक्तूबर 1985 में कुमारघाट में 10,000 मी.टन के गोदाम का निर्माण करने के लिए भा.खा.नि. ने रेलवे साइडिंग का सर्वेक्षण करने और अभिकल्प आरेखणों की आपूर्ति करने के लिए रेलवे को कहा था। चूंकि अर्न्तग्रस्त भूमि कटाव की मात्रा अधिक थी इसलिए स्थल पर रेलवे साइडिंग को व्यवहार्य नहीं माना गया था। परिणामतः 153.69 लाख रुपए की लागत पर कुमारघाट में रोडफैड गोदाम का निर्माण करने के लिए एन बी सी सी को कहा गया था (अप्रैल 1987)। परियोजना को मई 1988 तक पूरा किया जाना था। मार्च 1988 तक एन बी सी सी ने 3340 मी.टन क्षमता से छत के स्तर तक और 835 मी.टन क्षमता से प्लिन्थ स्तर से नीचे तक निर्माण कर लिया था। चूंकि स्थल को अनुपयुक्त पाया गया था क्योंकि सबसे नजदीक शहर से यह 40 कि मी दूर था और कुमारघाट की मांग मात्र 1000 मी.टन की थी तथा 835 मी.टन का छोटा गोदाम अनावश्यक होगा इसलिए परियोजना की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की गयी थी। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि स्थल प्रचालनात्मक दृष्टि से अनुपयुक्त था और निर्माण के लिए योजना तकनीकी रूप से सुदृढ़ नहीं थी। और कोई निर्णय नहीं लिया गया था और दिसम्बर 1987 में एन बी सी सी को अदा किए गए 35.91 लाख रुपए अवरुद्ध पड़े रहे थे।

प्रबन्धन ने बताया (फरवरी 1995) कि अब कुमारघाट तक रेल लाइन के विस्तार को ध्यान में रखते हुए अगरतला तक सड़क संचरण में कमी और इस पर पहले ही किए गए व्यय के लिए यह महसूस किया गया था कि कतिपय तकनीकी स्पष्टीकरणों की प्राप्ति के अध्यधीन 3340 मी.टन की कम की गयी क्षमता के लिए गोदामों के निर्माण की सलाह दी जाए।

6.14 प्रशासनिक विलम्बों के उदाहरण भी थे जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ था। एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:-

जयपुर में क्षेत्रीय कार्यालय के लिए भवन का निर्माण करने के लिए 43.33 लाख रुपए की लागत पर भूमि के एक प्लाट का अधिग्रहण किया गया था। 1.34 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत जिसे दिसम्बर 1989 में संस्वीकृति दी गयी थी, के लिए सितम्बर 1988 में सक्षम प्राधिकारी को अनुमान प्रस्तुत किए गए थे। परियोजना की संस्वीकृति में विलम्ब के साथ साथ वास्तुकारों और परामर्शदाताओं की नियुक्ति में और भवन योजनाओं के अनुमोदन में 7 महीने का विलम्ब हुआ था। इन सबके कारण 80.00 लाख रुपए की लागत वृद्धि हुई थी।

7. रेलवे साइडिंग

7.1 निगम के 124 रेलवे साइडिंग हैं जिनकी लागत 105.20 करोड़ रुपए से अधिक है। इसमें से 82.15 करोड़ रुपए को मार्च 1994 तक मूल्यहास के रुप में बट्टे खाते डाल दिया गया है। निगम ने इन साइडिंगों के अनुरक्षण के लिए 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरा क्रमशः 3.12 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए आरै 2.97 करोड़ रुपए का व्यय किया था।

7.2 लोक उपक्रम समिति (लो उ स) ने अपनी XII रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि भा.खा.नि. को अपने भावी गोदामों का, जहां तक संभव हो, निर्माण रेल हैड पर करना चाहिए ताकि सम्भलाई प्रचालनों को सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे वैगनों को साइडिंग से गोदामों तक पहुंचाया जा सके। अनुशंसा को स्वीकार करते हुए खाद्य मंत्रालय ने बताया था कि जहां तक व्यवहार्य था रेल फैड डिपुओं को स्थापित करना भा.खा.नि. की नीति थी तथा निर्माणाधीन और इसके लिए आगे प्रस्तावित सभी बड़े डिपुओं की तदनुसार योजना बनाई गई थी। भा.खा.नि. ने अपनी नियम पुस्तक में यह भी प्रावधान किया है कि रेलवे साइडिंग के प्रावधान 10000 मी टन या अधिक क्षमता के साथ निर्मित किए जाने वाले गोदामों के लिए आवश्यक माने जाने चाहिएं।

तथापि, 92 अवस्थितियां ऐसी हैं जहां 10,000 मी.टन से अधिक क्षमता वाले भा.खा.नि. के गोदाम रेलवे साइडिंग के बिना हैं।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 1995) कि 10000 मी.टन से 20000 मी.टन क्षमता के साथ गोदामों में साइडिंग के प्रावधान दुर्लभ निधियों पर निर्भर करते हैं और इसलिए रेलवे साइडिंग को आराम से मुहैया कराना संभव नहीं है।

7.3 क्षेत्रवार विश्लेषण से पता चला कि 1992-93 के अंत तक रेलवे साइडिंग के अनुसार भंडारण क्षमता में विशाखापत्तनम पत्तन में 0.21 लाख मी.टन से महाराष्ट्र क्षेत्र में 1.69 लाख टन का अन्तर था। विभिन्न राज्यों में रेलवे साइडिंग द्वारा सम्भलाई किए गए खाद्यान्नों की नमूना जांच से पता चला कि प्रति रेलवे साइडिंग पंजाब में 0.55 लाख टन, हरियाणा में 0.66 लाख टन और आंध्र प्रदेश में 0.79 लाख टन की सम्भलाई की गयी थी। आंध्र प्रदेश में साइडिंगों की असमानुपातिक संख्या थी और की गयी औसत भंडारण क्षमता पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में क्रमशः 1.74 लाख टन, 1.10 लाख टन और 1.14 लाख टन के प्रति प्रति साइडिंग मात्र 0.64 लाख टन थी। 1993-94 के दौरान कोई नयी साइडिंग चालू नहीं की गयी थी। क्षेत्रवार आंकड़े अनुबंध-IV में दिए गए हैं।

7.4 जनवरी 1991 से जुलाई 1994 तक की अवधि के दौरान साइडिंगों के उपयोग की समीक्षा से पता चला कि 5 रेलवे साइडिंग अक्रियाशील थीं, 2 साइडिंगों को शुरु से ही उपयोग के लिए चालू नहीं किया गया था और 22 साइडिंग मात्र सीमान्त रुप से उपयोग के लिए थी। कुछ निदर्शी मामले नीचे दिए जा रहे हैं:

i) निओली में रेलवे साइडिंग को 1.07 करोड़ रुपए के लिए जून 1984 में संस्वीकृत किया गया था। इसे 2.40 करोड़ रुपए की लागत पर दिसम्बर 1990 में पूरा किया गया था। 66000 मी.टन के साथ साइडिंग को मई 1991 में बहुत बढ़िया चावल के लिए दो विशेष गाड़ियो मात्र के लिए चालू किया गया था। 1992-93 में 8 विशेष गाड़िया और 1994-95 में 16 विशेष गाड़ियां चलाई गयीं थीं।

ii) सिरसा में रेलवे साइडिंग को 43.67 लाख रुपए की लागत पर जून 1984 में संस्वीकृति दी गयी थी। इसे 109.29 लाख रुपए की लागत पर जुलाई 1988 में पूरा किया गया था। रेलवे द्वारा साइडिंग के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए करार करने में विलम्ब के कारण साइडिंग को केवल मई 1991 में उपयोग में लाया जा सका था। परिणामी रुप से भा.खा.नि. ने गोदामों से रेलवे शेड तक 2.4 लाख मी.टन खाद्यान्नों के सम्बन्ध में जनवरी 1989 और अप्रैल 1991 के बीच परिवहन प्रभारों के रुप में 94.35 लाख रुपए व्यय किए थे। 1991-92, 1992-93 और 1993-94 में केवल 16, 27 और 32 विशेष गाडियों पर वजन लादा गया था तथा फरवरी 1994 से गेज परिवर्तन के कारण साइडिंग अक्रियाशील हो गयी थी। गेज परिवर्तन (नवम्बर 1994) के बाद फरवरी 1995 तक दो विशेष गाड़ियों पर वजन लादा गया था।

iii) खुर्जा में भूमि के अभाव में रेलवे साइडिंग के बिना 20,000 मी टन क्षमता वाला एक साइलो है। तथापि अक्तूबर 1977 में रेलवे के पास जमा 14.03 लाख रुपए की वसूली नहीं की गयी है।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 1995) कि चूंकि भूमि अधिग्रहण की कोई संभावना नहीं है इसलिए रेलवे के पास लेखाओं को अंतिम रुप देने सम्बन्धी मामला उठाया जाएगा।

iv) बाराबंकी में रेलवे साइडिंग को 29.54 लाख रुपए के लिए मार्च 1982 में अनुमोदन दिया गया था। इसे 92.32 लाख रुपए की लागत पर जून 1992 में पूरा किया गया था परन्तु इसे अक्तूबर 1995 तक उपयोग में नहीं लाया गया था।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 1995) कि साइडिंग को मुकदमेंबाजी के कारण उपयोग में नहीं लाया गया था और न्यायालय के बाहर समझौता करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

v) जे जे पी, पश्चिमी बंगाल में रेलवे साइडिंग के 8 रेलपथ हैं और ये सभी अनुपयुक्त पड़े हैं। परिणामत: इस डिपो के लिए नामित रेक कलकत्ता पत्तनन्यास में प्राप्त किए जाते हैं। इसके कारण रेकों के निर्गम में विलम्ब हुआ था और 1992-93 तथा 1993-94 वर्षों के दौरान भा.खा.नि. ने विलम्ब शुल्क के रुप में क्रमश: 69.90 लाख रुपए और 59.18 लाख रुपए अदा किए थे।

vi) मार्च 1987 में 260.76 लाख रुपए की लागत पर पूरे किए गए इटारसी के रेलवे साइडिंग को दिसम्बर 1989 तक उपयोग में नहीं लाया गया था। इस अवधि के दौरान भा.खा.नि. ने गुडस शैड से गोदामों तक परिवहन पर 17.07 लाख रुपए खर्च किए थे। इसके अतिरिक्त 12.41 लाख रुपए अनुरक्षण प्रभारों के रुप में अदा किए गए थे। मंत्रालय ने बताया (फरवरी 1995) कि फरवरी 1987 में उपयोग के लिए इसे रेलवे द्वारा अधिसूचित करने के बाद भी परीक्षण किए जाने थे और परीक्षण जुलाई 1988 में पूरे किए गए थे।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 1995) कि श्रम समस्याओं और संचरण की आवश्यकताओं के कारण वर्षानुवर्ष उपयोग में परिवर्तन होता रहा है। इसने आगे बातया कि इस सुविधा को बरकरार रखा जाना है बेशक गत वर्षों में मांग घटी-बढ़ी है।

7.5 जैसाकि पैराग्राफ 7.2 में उल्लेख किया गया है, 92 अवस्थितियां ऐसी हैं जहां 10000 मी ट से अधिक क्षमता वाले भा.खा.नि. के गोदाम रेलवे साइडिंग के बिना हैं।

कुछ स्थलों, जहां रेलवे साइडिंग का अभाव है, पर नीचे चर्चा की गयी है:-

i) तुतिकोरीन (35,200 मी ट) और आरकोनम (59,640 मी टन) में रेलवे साइडिंग के प्रस्ताव छोड़ दिए गए थे चूंकि रेलवे साइडिंग मुहैया कराने के लिए गोदामों की उचित रुप से योजना नहीं बनाई गई थी। परिणामत: सम्बन्धित रेलहैड से खाद्यान्नों के परिवहन के लिए निगम अतिरिक्त व्यय करता रहता है जो तुतिकोरीन में 1993-94 के अंत तक चार वर्षों के लिए कुल 131 लाख रुपए और आरकोनम में 1993-94 के अंत तक दो वर्षों के लिए कुल 51.79 लाख रुपए बनता था।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 1995) कि आरकोनम में साइडिंग को अधिक लागत और तुतिकोरीन में इसे आयातों के कम होने, गोदाम परिसर के नजदीक भूमि की अनुपलब्धता तथा आर्थिक व्यवहार्यता के कारण छोड़ दिया गया था।

ii) रानीताल (उड़ीसा) गोदाम (20000 मी ट) पर रेलवे साइडिंग के अभाव में इसकी आवश्यकता भड़राक से सड़क द्वारा पूरी की जाती है। 1990-91 से 1993-94 तक सड़क का भाड़ा 33.03 लाख रुपए बनता था। रानीताल में एक साइडिंग के लिए अनुमान अगस्त 1984 में प्राप्त किए गए थे परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

मंत्रालय ने बताया कि साइडिंग के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध नहीं थी।

iii) मिदनापुर गोदाम का 35780 मी टन तक विस्तार कर दिया गया था। मई 1985 में रेलवे से एक साइडिंग के लिए सिफारिश की गयी थी जिसे अगस्त 1988 में व्यवहार्य नहीं पाया गया था। एक रेलवे साइडिंग के लिए व्यवहार्यता का निर्धारण किए बिना अधिक क्षमता का सृजन और इसका विस्तार गलत था। अनाजों के संचरण पर की गयी संचरण लागत 1990-91 से 1993-94 तक 104.12 लाख रुपए बनती थी।

7.6 यह भी पाया गया था कि रेलवे साइडिंग को पूरा करने में काफी विलम्ब हुआ था। उदाहरण के लिए विश्व बैंक ने दूसरी खाद्यान्न भंडारण परियोजना के अन्तर्गत 58 रेलवे साइडिंगों के निर्माण के लिए क्रेडिट को बढ़ा दिया था। इन्हें जून 1985 तक पूरा किया जाना था। केवल 24 साइडिंग 1985-86 तक पूरे किए गए थे और बाकी को जून 1992 तक पूरा किया गया था।

मंत्रालय के अनुसार विलम्ब भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब, स्थायी पथ सामग्रियों की अनुपलब्धता आदि, जो भा.खा.नि. के नियंत्रण से बाहर थे, के कारण हुआ था।

7.7 इसी प्रकार कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत जून 1985 तक 6 रेलवे साइडिंग पूरे किए जाने थे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एक भी साइडिंग पूरी नहीं की गयी थी और इन छह में से अंतिम को जून 1989 तक पूरा किया गया था।

मंत्रालय ने साइडिंगों के पूरा होने में विलम्ब का कारण अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब, स्थायी मार्ग सामग्रियों की अनुपलब्धता आदि बताया (फरवरी 1995)। राइट्स द्वारा पूरे किए गए चार साइडिंगों को अंतिम रूप से चालू करने में विलम्ब हुआ जो राइट्स और दक्षिण मध्य रेलवे के बीच समन्वय के अभाव के कारण रहा।

7.8 अतिरिक्त भंडारण कार्यक्रम के अन्तर्गत भी 5 साइडिंगों (1.53 लाख मी टन क्षमता) में विलम्ब भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब, स्थायी मार्ग सामग्रियों की दुर्लभता, उप ठेकेदारों के साथ विवादों आदि के कारण हुआ था। मंत्रालय ने आगे बताया कि साइडिंग कार्यों को रेलवे द्वारा कम प्राथमिकता दी जाती है।

7.9 साइडिंगों को पूरा करने में विलम्ब के एक उदाहरण, जिसके परिणामस्वरूप भा.खा.नि. की निधियां अवरुद्ध हुई थीं, का विवरण नीचे दिया गया है।

मार्च 1988 में सवाईमाधोपुर में रेलवे साइडिंग के विद्युतीकरण के लिए 80.05 लाख रुपए की राशि जमा कराई गई थी। अक्तूबर 1990 में मूल्य वृद्धि के कारण रेलवे ने 25.50 लाख रुपए की और मांग की थी जिसमें से 25.20 लाख रुपए को मार्च 1991 और 0.30 लाख रुपए को जुलाई 1992 में क्रमशः 5 महीने और इक्कीस महीने की अवधि के बाद जमा कराया गया था। ऐसा केवल मार्च 1993 में हुआ कि रेलवे ने निविदाओं को अंतिम रूप दिया और ठेके दिए। कार्य जनवरी 1994 में पूरा किया गया था। भा.खा.नि. और रेलवे की ओर से इन विलम्बों के परिणामस्वरूप 25.50 लाख रुपए की लागत वृद्धि हुई, निधियों का अवरोधन तथा 81.12 लाख रुपए की ब्याज की हानि हुई।

7.10 प्राथमिकता के अभाव, कम उपयोग और पूरा होने में विलम्ब के अलावा रेलवे साइडिंगों के सम्बन्ध में भा.खा.नि. निर्णय लेने में भी काफी कुछ वांछित छोड़ दिया गया था। इनसे पूंजी अवरोधन, अतिरिक्त ब्याज लागतों, अतिरिक्त सम्भलाई तथा परिवहन लागत और निष्फल भुगतानों के द्वारा भा.खा.नि. के हितों की हानि हुई। कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं:-

i) जून 1984 और अक्तूबर 1986 के बीच आरकोनम पर एक साइडिंग के लिए भा.खा.नि. ने 91.95 लाख रुपए की जमा अदा की थी। बाद में प्रस्ताव को तकनीकी आधारों और व्यवहार्यता पर छोड़ दिया गया था। समय से पूर्व निर्णय के कारण भा.खा.नि. को 16.95 लाख रुपए की हानि हुई और 91.95 लाख रुपए का समस्त जमा अक्तूबर 1986 से मई 1991 तक व्यर्थ पड़ा रहा।

ii) एक ऐसा ही निर्णय मिलाविटटन गुडशैड से तुतिकोरिन पत्तन तक गेज परिवर्तन के सम्बन्ध में लिया गया था। भा.खा.नि. ने गेज परिवर्तन की लागत का अपना भाग होने के कारण जनवरी 1986 में 7.50 लाख रुपए अदा किए थे। जुलाई 1988 में भा.खा.नि. ने रेलवे को सूचित किया कि तुतिकोरिन में 30000 मी.टन गोदाम के निर्माण के लिए उनका पुराना प्रस्ताव छोड़ दिया गया था और इसलिए रेलवे लाइन का उपयोग न किए जाने की संभावना थी। तथापि प्रतिदाय दावे को रेलवे द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था चूंकि गेज परिवर्तन पहले ही किया जा चुका था। भा.खा.नि. ने तुतिकोरिन से मिलाविटटन तक सड़क द्वारा खाद्यान्नों के परिवहन प्रभारों के रूप में जुलाई 1988 से जून 1990 के बीच 213.02 लाख रुपए खर्च किए थे। यदि भा.खा.नि. ने परिवर्तित साइडिंग का उपयोग किया होता तो यह 175.63 लाख रुपए बचा सकता था क्योंकि इसे साइडिंग के उपयोग के लिए मात्र 37.39 लाख रुपए खर्च करने पड़ते।

iii) मवेलीक्कारा (केरल) में 10000 मी.टन की क्षमता प्रदान करने के लिए अप्रैल 1975 में 8.69 लाख रुपए की लागत पर रेलवे साइडिंग का प्रस्ताव रखा गया था। राशि अगस्त 1980 तक जमा कराई गई थी। रेलवे ने अनुमान में फरवरी 1984 में 32.64 लाख रुपए तक और जून 1985 में 90.55 लाख रुपए तक संशोधन किया था। भा.खा.नि. ने निधियों के अभाव और इसलिए भी कि इस केन्द्र पर अतिरिक्त भंडारण क्षमता के लिए कोई प्रस्ताव नहीं था, के कारण साइडिंग का विचार छोड़ दिया था। परन्तु अक्तूबर 1988 में बढ़ते हुए कार्यकलापों के कारण साइडिंग को आवश्यक समझा गया और रेलवे ने मई 1990 में भा.खा.नि. से सिफारिश की। रेलवे ने जनवरी 1991 में अनुमानित लागत में संशोधन करके 167 लाख रुपए कर दिया। अप्रैल 1994 तक भा.खा.नि. ने कोई निर्णय नहीं लिया था और एफ एस डी मवेलीक्कारा ने अप्रैल 1987 से मार्च 1994 के दौरान 68.90 लाख रुपए के परिहार्य सम्भलाई और परिवहन प्रभार पहले ही खर्च कर दिए हैं।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 1995) कि परियोजना 248 लाख रुपए की पुनः अनुमानित लागत पर सिद्धांत रुप में भा.खा.नि. प्रबन्धन द्वारा स्वीकार कर ली गयी थी और प्रारम्भिक कार्य प्रगति पर थे।

iv) 16.52 लाख रुपए की लागत पर मुलनगुनाथुकावू (थ्रिसूर जिला) में 45240 मी.टन गोदामों के लिए अतिरिक्त रेलवे साइडिंग उपलब्ध कराने के लिए एक प्रस्ताव को मार्च 1979 में अनुमोदन प्रदान किया गया था और जनवरी 1984 में राज्य सरकार से 24.37 लाख रुपए की लागत पर भूमि अधिग्रहीत की गई थी। सितम्बर 1989 में प्रस्ताव समाप्त कर दिया गया क्योंकि मौजूदा साइडिंग प्रतिमाह 50 वैगनों के स्थान्न द्वारा गोदामों की आवश्यकता पूरा कर सकती थी और संशोधित लागत पर अतिरिक्त साइडिंग को अकिफायती पाया गया था। तथापि 1984 में भूमि के अधिग्रहण से पहले इन घटकों पर विचार नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 1995) कि विचार करने पर साइडिंग को व्यवहार्य पाया गया है भा.खा.नि. के प्रबन्धन ने अतिरिक्त साइडिंग और प्रदत्त सेंटेज चार्ज के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

v) तीन रेलपथों के साथ अनगमाली (40,000 मी.टन) में रेलवे साइडिंग का प्रस्ताव किया गया था जिसमें से एक रेलपथ गोदामों की प्रत्येक पंक्ति के लिए था और तीसरे रेलपथ को इंजन बचाव मार्ग के रुप में कार्य करना था। जब भा.खा.नि. ने यह निर्णय किया कि बचाव मार्ग अनावश्यक था तब अगस्त 1988 तक तकरीबन 450 मीटर बचाव मार्ग रेलवे ने पूरा कर लिया था। बचाव मार्ग पर खर्च की गयी 9.45 लाख रुपए की राशि व्यर्थ हो गयी।

vi) भा.खा.नि. की कापा, मध्य प्रदेश में 68220 मी.टन की भंडारण क्षमता थी। समय बीतने के साथ यह सुविधा निम्न श्रेणी की हो गयी थी क्योंकि इसे भंडारण हानि की ऊंची प्रतिशतता वहन करनी पड़ी थी। हानि शेडों के फर्श का स्तर निकटवर्ती सड़कों से नीचा रहने के कारण हुई जिसके कारण लकड़ी के क्रेटों की आवश्यकता महसूस हुई। कई वैली गटर के साथ मल्टीपल स्पेन टाइप कंस्ट्रक्शन के कारण छत का रिसाव भी सुविधा को वहन करना पड़ा था। परिणामी रुप से सुविधा में धारित मासिक स्टाक अप्रैल 1988 में घटकर 4019.36 मी.टन हो गया था। अप्रैल 1988 में कापा में खाद्यान्नों की कोई सम्भलाई नहीं थी। भंडारण सुविधा के अनुप्रयोग के बावजूद अप्रैल 1988 से जून 1992 तक की अवधि के लिए 13 रेलवे साइडिंग के लिए 34.63 लाख रु. के अनुरक्षण प्रभार अदा किए गए थे।

vii) मार्च 1987 में निगम ने मनमाड में अतिरिक्त साइडिंग सुविधाएं मुहैया कराने के लिए रेलवे के पास 79.35 लाख रुपए जमा कराए थे। मार्च 1991 में निगम ने 29.95 लाख रुपए और जमा कराए थे क्योंकि (क) इन मोशन वेगन वे ब्रिज के प्रतिष्ठापन (ख) मौजूदा साइडिंग के विस्तार (ग) रेलवे रेलपथ के नीचे पुलिया बनाने के लिए अनुमानों में संशोधन किया गया था। साइडिंग को निधियों का जमा कराने की तारीख से 19 महीनों के अन्दर पूरा किया जाना था परन्तु इसे अन्ततः 6 वर्षों के विलम्ब के बाद जुलाई 1994 में पूरा

किया गया था। इन मोशन वेगन वे ब्रिज का प्रावधान भी छोड़ दिया गया था।

7.11 भा.खा.नि. ने साइडिंग को पूरा करने के बाद रेलवे को परिहार्य भुगतान भी किया था। उदाहरण के लिए सितम्बर 1987 में रेलवे बोर्ड ने यह अधिसूचित किया था कि वैगन साइडिंग प्रभार ट्रिप आधार पर नहीं बल्कि "थ्रो डिस्टेंस बेसिस" पर लगाए जाएंगे। भा.खा.नि. ने गांधीधाम रेलवे साइडिंग के सम्बन्ध में इस अधिसूचना का लाभ नहीं उठाया था और नवम्बर 1994 तक 39.40 लाख रुपए अदा किए थे। निगम ने 20 महीनों के विलम्ब के बाद मामला पश्चिम रेलवे के साथ उठाया था।

संतनगर, के.सी.केनाल, टिम्मनचेरला डिपुओं में रेलवे साइडिंग थ्रो डिस्टैंस बेसिस भाड़ा प्रभारों का लाभ नहीं उठा सका था क्योंकि इन साइडिंगों में बचाव मार्गों का अभाव था। परिणामी रुप से भा.खा.नि. ने जुलाई 1987 से मार्च 1994 तक की अवधि के लिए ट्रिप आधार पर 70.62 लाख रुपए अदा किए थे।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 1995) कि पहले से निर्मित गोदाम परिसर के साथ इतने लम्बे समय में इन डिपुओं में बचाव मार्ग का प्रावधान संभव नहीं है।

7.12 रेलवे साइडिंग का रेलवे द्वारा डिपाजिट वर्क के रुप में निर्माण किया जाता है। भा.खा.नि. द्वारा जमाओं के विश्लेषण से पता चला कि स्थल जहां इन साइडिंगों का निर्माण किया जाना है, पर किसी अंतिम करार के बिना पिछले 6 वर्षों से 12.47 करोड़ रेलवे के पास पड़े थे।

रेलवे के पास जमा का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

वर्ष	**जमाओं की राशि (लाख रुपए में)**
1988-89	2982.59
1989-90	2568.15
1990-91	1829.32
1991-92	1340.57
1992-93	1315.38
1993-94	1364.60

1364.60 लाख रुपए के जमा के प्रति 117.27 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर मात्र एक रेलवे साइडिंग (वार्धा) 1993-94 वर्ष के अन्त में प्रगति पर थी। बिना किसी तत्काल लाभ के ऐसी बड़ी जमाओं से निगम की नकदी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

मंत्रालय ने बताया कि इतना अधिक बकाया इसलिए है क्योंकि सम्बन्धित रेलवे ने लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं।

8. विलम्ब शुल्क

8.1 वैगनों के शीघ्र वापसी को सुनिश्चित करने के लिए वैगनों की किस्म के अनुसार लादने और उतारने दोनों के लिए रेलवे ने मुक्त वैगन घंटे विनिर्दिष्ट किया है। यदि ये मुक्त घंटे से अधिक हो जाते हैं तो रेलवे विलम्ब शुल्क प्रभारित करता है। देय विलम्ब शुल्क की दर 1 से 24 घंटों के लिए 1 रु. प्रति घंटे प्रति टन से 48 घंटे से अधिक लदाई उतराई समय के लिए 2 रु. प्रति घंटे प्रति टन तक अलग-अलग है।

8.2 गत 5 वर्षों में भारतीय खाद्य निगम ने विलम्ब शुल्क पर अत्यधिक व्यय किया जो नीचे दर्शाया गया है:-

वर्ष	विलम्ब शुल्क (लाख रु. में)	ले जाई गई मात्रा (लाख टन में)	ले जाई गई प्रति मी टन का प्रभाव (रु. में)
1989-90	1623.90 रु.	164.22	9.89
1990-91	2222.56 रु.	178.10	12.48
1991-92	2121.33 रु.	191.70	11.06
1992-93	2478.17 रु.	183.70	13.49
1993-94	3925.97 रु.	186.50	21.05

8.3 1993-94 को समाप्त गत पांच वर्षों में विलम्ब शुल्क पर क्षेत्रवार व्यय निम्नवत है:

क्षेत्र	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
पूर्व	7.57	11.52	11.46	10.85	11.33
पश्चिम	0.78	1.83	1.07	1.63	5.06
दक्षिण	0.70	1.65	1.09	1.21	5.34
उत्तर	2.20	2.54	2.27	2.79	4.64
पूर्वोत्तर सीमान्त	4.99	4.68	5.32	8.30	12.89
जोड़	16.24	22.22	21.21	24.78	39.26

स्पष्टतः, पूर्व और पूर्वोत्तर सीमान्त क्षेत्र विलम्ब शुल्क का नियंत्रण करने में कमजोर थे। 1993-94 में विलम्ब शुल्क प्रभार सभी क्षेत्रों में पर्याप्त रुप से बढ़ गया।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 1995) कि पूर्व और पूर्वोत्तर सीमान्त क्षेत्रों में वृद्धि कानून और व्यवस्था तथा गुवाहाटी और लामडिंग से आगे की लाइनों को बड़ी लाइन में परिवर्तन के कारण थी। दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र में वृद्धि के संबंध में इन दो क्षेत्रों में गोदाम भरे हुए थे फिर भी उत्तर से अतिरिक्त स्टाक भेजे गए थे। उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली क्षेत्र में श्रमिक आंदोलन के कारण वृद्धि रही थी।

8.4 क्षेत्रवार विश्लेषण से परिलक्षित होता है कि असम (12.48 करोड़ रु.), पश्चिम बंगाल (9.11 करोड़ रु.), कर्नाटक (2.04 करोड़ रु.), तमिलनाडु (1.92 करोड़ रु.), उत्तर प्रदेश (1.45 करोड़ रु.), महाराष्ट्र (2.52 करोड़ रु.), गुजरात (1.40 करोड़ रु.) और दिल्ली (1.34 करोड़ रु.) को सघन मानीटरिंग की आवश्यकता थी।

8.5 डिपुओं का और विश्लेषण किया गया था जिसमें भारी विलम्ब शुल्क अदा किया गया था। दिल्ली क्षेत्र में 1992-93 में घेवरा और नरेला ने क्षेत्रीय जोड़ का 42% और 29% वहन किया। 1993-94 में उनका भाग क्रमशः 24% और 13.6% था। नरायणा डिपो में व्यय 1992-93 में 29% बढ़कर 1993-94 में क्षेत्रीय व्यय का 62.3% हो गया था। अप्रैल 1993 में केवल नरायणा डिपो में ही विलम्ब शुल्क प्रभार 10.66 लाख रु. और सितम्बर 1993 में 28.78 लाख रु. उद्भूत हुए थे।

उ.प्र. क्षेत्र में कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर और हल्द्वानी में 1991-92 और 1992-93 तक वहन किए गए कुल विलम्ब शुल्क प्रभार का 76% और 94% बनता था। 1991-92 में केवल कानपुर जिला में 34% बनता था और 1992-93 में वाराणसी का भाग 26.5% था। तीन वर्षों के दौरान संभाल ओर परिवहन ठेकेदारों के दोषों के कारण उपचित विलम्ब शुल्क और घाट शुल्क 72.82 लाख रु. था जो उनसे वसूली योग्य थे।

8.6 भा.खा. नि. के अनुसार विलम्ब शुल्क के भुगतान का कारण निम्नवत् है:

i) रविवार/छुट्टियों को वैगन की व्यवस्था

ii) भंडारण स्थान का अभाव

iii) डी पी एस कामगारों द्वारा धीमा काम

iv) रेलवे साइडिंग क्षमता से अधिक वैगनों का रखरखाव

v) रिबुकिंग आर्डर की विलम्ब से प्राप्ति

vi) रेकों की बंचिंग

vii) माल उतारने के लिए उपलब्ध अपर्याप्त सुविधाएं

viii) प्रेषण अनुदेशों की अपेक्षा अधिक रेकों का आगमन

ix) स्टाफ और कामगार की कम उत्पादकता और

x) अपर्याप्त संभलाई प्रबन्ध

ये सभी तथ्य नियंत्रण योग्य है। चूंकि विलम्ब शुल्क व्यय ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति दर्शा रहा है इसलिए यह अनिवार्य है कि भा.खा. नि. इन पर प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रण करे।

मंत्रालय के अनुसार (फरवरी 1995) उपरोक्त कारणों के अलावा कानून और व्यवस्था कम कुल खरीद गोदामों का भरा होना, वैगनों के स्थापन में रेलवे की प्रथा और दावे जैसे कारणों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जो नियंत्रण योग्य नहीं है।

8.7 क्षेत्रों के बीच महाराष्ट्र ने 1993-94 से 160.20 लाख रु. अदा किया जबकि 1989-90 में 17.34 लाख रु. अदा किया था अर्थात 824% की वृद्धि थी। इसी प्रकार मध्य प्रदेश क्षेत्र में यह 2.46 लाख रु. से बढ़कर 74.95 लाख रु. हो गया जो 2940% थी। विहार क्षेत्र में विलम्ब शुल्क प्रभार 117.32 लाख रु. से 151 लाख रु. के बीच था जबकि 1990-91 से 1992-93 तक के दौरान संभलाई की मात्रा 5.65 लाख टन से 9.50 लाख टन थी। उसी प्रकार उपरोक्त अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल क्षेत्र में 13.82 लाख से 17.04 लाख टन का संभाल किया परन्तु लगातार 500 लाख रु. से अधिक विलम्ब शुल्क अदा किया। इन राशियों का जब पंजाब क्षेत्र, जिसने 89 लाख टन से 100 लाख टन की सम्भलाई की, द्वारा किए गए भुगतान (0.84 लाख रु. से 6.77 लाख रु.) से तुलना की गई तो यह असामान्य रुप से अधिक प्रतीत हुई। उड़ीसा और पूर्वोत्तर सीमान्त क्षेत्र के मामले में प्रति टन विलम्ब शुल्क का भुगतान क्रमशः 6.76 रु. से 15.22 रु. और 12.50 रु. से 17.57 रु. के बीच था।

मंत्रालय ने बताया कि बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में असामान्य वृद्धि मुख्यतः श्रमिक आन्दोलन, कानून और व्यवस्था समस्या और गोदामों के भरे होने के कारण थी।

8.8 ऐसे भी उदाहरण थे जहां भा.खा.नि. ने आयात पर भी विलम्ब शुल्क अदा किया। भा.खा.नि. ने पोत पर चावल लादने में एक निर्यातक द्वारा विलम्ब के लिए विलम्ब शुल्क के रुप में 105.05 लाख रु. अदा किया था। तथापि यह बिक्रेता से विलम्ब शुल्क की उगाही करने में विफल रहा।

हस्टन यू एस ए से गेहूं और मिलों के आयात के मामले में 1,86,916.67 डालर के लिए विलम्ब शुल्क (अक्तूबर 1974) का दावा किया गया था जिसका भा.खा.नि. द्वारा विरोध किया गया था यद्यपि मामला जहाज मालिकों के पक्ष में था। पंच के अप्रदत्त भाड़े, डिसपोर्ट डेमरेज और उसपर ब्याज के लिए यू एस 3,00,089.13 डालर का निर्णय (अक्तूबर 1990) दिया। भा.खा. नि. ने 2,96,834.13 अमरीकी डालर अदा (मार्च 1994) किया और शेष 3255.00 अमरीकी डालर और मार्च 1994 तक उपचित ब्याज अदा करना शेष रहा। इसके अलावा भा.खा.नि. ने 2,27,107.54 पौंड (मार्च 1992) का मुकदमेबाजी लागत अदा किया और ब्याज के लिए 50,340.33 पौंड स्टर्लिंग और 10750 पौंड स्टर्लिंग कराधान के लिए अभी भी अदा करना है। इस प्रकार भा.खा.नि. द्वारा कुल भुगतान वहन की गई 2,88,197.87 पौंड स्टर्लिंग की विधिक लागत के अलावा 1,13,172 अमरीकी डालर के मूल दावे की अपेक्षा अधिक थी।

9. लेवी और आयातित चीनी का वितरण

9.1 लेवी और आयातित चीनी दोनों राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम (भा.खा.नि.) द्वारा वितरित की जाती है। लेवी चीनी के वितरण में भा.खा. नि. की जिम्मेदारी असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, दिल्ली राज्यों और अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों तक सीमित है। आयातित चीनी के लिए भा.खा.नि. पत्तन से उपभोग वाले गंतव्य स्थान तक देखभाल करती है।

9.2 1993-94 को समाप्त पांच वर्षों के लिए लेवी चीनी के संबंध में प्रचालन परिणाम निम्नवत् है:

(लाख रु.में)

	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
बिक्री की लागत	58,071.39	63,780.57	69,799.98	75,450.29	86,772.59
वितरण लागत					
क. भाड़ा	5946.66	5797.07	6528.03	6484.67	9565.93
ख. संभलाई प्रभार	930.31	1055.62	1460.79	1456.44	1588.07
ग. प्रशासनिक प्रभार	1079.13	1172.60	1275.54	2063.20	1823.65
घ. चुंगी प्रभार	122.73	116.12	139.81	104.41	13.56
ड. अन्य प्रत्यक्ष खर्चे	17.55	22.27	8.26	8.06	3.94
च. भंडारण प्रभार	387.25	319.58	359.51	747.69	382.35
छ. बैंक गारंटी पर शुल्क				31.62	33.75
ब्याज					
क. नियोजित भा.खा.नि. निधि पर	995.06	1304.61	1751.55	2567.47	2147.23
ख. खर्चों पर	689.29	712.24	1073.45	1280.15	1372.98
हानियां	1065.90	1065.66	1675.99	1755.64	1251.58
आर्थिक लागत	69305.27	75346.34	84072.91	91949.64	104955.63
सकल बिक्री उगाही	60065.53	61810.07	72542.21	85149.33	102235.81
मार्जिन और अन्य प्रभार	1672.91	1853.63	1988.35	1738.80	2269.61
निवल बिक्री उगाही	58392.62	59956.44	70553.86	83410.53	99966.20

सकल घाटा	10912.65	15389.90	13519.05	8539.11	4989.43
वसूली योग्य दावे	796.70	729.65	1458.41	1645.48	1234.47
पूर्व वर्ष से संबंधित समायोजन	51.97	18.26	28.70	3.89	--
निवल घाटा	10167.92	14678.51	12089.34	6889.74	3754.96

9.3 वार्षिक निवल घाटा 1989-90 में 101.68 करोड़ रु. से बढ़कर 1991-92 में 120.89 करोड़ रु. हो गया 1992-93 और 1993-94 में बैंक शुल्क के भार और उच्चतर हानियों के बावजूद तेजी से कम होकर 68.90 करोड़ रु. और 37.55 करोड़ रु. हो गया क्योंकि चीनी की कीमतें घाटे को पूरा करने के लिए खरीद लागत वृद्धि की अपेक्षा अधिक बढ़ गई थीं।

9.4 अतिरिक्त विश्लेषण से पता चला कि वितरण लागत और ब्याज प्रथम तीन वर्षों में अधिकांशतः पूरे नहीं हो पाए थे। इन वितरण लागतों में भाड़ा, संभलाई प्रभार, प्रशासनिक प्रभार, भंडारण प्रभार और बैंक गारंटी शामिल थी। इनमें से संभलाई प्रभार, प्रशासनिक प्रभार, भंडारण प्रभार और ब्याज लागत अननुपातिक रुप से बढ़ गए।

1993-94 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान बेची गई चीनी के प्रति क्विंटल औसत संभाल प्रशासन, भंडारण और ब्याज खर्चे निम्नवत हैं:

(प्रति क्विंटल रु.)

	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
प्रहस्तन	8.14	8.98	12.09	12.10	13.07
प्रशासन	9.44	9.97	10.55	17.14	15.01
भंडारण	3.39	2.72	2.97	6.21	3.15
ब्याज	14.73	17.15	23.37	31.97	28.98
जोड़	35.70	38.82	48.98	67.42	60.21

प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 1995) कि प्रशासनिक प्रभारों और ब्याज प्रभारों में वृद्धि मुख्य रुप से क्रमशः वेतन बकाया और ब्याज दरों में वृद्धि के कारण थी।

9.5 इनमें मार्गस्थ और भंडारण हानियां थी जो 1989-90 में 10.66 करोड़ रु. से बढ़कर 1992-93 में 17.56 करोड़ रु. हो गई। 1993-94 में ये कम होकर 12.52 करोड़ रु. हो गई। भा.खा.नि. के प्रतिमान के अनुसार चीनी के लिए कोई नुकसान अनुज्ञेय नहीं है क्योंकि इन्हें ए टिबल थैलों में रखा जाता है। वर्ष 1990-91 से 1993-94 के दौरान फिर भी निम्न प्रकार की हानियां स्वीकार की गई थी।

(लाख रु. में)

	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
भंडारण हानि	21.33	21.30	15.67	14.99
गुम बैगनों को छोड़कर मार्गस्थ हानि	250.45	245.70	267.99	266.71
प्रत्यक्ष सत्यापन हानि	6.32	1.67	-	-

इन हानियों की पूरी तरह जांच नहीं की गई। बेची गई चीनी की प्रति क्विंटल हानि 1990-91 में 9.06 रु., 1991-92 में 13.87 रु. , 1992-93 में 14.59 रु. और 1993-94 में 10.31 रु. थी।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

58.19 लाख रु. मूल्य की 1159.59 मी ट. नम चीनी (899.88 मी ट देशज और 259.71 मी ट आयातित) गत 4 से 8 वर्षों से जमशेद पुर खाद्य भंडारण डिपो (खा भं डि) में पड़ी थी। चीनी के कुल 12 ढेर (स्टैक) रीजनल कैटेगराइजेशन कमेटी द्वारा निरीक्षण पर गुम पाए गए। गुम ढेरों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। मई 1993 को कमेटी ने अपने को असहाय पाया क्योंकि ढेरों को पाया नहीं जा सका और वे गणना करने की स्थिति में नहीं थे। गतिरोध का निराकरण नहीं हुआ यद्यपि 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष सत्यापन और जिम्मेदारी का नियतन कालातीत हो गया। यह लेखापरीक्षा द्वारा भा.खा.नि. को जुलाई 1993 में बताया गया था। 18 महीने की समाप्ति के बाद प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 1995) कि तथ्यों को इकट्ठा किया जा रहा है।

9.6 चूंकि भा.खा.नि. को वास्तविक व्यय के आधार पर लागत और हानियों की प्रतिपूर्ति की जाती है परन्तु राज्य सरकारों की तरह लागत अथवा हानियों का नियंत्रण करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है जो चीनी का भंडारण और वितरण करते हैं और संभाल प्रभारों, प्रशासनिक प्रभारों, बैंक कमीशन, ब्याज और भंडारण हानियों के लिए नियत मार्जिन दिया जाता है। प्रबन्धन ने बताया (फरवरी 1995) कि भा.खा.नि का प्रचालन राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक था इसलिए हानियां अधिक हुई।

9.7 भा.खा.नि. को छः संभाल/संचलन अनुमत हैं जो संभाल प्रभारों और प्रशासनिक प्रभारों के अन्तर्गत इसे प्रतिपूर्ति करने योग्य राशि अवधारित करते हैं। इन छः संभालों में खरीद, बिक्री, दो हस्तान्तरण अन्दर के लिए और दो हस्तान्तरण बाहर के लिए शामिल हैं। अन्य शब्दों में सरकार द्वारा प्रदत्त कुल बिक्री की मात्रा खरीद की मात्रा की पांच गुना थी। खाद्यान्नों के विपरीत थैलों में मिलों से खरीदी गई चीनी स्वयं मिलों द्वारा उपभोक्ता स्टेशनों को शीघ्र ही भेज दिया जाता है। इस प्रकार भा.खा.नि. द्वारा कम संभलाई होती है। परन्तु खरीद और बिक्री को दो प्रचालन के रूप में गिना जाता था और 1993-94 तक गत 5 वर्षों के दौरान संभाल और प्रशासनिक खर्चों के लिए उपरोक्त आधार पर दावे की राशि 3307.28 लाख रु. थी जो नीचे दर्शाई गई है:

	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
प्रहस्तन के लिए भा.खा.नि. अखिल भारतीय औसत दर (प्रति मी.ट.)	18.50	21.20	28.10	27.90	30.80
प्रमात्रा का हस्तांतरण (मी.ट.)	11,24,653	11,11,304	11,70,748	12,01,124	11,84,787
अधिक राशि (लाख रु. में)	208.06	235.60	328.98	335.11	364.91
प्रशासनिक खर्चों के लिए भा.खा.नि. अखिल भारतीय औसत दर (प्रति मी.ट.)	23.70	26.10	26.80	42.60	38.20
अधिक प्रभार (लाख रु. में)	266.54	290.05	313.76	511.68	452.59

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 1995) कि किसी भी परिस्थिति में छः संभाल स्वीकार्य नहीं है। इसने आगे बताया कि लगभग सभी राज्य सरकारों को चीनी की संभलाई के लिए दो अथवा अधिक प्रचालन दिए जा रहे हैं। इसलिए थोक विक्रेता के रूप में दो प्रचालनों के लिए भा.नि. का दावा वैध है। मंत्रालय ने भी औसत संभलाई दर और भा.खा.नि. की प्रशासनिक खर्चे की औसत दर जो अधिक है, मान लिया है।

9.8 अन्तः डिपो स्थानान्तरण के लिए भा.खा.नि. ने सरकार को प्रभारित किया है गत चार वर्षो के दौरान चीनी की अन्तः डिपो संचलन निम्नवत थीः-

वर्ष	प्रमात्रा (लाख मी.ट. में)	बाहर स्थानान्तरण की प्रतिशतता
1989-90	2.28	21
1990-91	2.06	20
1991-92	2.20	19
1992-93	1.89	16
1993-94	1.91	16

इस प्रकार के भारी अन्तः डिपो संचलन के परिणामस्वरुप भाड़े और सम्भलाई पर परिहार्य व्यय हुआ और भा.खा.नि. द्वारा चीनी के संचलन में योजना के अभाव को भी दर्शाता है।

मंत्रालय ने बताया कि अन्तः डिपो संचलन कमी के वर्षों में आवश्यक हो सकते हैं। दूसरे, चूंकि भा.खा.नि. का फुटकर विक्रेताओं के आबंटन पर कोई नियंत्रण नहीं है इसलिए कतिपय डिपो में उपलब्धता और मांग के बीच मेल नहीं हो सकता है। यह दर्शाता है कि अन्तर डिपो स्थानान्तरण को कम करने के लिए राज्य सरकारों से उपयुक्त समन्वय द्वारा इस व्यय को कम करने के लिए भा.खा.नि. ने प्रयत्न नहीं किए थे।

9.9 भा.खा.नि. खाद्यान्नों और चीनी दोनों की कुल प्रमात्रा द्वारा कुल लागत का विभाजन करके भा.खा.नि.अखिल भारतीय औसत भंडारण लागत,संभाल लागत और प्रशासनिक लागत प्राप्त करता है जिन्हे तब आर्थिक सहायता का परिकलन करने के लिए अप्रैल 1980 में सरकार द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार खाद्यान्नों और चीनी दोनों के लिए आर्थिक सहायता के परिकलन के लिए प्रयोग किया जाता है। यह अनुचित प्रतीत होता है क्योंकि खाद्यान्नों को लम्बी अवधि के लिए भंडार में रखा जाता है और बफर स्टाक बनाया जाता है। चीनी के लिए औसत भंडारण अवधि केवल लगभाग छः सप्ताह है और कोई बफर स्टाक नहीं रखा जाता है। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न खंडों में मंडियों में तथा बिना पैक किए हुए अधिप्राप्त किया जाता है। चीनी के मामले में प्रचालन सरल है क्योंकि इनकी सुपुर्दगी मिलों से होती है और शीघ्र ही गंतव्य राज्य को भेजे जाते हैं। खाद्यान्न 3 से 4 महीने की अवधि तक रखे जाते हैं जबकि चीनी को वर्ष भर अधिप्राप्त किया जा सकता है लागत के परिकलन के लिए एक सिद्धान्त अपना कर खाद्यान्नों की प्राप्ति और भंडारण की अदक्षता चीनी को थोपी गई है।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 1995) कि भारत सरकार के आदेश दिनांक 25.4.1980को मार्जिन और लेखापरीक्षा टिप्पणी के लिए समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर संशोधित करने होंगे।

9.10 भंडारण प्रभार गोदामों के किराए म्यूनिसिपल कर, बीमा लागत, भंडार और फालतू, मरम्मत और रखरखाव लागत, स्थापना प्रभार, गोदामों पर मूल्य ह्रास, तुलासेतु जैसा कि भा.खा.नि. द्वारा वहन किया गया, को ध्यान में रखकर परिकलित किये जाते हैं। स्थापना प्रभार औसत भंडारण लागत का सबसे बड़ा घटक है। कुल स्थापना प्रभार 1989-90 में 156.37 करोड़ रु. से बढ़कर 1992-93 में 311.06 करोड़ रु. तक हो गया। इस वृद्धि के कारण लेवी चीनी के लिए आबंटित स्थापना लागत 10.79 करोड़ रु. से बढ़कर 20.63 करोड़ रु. हो गई । इस प्रकार लेवी चीनी पर स्थापना प्रभार का भार चार वर्ष की अवधि में दुगने से अधिक था। भंडारण क्षमता के बेहतर उपयोग से इसे कुछ सीमा तक कम किया जा सकेगा। उपयोग 42% से 66% के बीच था जबकि इसे 80 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए था। कुल मिलाकर भा.खा.नि. का स्थापना प्रभार अधिक संभलाई प्रभार और भंडारण क्षमता के कम उपयोग से लेवी चीनी की लागत तीन तरफ से बढ़ी।

9.11 भा.खा.नि. ने 1989-90 से 1992-93 के दौरान भंडारण प्रभार के लिए प्रति क्विंटल 1.71 रु. और 3.29 रु. के बीच प्रभारित किया। दूसरी तरफ सी डटल्यू सी/ एस डब्ल्यू सहित भंडारण प्रभार उसी पांच वर्ष की अवधि के दौरान निम्नतर थे।

(रु. में)

वर्ष	सी डब्ल्यू सी	एस डब्ल्यू सी
1989-90	0.88	0.74
1990-91	0.90	0.94
1991-92	1.14	1.07
1992-93	1.11	1.11
1993-94	1.12	1.16

इस प्रकार भा.खा.नि. द्वारा वहन किए गए भंडारण प्रभारों में कमी की काफी गुंजाइश थी।

9.12 भंडारण प्रभारों की तरह व्याज प्रभार भी 1989-90 में 16.84 करोड़ रु. से बढ़कर 1993-94 में 35.20 करोड़ रु. हो गए। इस पांच वर्ष की अवधि में केवल इसी से लेवी चीनी की लागत 14.25 रु. प्रति क्विंटल बढ़ गई। ऐसे जहां भा.खा.नि. चीनी का वितरण नहीं करती है अप्रैल 1993 से प्रभावी थोक विक्रेता मार्जिन में ब्याज का तत्व प्रति क्विंटल 9.82 रु. से 13.84 रु. के बीच था। इसके विपरीत 1989-90 से 1993-94 की अवधि के दौरान भा.खा.नि. द्वारा प्रभारित ब्याज प्रति क्विटंल 14.73 रु. और 31.97 रु. के बीच था । इस प्रकार भा.खा.नि. को किया गया अतिरिक्त भुगतान 78.18 करोड़ रु. बनता था।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 1995) कि राज्यों और भा.खा.नि. के मामले में चीनी के उठाने और वितरण करने में समय अन्तराल भिन्न भिन्न था। उत्तर सही नहीं है क्योंकि भा.खा.नि. मिलों से लेवी चीनी उठाता है और एक महीने के अन्दर वितरित करता है जो भा.खा.नि. द्वारा भी स्वीकार किया गया है।

9.13 इसके अतिरिक्त गुम वैगनों के संबंध में भी हानियां थीं। चूंकि भा.खा.नि. और रेलवे लेन देन का कोई निपटारा नहीं कर पाए इसलिए ये हानियां पूर्णरूप से अभिनिश्चित नहीं की गई हैं। गत चार वर्षों के लिए गुम वैगनों के संबंध में असमायोजित हानि निम्नवत है।

वर्ष	मात्रा टन में	लाख रु. में
1990-91	13762	746.79
1991-92	24031	1385.58
1992-93	23491	1468.27
1993-94	13435	958.10

प्रबन्धन ने बताया कि गुम और सम्बद्ध वैगनों का पता लगाने और संबंध स्थापित करने के सतत प्रयास किए गए हैं।

9.14 भा.खा.नि. ने खराब लेवी चीनी जिनका समय से निपटान नहीं हुआ, की ढुलाई लागत और वित्तपोषण लागत के संबंध में भारत सरकार से भारी राशि का दावा किया है। 1991 और 1993 के बीच 22,100 मी.ट. के संबंध में 63.82 लाख रु. की कुल राशि का दावा किया गया।

9.15 भा.खा.नि. 1989-90 और 1993-94 के बीच 13 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में चीनी का वितरण किया और 475.81 करोड़ रु. के घाटे का दावा किया जबकि उसी अवधि के दौरान राज्यों ने केवल 190.95 करोड़ रु. की आर्थिक सहायता का दावा किया। यहां तक कि कुछ राज्यों ने लाभ कमाया और सूगर प्राइस इक्विलाइजेशन फंड को 265.85 करोड़ रु. का अंशदान दिया। 1992-93 और 1993-94 में किसी भी राज्य ने सूगर प्राइस इक्विलाइजेशन फंड से घाटे का दावा नहीं किया जबकि भा.खा.नि. ने क्रमशः 68.90 करोड़ रु. और 37.55 करोड़ रु. का दावा किया।

9.16 भारत सरकार ने सितम्बर 1989 में 2.42 लाख मी.ट. चीनी का आयात किया जिसके वितरण का काम भा.खा.नि. द्वारा किया गया। पहले आयातित चीनी के शेष स्टाक को हिसाब में लेने पर 2.61 लाख मी.ट. आयतित चीनी का वर्षवार निपटान निम्नवत है:-

(लाख मी.ट. में)

वर्ष	पी.डी.एस.	फ्री सेल
1989-90	0.15	1.39
1990-91	0.10	0.50
1991-92	--	0.40
1992-93	--	0.02
1993-94	--	0.01

भंडारण लागत के रुप में 3.33 करोड़ रु. और ब्याज प्रभार के रुप में 20.73 करोड़ रु. खर्च किया गया।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 1995) कि उपभोक्ताओं के विरोध के कारण आयतित चीनी तरह नहीं बेची जा सकी। तथापि लगातार प्रयास से दिसम्बर 1994 को केवल 323 मी.टन. चीनी बेची थी जबकि 2.42 लाख मी.टन. का आयात हुआ। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 31 मार्च 1995 को या उसके पहले इस को परिसमाप्त करने के लिए विशिष्ट अनुदेश जारी किए गए हैं। तथापि अभी भी स्टाक का निपटान किया जाना है (जुलाई 1995)।

10. आंतरिक लेखापरीक्षा

10.1 भा.खा.नि. के पास पूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा और प्रत्यक्ष सत्यापन (आ.ले.और प्र.स.) प्रभाग है जिसका कार्यकारी निदेशक प्रमुख है और प्रबन्धक, संयुक्त प्रबन्धक, उप प्रबन्धक, सहायक प्रबन्धक और सहायकों सहित अन्य 591 स्टाफ हैं। इसके प्रति फरवरी 1994 में कार्यरत स्टाफ 465 थे। हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और पत्तन कार्यालयों को छोड़कर जोनल और क्षेत्रीय संगठन हैं।

आं.ले.प. और प्र.स. प्रभाग के लिए 591 संस्वीकृत स्टाफ संख्या 1976 से स्थिर थी, जबकि निगम की कुल स्टाफ संख्या 51,475 थी। मार्च 1994 में यह बढ़कर 65931 हो गई। उसी तरह निगम की कुल बिक्री 1975-76 में 4312 करोड़ रुपए से बढ़कर 1993-94 में 22911 करोड़ रुपए हो गई। इस प्रकार जब भा.खा.नि की स्टाफ संख्या 28% तक बढ़ गई आं ले.प. एवं प्र.स. प्रभाग की स्टाफ संख्या स्थिर रही। इन वर्षों में आं.ले.प. की क्षमता कमजोर हो गई।

जिला कार्यालयों के सिवाय, डिपो की आंतरिक लेखापरीक्षा रीजनल/जोनल कार्यालयों, आधुनिक चावल मिल, मुख्यालयों में यूनिटें और इसको सौंपी गई अन्य विशेष लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा के लिए भी जिम्मेदार है।

10.2 आंतरिक लेखापरीक्षा और प्रत्यक्ष सत्यापन विभाग के निम्नलिखित लक्ष्य हैं:-

क) लेखापरीक्षा की जाने वाली यूनिटों की प्रतिक्रिया/टिप्पणी सहित क्षेत्रीय लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणियों से चुनकर पैराग्राफ बनाना जो निदेशक बोर्ड की जानकारी में लाए जाने हैं।

ख) प्रत्येक क्षेत्र में आंतरिक लेखापरीक्षा/प्रत्यक्ष सत्यापन के विस्तार का मानीटरन।

ग) पहले ही बताए गए पैराग्राफों के जवाब और निपटारे का मानीटरन

घ) प्रत्येक विशिष्ट क्षेत्र/कार्य की लेखापरीक्षा करने के लिए धनमूल्य आपत्तियां/श्रेणीकरण/चैक लिस्ट के अवधारण के लिए नीति निर्देश विकसित करना परिचलित करना और समीक्षा करना।

ड.) यदृच्छया नमूना और अन्य तकनीकों का निर्धारण करके कम श्रमशक्ति से व्यापक विस्तार देने के लिए बल देने सहित लेखापरीक्षा कार्यविधि को सरल बनाने की संभाव्यता का विकास और मानीटर करना

10.3 आंतरिक लेखापरीक्षा और प्रत्यक्ष सत्यापन प्रभाग के निष्पादन की समीक्षा की गई और निम्नलिखित मुद्दे सामने आए:

i) जोनल और क्षेत्रीय कार्यालयों की वर्ष में दो बार लेखापरीक्षा करनी अपेक्षित है। व्यवहार में पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर के क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में यह आवधिकता एक वर्ष और दो वर्ष के बीच है।

उसी तरह जिला कार्यालयों का केवल वर्ष में एक बार निरीक्षण करना अपेक्षित है। इन अनुदेशों के विपरीत पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कशमीर और पश्चिम क्षेत्र के सभी कार्यालयों में वर्ष में दो बार निरीक्षण पूरा किया जाता है।

स्टाफ की कमी के कारण पूर्वी जोन में जोनल और क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखापरीक्षा केवल वर्ष में एक बार की जाती है।

ii) प्रत्येक लेखापरीक्षा टीम में एक सहायक प्रबन्धक और दो सहायक शामिल होते हैं। जबकि सहायक प्रबन्धक प्रशिक्षित होते हैं परन्तु पूर्वी जोन को छोड़कर सहायकों के लिए ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है।

प्रबन्धन ने सूचित किया (जनवरी 1995) कि आंतरिक लेखापरीक्षा और प्रत्यक्ष सत्यापन में सहायकों के लिए प्रशिक्षण कार्यालय चलाने के लिए विचाराधीन है।

iii) आंतरिक लेखापरीक्षा और प्रत्यक्ष सत्यापन प्रभाग से लेनदेन लेखापरीक्षा, लेखा लेखापरीक्षा, प्रणाली लेखापरीक्षा, क्षमता लेखापरीक्षा, और स्टाक का प्रत्यक्ष सत्यापन करना अपेक्षित है। व्यवहार में सत्यापन लेखापरीक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाता है और वाउचिंग सिस्टम लेखापरीक्षा ही कम की जाती है।

प्रबन्धन ने सूचित किया (जनवरी 1995) कि प्रणाली लेखापरीक्षा लेनदेन लेखापरीक्षा के साथ साथ की जाती है परन्तु प्रणाली लेखापरीक्षा से संबंधित कार्य में प्रशिक्षित और उपयुक्त कार्मिकों की कमी के कारण कुछ क्षेत्रों में व्यवधान पड़ रहा है।

iv) 1 मार्च 1995 को 36 कार्यालयों और 83 डिपुओं की लेखापरीक्षा करना शेष था और 80 डिपुओं में प्रत्यक्ष सत्यापन अभी किया जाना था। इनमें से कुछ की 3 से 5 वर्षों से अधिक समय से लेखापरीक्षा नहीं हुई थी। बकाया का कारण स्टाफ की अपर्याप्तता बताई गई थी। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने भी स्टाक के प्रत्यक्ष सत्यापन के कम विस्तार पर नियमित रुप से टिप्पणी की थी।

प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 1995) कि प्रचालनों की मात्रा और जटिलता को ध्यान में रखकर कार्यभार के वर्तमान स्तर के संदर्भ में आंतरिक लेखापरीक्षा और प्रत्यक्ष सत्यापन में संस्वीकृतियों की समीक्षा शीघ्रातिशीघ्र एच आर डी कार्यक्रम के भाग के रुप में शुरु किया जाएगा।

v) आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई आपत्तियों के विश्लेषण से पता चलता है कि यह स्वयं भा.खा.नि. के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित नहीं था। उदाहरण स्वरुप, आंतरिक लेखापरीक्षा ने श्रमशक्ति, आर्थिक सहायता, बजटीय नियंत्रण, निर्माण प्रबन्धन, पत्तन प्रचालन, आयात और निर्यात, गेहूं की खुली बिक्री, अधिप्राप्ति, इन्सीडेंटल की अधिप्राप्ति, बोरों की खरीद बिक्री पर कोई आपत्ति नहीं की थी।

प्रबन्धन ने सूचित किया (जनवरी 1995) कि स्तर और कार्यों के परिक्षेत्र जो आंतरिक लेखापरीक्षा और प्रत्यक्ष सत्यापन प्रभाग द्वारा संवीक्षा की जाएगी, को अवधारित करने के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए कार्यवृत्त टिप्पणी तैयार की जा रही है।

vi) भा.खा.नि. के प्रचालनात्मक कार्यकारियों से कमजोर प्रतिक्रिया और प्रबन्धन से आवश्यक समर्थन के अभाव के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा को भी नुकसान उठाना पड़ा।

1 मार्च 1995 को 2839.86 करोड़ रुपए के धनमूल्य वाले 64113 पैराग्राफ निपटारे के लिए पड़े थे। उसी तरह स्टाक के प्रत्यक्ष सत्यापन के 30395 पैरे भी निपटान के लिए पड़े थे।

प्रबन्धन ने आपत्तियों को स्वीकार करते समय बताया कि क्षेत्रीय प्रमुख महसूस करते हैं कि आंतरिक लेखापरीक्षा और प्रत्यक्ष सत्यापन को पैराओं अथवा उत्तरों की जिला प्रबन्धक की जानकारी के बिना ही अपने निजी पैराओं का निपटान करना चाहिए।

vii) 1990 के दौरान यथोचित कार्यवाही के लिए सतर्कता विंग को आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा भेजे गए 22 गम्भीर प्रकार के मामलों पर अभी भी कार्यवाही नहीं की गई थी।

viii) 27 नवम्बर 1986 को आयोजित 174 वीं बैठक में बोर्ड को आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तुत 743.06 लाख रुपए वाले 19 महत्वपूर्ण आपत्तियों पर अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई थी और उसके बाद कोई और रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

ix) उसी तरह 1985-88 की अवधि से संबंधित विशेष लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप प्रस्तुत रिपोर्ट पर अंतिम कार्यवाही लंबित थी। अत्यधिक विलम्ब के कारण 7 मामलों में कार्रवाई करना/प्रभावी वसूली करना संभव नहीं हो पाया है चूंकि सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र आदि के कारण कर्मचारी अब निगम की सेवा में नहीं हैं।

x) 49 मामलों के संबंध में 177.85 करोड़ रुपए वाले खाद्यान्नों की गुणवत्ता, अधिक भाड़ा, खराब ढंग से स्टाक रखना, अनावश्यक परिवहन आदि से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई कुछ प्रमुख आपत्तियों का प्रचालनात्मक प्रधान द्वारा उत्तर नहीं दिया गया था। भा.खा.नि. द्वारा प्रणाली में सुधार नहीं किया गया था।

आंतरिक लेखापरीक्षा और प्रत्यक्ष सत्यापन प्रभाग के समग्र कार्य का निर्धारण करते हुए प्रबन्धन ने स्वीकार किया (जनवरी 1995) कि आंतरिक लेखापरीक्षा दल में पूरा गुणात्मक उन्नयन अपेक्षित है। इसने आगे बताया कि आंतरिक लेखापरीक्षा की अक्षमता का कारण नीति स्तर पर प्रबन्धन द्वारा दिया गया अपर्याप्त महत्व और निम्नतर स्तर पर इस प्रकार के अरुचिकर प्रचालन को लेखापरीक्षिती की तुलनात्मक असंवेदनशीलता है।

10.4 आंतरिक लेखापरीक्षा और प्रत्यक्ष सत्यापन प्रभाग को सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रस्तुत करने के पहले निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा करना अपेक्षित है। तथापि निगम के वार्षिक लेखाओं में लगातार अनियमितताएं होती हैं। एम आई एस डाटा के बीच मिलान नहीं किया जाता है और लेखाओं में आने वाले आंकड़ों, भंडारण हानियों, मार्गस्थ हानियों, रेलवे दावे, रेलवे के पास जमा का अपर्याप्त रुप से मिलान किया जाता है। इन कमियों का आंतरिक लेखापरीक्षा और प्रत्यक्ष सत्यापन प्रभाग के कार्य की गुणवत्ता पर खराब असर पड़ता है।

11. आधुनिक चावल मिलें

11.1 1977 तक भा.खा.नि. मशीनी शुष्कन, पार ब्वायलिंग, कटाई के बाद धान सुखाने, धान साफ करने, रोलर शेलिंग आदि लागू करके आधुनिक मिलिंग तकनीक को प्रचालित करने के लिए 25 आधुनिक चावल मिलों (आ.चा.मि.) की स्थापना की थी। यह आशा की गई थी कि इन तकनीकों से आठ से दस प्रतिशत तक चावल का अधिक उत्पादन होगा।

11.2 25 आधुनिक चावल मिलें 483.27 लाख रुपए की लागत पर स्थापित की गई थी जिसमें से 355.12 लाख रुपए इक्विटी अंशदान के रुप में भारत सरकार से मिले थे। 24 आधुनिक चावल मिलों की निर्धारित क्षमता प्रति घंटे 3 और 4 मी.ट. के बीच थी और शेष एक की प्रति घंटे 2 मी.ट. थी। 25 मिलों की कुल वार्षिक प्राप्य क्षमता 4.4 लाख टन थी। यह क्षमता तभी उपलब्ध थी जब प्रयोज्य सामग्री धान नमी का तत्व 15% से अधिक फारेन मैटर 2% से अधिक नहीं है। तथापि व्यवहार में नमी का तत्व 16% और फारेन मैटर 5% से अधिक था। परिणामस्वरुप प्रत्येक मिल की निर्धारित क्षमता प्रति घंटा औसतन 3 मी.ट. तक कम थी। समय बीतने के साथ साथ दक्षिण और उत्तरी जोन में प्रचालन क्षमता 2 से 3 मी.ट. तक और मशीनरी की टूट और फूट, विद्युत घटक, राज्य सरकारों द्वारा धान की अधिप्राप्ति की नीति जैसी कई प्रचालनात्मक समस्याओं के कारण पूर्वी क्षेत्र मिल में 1.2 से 1.9 मी.ट. तक कम हो गई। पंजाब, हरियाणा में अधिप्राप्त धान को पूर्व और दक्षिण मिलों को परिवहन बहुत मंहगा हो गया तथा प्राइवेट मिलों में लोकल कस्टम मिलिंग आकर्षक हो गई। निगम की चावल मिलों की प्रचालनात्मक क्षमता से स्थानीय अधिप्राप्ति कम आकर्षक हो गई। आधुनिक चावल मिलों और प्राइवेट मिलों में प्रचालन की तुलनात्मक अर्थव्यवस्था पर विस्तृत रुप से अलग से चर्चा की गई है।

11.3 आधुनिक चावल मिलों की अन्य प्रचालनात्मक अड़चन श्रमिक समस्या थी। मिलों को पारियों में प्रचालित करना होता था परन्तु सामान्य पाली के अतिरिक्त समयोपरि दर से ये खर्चीले हो गए। मशीनरी की बार बार खराबी और फालतू पुर्जों की अनुपलब्धता से समस्या गंभीर हो गई।

11.4 लोक उपक्रम समिति (लो उ.स.) ने 1973-74 और 1980-81 में इन मिलों के निष्पादन की समीक्षा की थी। समिति ने नोट किया कि क्षमता उपयोग 1976-77 में 64 प्रतिशत से कम होकर 1979-80 में 24% तक हो गया। परिणामस्वरुप भा.खा.नि. ने मार्च 1984 में हस्कर और पालिसर के प्रतिस्थापन, प्रीक्लीनर के प्रतिष्ठापन, जनरेटर के प्रावधान आदि से दक्षिण और उत्तर जोन स्थित 12 मिलों के निष्पादन में सुधार लाने का निर्णय लिया। इन उपायों के बावजूद क्षमता उपयोग कम रहा जैसाकि नीचे पैराग्राफ 11.6 में बताया गया है।

इन कठिनाइयों के कारण प्रथम बार निगम द्वारा इन मिलों की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना पड़ा (मई 1986)। मिलों को तीन समूहों में श्रेणीकृत किया गया अर्थात् अच्छे निष्पादन वाली मिलें, ऐसी मिलें जिनका सुधार किया जा सकेगा, मिलें जिनको बंद कर देना चाहिए। इन निर्णयों के अनुपालन में मुख्यत: पूर्वी भारत की 13 मिलों को बंद करने के लिए पहचान की गई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने निदेश दिया (फरवरी 1987) कि खुली निविदा/नीलामी द्वारा इन मिलों के निपटान के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने चाहिए। उन जमीनों पर जहां मिलें हैं भंडार गोदाम निर्मित किए जाने हैं। तदनुसार निपटान के लिए एक समय सारणी तैयार की गई थी जिसमें मई 1987 तक बिक्री के लिए खुली निविदाएं विनिर्दिष्ट की गई थी।

अक्तूबर 1995 तक निगम निर्णय की गई 13 मिलों में से केवल 11 मिलों की मशीनरी बेचने में समर्थ रहा। इन 11 में से 9 मिलों की मशीनरी क्रेताओं द्वारा उठा ली गई हैं। शेष दो मिल के संबंध में क्रेताओं को श्रमिक समस्या के कारण मशीनरी उठाने के लिए अनुमत नहीं किया गया था जबकि उनके द्वारा भुगतान कर दिया गया था। परिणामत: क्रेता न्यायालय में गए। सारांश यह है कि नौ मिलों के 205.94 लाख रुपए के पूंजीगत परिव्यय के प्रति भा.खा.नि. ने केवल 42.56 लाख रुपए की उगाही की।

11.5 31.3.94 को शेष 12 मिलों का अवलेखित मूल्य 0.32 करोड़ रुपए था जबकि प्रारम्भिक पूंजीगत लागत 2.99 करोड़ रुपए थी। इन 12 मिलों का क्षमता उपयोग 1990-91 में 26.6%, 1991-92 में 20.6%, 1992-93 के लिए 9.0% और 1993-94 में 4.4% था। अन्य शब्दों में औसत क्षमता उपयोग जो 1979-80 में 24% था 1993-94 तक केवल 4.4% तक हो गया था।

11.6 वर्ष 1990-91 से 1993-94 के दौरान क्रमश: 78525, 81834, 77742 और 81684 के उपलब्ध कार्यचालन घंटों के प्रति इन वर्षों में वास्तविक कार्यचालन घंटे केवल 29869, 24247, 11894 और 5641 थे। रुके काम का समय यह दर्शाता है कि कार्यचालन घंटों की हानि मुख्यत: धान की अनुपलब्धता के कारण थी जो इस अवधि के दौरान कुल रुका काम समय का 23.5% से 66.23% हिसाब में लिया गया था।

ब्यौरे निम्नवत हैं:-

निम्न के कारण	**1990-91**	**1991-92**	**1992-93**	**1993-94**
कार्यचालन घंटों की हानि				
i) धान का अभाव	11437	14860	42823	50369
ii) श्रमिकों की अनुपस्थिति	5288	6223	7181	16582
iii) स्थान का अभाव	2411	854	2540	1477
iv) विद्युत का अभाव	6790	5270	2682	1487
v) खराबी	7007	5812	2155	506

vi) फालतू पुर्जों की कमी	2260	1840	841	292
vii) रखरखाव	6105	8274	2483	1825
viii) विविध	7358	14454	5143	3505
कुल रुका काम समय	48656	57587	65848	76043

11.7 जबकि उपरोक्त विश्लेषण अत्यधिक रुके काम समय का कारण धान की अनुपलब्धता दर्शाता है, तथापि यह पाया गया कि 44734 मी.ट. धान गत पांच वर्षों में करनाल में कस्टम मिलिंग के लिए प्राइवेट मिल वालों को दे दिए गए थे। जबकि उस अवधि के दौरान आधुनिक चावल मिल करनाल का क्षमता उपयोग 3.7% से 29.6% के बीच था जो निम्नवत है:-

(आंकड़े मी.ट.में)

वर्ष	आ.चा.मि. के लिए अपेक्षित धान	आपूर्त धान	कमियां	कस्टम मिलिंग के लिए दिया गया धान
89-90	18000	1144	16856	3021
90-91	18000	3958	14042	18779
91-92	18000	2424	15576	16704
92-93	18000	5988	12012	6230
93-94	18000	2069	15931	उ.न.

11.8 भा.खा.नि. की 12 मिलों में चावल के मिलिंग की औसत लागत 1991-92 में 187.18 रुपए प्रति मी.ट. थी जो 1993-94 में 2703.33 रु. प्रति मी.ट. तक बढ़ गई। असामान्य वृद्धि पेषण की गई मात्रा में कमी के कारण थी जो 1991-92 में 44,460 मी.ट. से कम होकर 1993-94 में 9438 मी.ट. हो गई। तुलना में, 1993-94 के दौरान कस्टम मिलिंग के लिए प्राइवेट मिल वालों को भा.खा.नि. द्वारा प्रदत्त दर प्रति मी.ट. केवल 90 रुपए थी। यह दर्शाता है कि आ.चा.मि. का प्रचालन आर्थिक रुप से व्यवहार्य नहीं रहा। मिलिंग की लागत को अधिक बढ़ाने वाले कुछ घटकों पर नीचे चर्चा की गई है।

11.9 मिलिंग के लिए विद्युत की लागत परिवर्ती लागत का 1993-94 में 64% से अधिक थी। निगम द्वारा इस लागत का नियंत्रण करने के उपाय नहीं किए गए थे। उदाहरणस्वरुप यह देखा गया था कि भा.खा.नि. को छः मिलों जो बंद हो गई थी, के मामले में विद्युत की अपेक्षा की कमी के लिए प्रस्ताव की पहल करने में 40 महीने तक समय लगा। इस विलम्ब के परिणाम प्रत्येक मिल न्यूनतम मांग प्रभार के रुप में प्रतिमाह 20,000 रु.

मे अदा कर रही है। विलम्ब से सूचना देने का प्रभाव यह रहा कि उड़ीसा मे तीन मिलों के संबंध में 6.10 लाख रु. का परिहार्य भुगतान हुआ।

11.10 नियत लागत में वेतन और मजदूरी सबसे बड़ा घटक था। यह 1991-92 में प्रति मी.ट. 308.37 प्रति मी.ट. से बढ़कर 1993-94 में प्रति मी.ट. 1976.80 रु. हो गया। भा.खा.नि. के अनुसार आधुनिक चावल मिल से जुड़ने वाले स्टाफ की पूर्ण संख्या अवधारित नहीं की गई है। मिलों को जिलों के रुप में माना जाता है और तदुनसार स्टाफ की तैनाती की जाती है। अक्तूबर 1994 में यह देखा गया था कि भा.खा.नि. के रिकार्ड में 22 जिलों की अभी गणना की जानी है जबकि 13 मिलें बंद हो गई थी। इस प्रकार इस सीमा तक स्टाफ अधिक है।

11.11 क्षेत्रीय प्रबन्धक (दक्षिण) ने प्रस्ताव रखा (सितम्बर 1991) कि या तो सभी क्रिया कलापों को कारगर बनाने के साथ साथ आधुनिक चावल मिलों का नवीकरण करने का निर्णय लिया जाए और उसका कार्यान्वयन किया जाय अथवा आधुनिक चावल मिलो को बंद कर देना और बेच देना चाहिए। इस प्रकार के नवीकरण की लागत प्रति मिल 40 लाख रु. होगी। इस प्रकार के निवेश के बाद भी मिल की आर्थिक व्यवहार्यता की गांरटी नहीं थी। दिसम्बर 1992 में आशोधन आदि न शुरु करने का निर्णय लिया गया था। तथापि जनवरी 1993 में पुनः न्यूनतम मरम्मत करने का निर्णय लिया गया था। दो विशेषज्ञ समितियां वित्तीय अपेक्षाओं को निर्धारित करने और आवश्यक प्रशासनिक परिवर्तनों का प्रस्ताव करने के लिए नियुक्त की गई थीं। उनकी सिफारिशों के आधार पर 13.60 लाख रु. की राशि दक्षिण क्षेत्र में स्थित मिलों के लिए संस्वीकृत की गई थीं जिसके प्रति केवल 4.09 लाख रु. की राशि आंध्रप्रदेश क्षेत्र में खर्च की जा सकी। तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश की मिलों को तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति निगम के लिए कस्टम मिलिंग की सम्भावना का पता लगाने और आंध्रप्रदेश में मिलिंग के लिए धान की वाणिज्यिक खरीद के लिए कहा गया था। किसी भी दिशा में कोई प्रगति नहीं की जा सकी थी।

निर्णय के अभाव में निगम की हानियां बढ़ती रही। 1980-81 से 1992-93 की अवधि के दौरान अकेले आधुनिक चावल मिल करनाल को 265.904 मी.ट. धान और 53.25 मी टन चावल की हानि हुई। इनका मूल्य क्रमशः 3.56 लाख रु. और 1.68 लाख रु. था।

11.12 आधुनिक चावल मिलों को चलाने की अर्थव्यवस्था पर भा.खा.नि. द्वारा किए गए अध्ययन (अप्रैल 1989) परिलक्षित होता था कि यदि मिलों को बंद कर दिया गया होता तो भा.खा.नि. को कम हानि होती। भा.खा.नि. का भी विचार था कि आ.चा.मि. की प्रौद्योगिकी पुरानी हो गई हैं और प्राइवेट कस्टम मिलिंग लागत प्रभावी है। यह विश्लेषण किया गया था कि आंध्रप्रदेश मे चार मिलों में हानि, यदि आंध्र में मिलें बंद कर दी गई होती तो स्थाई आकस्मिकताओं पर 28.07 लाख रु. की होगी, यदि धान स्थानीय रुप से प्राप्त किए गए होते

और पेषण किए जाते तो 243.63 लाख रु. की और यदि धान उत्तर से लाए जाते और पेषण किए जाते तो 293.56 लाख रु. की होती। इस प्रकार आंतरिक प्रचालन अधिक महंगा साबित हुआ। भा.खा.नि. द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा सितम्बर 1993 में किए गए और अध्ययन से निष्कर्ष निकला कि प्रति वर्ष प्रति मिल 32.84 लाख रु. की हानि होगी यदि मिलें प्रचालित की जाती हैं और 18.63 लाख रु. की हानि होती यदि मिलें बंद कर दी जाती हैं।

11.13 इस प्रकार के विश्लेषण के आधार पर निगम ने निविदा/नीलामी द्वारा शेष मिलों की मशीनरी का निपटान करने और वर्तमान भंडारण क्षमता की वृद्धि करने के लिए भूमि का उपयोग करने का निर्णय लिया (सितम्बर 1994)। अभी तक (अक्तूबर 1995) कोई कार्यवाही नहीं की गई थी और भा.खा.नि. आधुनिक चावल मिलों के संबंध में आर्थिक सहायता का दावा करता रहा है। आधुनिक चावल मिलों पर उठाई गई अधिक लागतों के कारण इस संबंध में भा.खा.नि. द्वारा दावित आर्थिक सहायता 1990-91 में 122.23 लाख रु. से बढ़कर 1993-94 में 255.14 लाख रु. हो गई। 1984-85 से 1993-94 की अवधि के 10 वर्षों में इस संबंध में भा.खा.नि. को प्रदत्त आर्थिक सहायता की कुल राशि 1521.24 लाख रु. थी।

12. आर्थिक सहायता

12.1 खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और बिक्री कीमत के बीच अन्तर की अदायगी आर्थिक सहायता के रुप में भा खा नि को भारत सरकार द्वारा की जाती है। चूंकि निगम के पास बफर स्टाक तथा प्रचालनात्मक स्टाक होते हैं इसलिए निगम की क्षतिपूर्ति के लिए दो विभिन्न दरें लागू की जाती हैं। बफर स्टाक के मामले में आर्थिक सहायता भंडारण लागत, भंडारण हानि, ब्याज लागत आदि के लिए होती है। प्रचालनात्मक स्टाक के मामले में इसमें अधिप्राप्ति लागत जैसे अधिप्राप्ति की प्रशासनिक लागत और परिवहन लागत, विलम्ब शुल्क, भंडारण/मार्गस्थ हानि, ब्याज प्रभार आदि जैसे अधिप्राप्ति के बाद की लागत शामिल है और इसे उपभोक्ता आर्थिक सहायता कहा जाता है। गत चार वर्षों में आर्थिक सहायता (अनियमित कमियों सहित) और बफर स्टाक अग्रेषण प्रभार निम्नवत थे:-

	आर्थिक सहायता		बफर स्टाक अग्रनयन प्रभार	
वर्ष	प्रति क्विंटल दर (रु. में)	जोड़ (करोड़ रु. में)	प्रति क्विंटल दर (रु. में)	जोड़ (करोड़ रु. में)
1990-91	121.77	2072	63.53	476
1991-92	135.32	2891	77.55	433
1992-93	179.60	3224	103.65	451
1993-94	170.28	3175	117.16	1245

12.2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समाकलित आदिवासी विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना आदि जैसे कई क्रमों की सहायता के लिए सरकार से आर्थिक सहायता का दावा किया जाता है। भारत सरकार भी रक्षा विभाग और विदेशी सरकारों के लिए बिक्री के मामलों में कीमत निर्धारित करती है। गत तीन वर्षों में निगम ने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निम्नवत आर्थिक सहायता प्राप्त की है:-

(करोड़ रु.)

	1991-92		1992-93		1993-94	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
पी डी एस	1239.65	1101.03	1338.23	997.85	791.99	980.75
निर्यात	114.36	--	2.54	--	--	1.20
आई टी डी पी/ आर पी डी एस	160.68	255.11	403.06	366.37	423.41	481.41
खुली बिक्री	(-)15.76	31.00	2.41	8.72	336.63	30.33
जे आर वाई	0.54	2.00	36.07	17.47	35.10	35.71
रक्षा/अन्य	0.90	--	26.52	22.37	22.62	18.01
क्षतिग्रस्त	0.17	1.23	0.78	1.38	1.52	15.21
जोड़	**1500.54**	**1390.37**	**1809.61**	**1414.16**	**1611.27**	**1562.62**

12.3 ऐसी महत्वपूर्ण लागतें जिससे आर्थिक सहायता में वृद्धि हुई, वे परिवहन, भंडारण, प्रशासनिक और ब्याज लागतें हैं। गत तीन वर्षों मे इनके वास्तविक आंकड़े निम्नवत है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष/लागत	परिवहन	भंडारण	ब्याज	प्रशासनिक
1991-92	626.91	302.36	817.22	189.31
1992-93	578.65	399.45	876.71	297.32
1993-94	930.48	409.37	1379.48	291.31

12.4 औद्योगिक लागत और कीमत ब्यरों (औ ला की ब्यू) ने इनका विश्लेषण (जून 1990) किया था और मानकीय लागत अपनाने की सिफारिश की ताकि लागत नियंत्रण में प्रोत्साहन मिल सके। अध्ययन के अनुसार परिवहन लागत का योगदान लागत के 33% और 37% के बीच होता है और इसमें कमी का तात्पर्य आर्थिक सहायता में काफी कमी होगा। इसकी बजाय यह लागत पर्याप्त रुप से बढ़ गई। प्रतिमान के रुप में औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरों ने सलाह दी कि संचालित मात्रा 125% की अधिप्रापति की अपेक्षा अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके प्रति गत तीन वर्षों में अधिप्राप्त और संचालित प्रमात्रा नीचे दी गई है:-

(प्रमात्रा लाख टन में)

वर्ष	अधिप्राप्त	संचालित	बिक्री	अधिप्राप्ति से संचलान की प्रतिशतता
1991-92	171.37	259.97	213.80	152%
1992-93	178.30	272.91	179.50	153%
1993-94	259.91	278.16	186.50	107%

12.5 गत वर्ष के अलावा अधिप्राप्ति से संचलन का अनुपात प्रतिमान के अन्दर नहीं था। सम्पर्ण शब्दों में संचलन बढ़ता रहा। खाद्यान्नों के अन्तर्डिपो, अर्न्तक्षेत्रीय और अन्तर्जोन संचलन के कारण यह अधिक है। भंडारण सुविधाओं की अवस्थिति, रेल शीर्ष की उपलब्धता, रेलवे साइडिंगों का अभाव, घटिया किस्म के स्टाक के संचलन की आवश्यकता जैसी समस्याओं के कारण खाद्यान्नों का आड़ा तिरछा संचलन होता रहा। ऐसी संरचनात्मक कमजोरियों को उद्भूत होने वाली मांग प्रतिमान के संदर्भ में सुविधाओं के अद्यतन की सतत नीति से ही दूर किया जा सकता है। गत वर्ष में संचलन में कमी भी चार क्रमिक वर्षों में अधिक फसल के कारण और उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में अधिक अधिप्राप्ति के कारण ही प्राप्त की जा सकी। बम्पर फसल के परिणामस्वरूप उपभोक्ता स्थानों यहां तक कि खुले बाजारों में भी खाद्यान्नों की काफी उपलब्धता हो गई और दो बड़े राज्यों में अधिप्राप्ति के कारण पंजाब से अधिक दुलाई में कमी हो गई।

12.6 परिवहन लागत में खाद्यान्नों के सड़क संचलन की लागत शामिल है। औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरों ने इस लागत के नियंत्रण की सिफारिश की। जबकि 1993-94 में कुल संचलन लगभग वैसा ही था जैसे 1992-93 में परन्तु सड़क परिवहन पर इनक्रीमेन्टल व्यय अत्यधिक था जैसा कि नीचे दिखाया गया है:-

	(करोड़ रु. में)
1991-92	60.93
1992-93	72.26
1993-94	91.95

12.7 अनुषंगी लागतें विलम्ब शुल्क, अवरोधन, विपणन प्रभार हैं। औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरों ने प्रतिमान के रुप में कुल रेल भाड़ा के 2% की सिफारिश की थी। निगम इस प्रतिमान को नहीं प्राप्त कर सका जो निम्नवत हैं:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	रेलवे भाड़ा	विलम्ब शुल्क	भाड़े से विलम्ब शुल्क की प्रतिशतता
1991-92	523.11	17.44	3.33
1992-93	464.12	17.65	3.80
1993-94	791.69	22.90	2.89

12.8 प्रशासनिक लागत भी बढ़ गई थी जिससे आर्थिक सहायता में वृद्धि हुई। चूंकि निगम अधिप्राप्ति के लिए प्रशासनिक लागत का आबंटन नहीं करता है इसलिए अधिप्राप्ति और वितरण में प्रशासनिक लागत घटक की प्रवृत्ति अलग से दर्शाना सम्भव नहीं है। प्रति क्विंटल बिक्री पर प्रशासनिक लागत की प्रवृत्ति निम्नवत है:-

वर्ष	प्रति क्विंटल यूनिट लागत
1991-92	7.40 रु.
1992-93	13.98 रु.
1993-94	10.94 रु.

12.9 संगठन में कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या निम्नवत है:-

वर्ष	कुल संख्या	अधिकारियों की संख्या
1990-91	68502	4922
1991-92	67788	4890
1992-93	66631	4788
1993-94	65931	4851

1990-91 और 1993-94 के बीच स्टाफ के साथ अधिकारियों की संख्या में 2571 की सीमान्त कमी आई थी। तथापि, गोदामों की संख्या में कोई खास कमी नहीं आई थी और 1679 और 1704 के बीच थी। चूंकि भा.खा.नि. के अधिकांश स्टाफ (54%) भंडार गोदामों में नियोजित है, निगम ने औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो (औ.ला.की.ब्यू.) के पहले स्वीकार किया था कि कार्य की प्रमात्रा की तलना में बड़े डिपुओं में उपलब्ध स्टाफ बेशी थे।

औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो ने भी बताया था कि भा.खा.नि. के स्वामित्व के गोदामों के मामलों में उच्चतर भंडारण लागत मुख्यत: भा.खा.नि. द्वारा नियोजित अधिक स्टाफ संख्या के कारण थी जो सी डब्ल्यू सी और एस डब्ल्यू सी द्वारा नियोजित श्रमबल की तुलना में अधिक उदार स्टाफ प्रतिमान के परिणामस्वरूप थी।

भा.खा.नि. के नियंत्रण योग्य कार्यालय व्यय भी 1991-92 में 4894.31 लाख रु. से बढ़कर 1993-94 में 6286.32 लाख रु. हो गई।

12.10 औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशों में से एक अधिप्राप्त लागत को भा.खा.नि. द्वारा 50% अधिप्राप्ति का प्रतिमान तय करना और 50% राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा था। जैसाकि पहले अध्याय 2 में दर्शाया गया है कि इस तरफ निगम का निष्पादन बहुत कम था। चूंकि एजेंसियां अधिकांश खाद्यान्न अधिप्राप्त कर रही थी। इसलिए निगम के स्टाफ का मौसमी कार्य के लिए भी कम उपयोग हो रहा था। लागत भी बढ़ गई थी क्योंकि एजेन्सियों ने प्रति क्विंटल 1.25 रु. की उच्च दर पर अधिप्राप्त किया था। चूंकि 1993-94 में कुल अधिप्राप्ति 259.91 लाख मी.ट. थी जिसका बड़ा भाग एजेंसियों के माध्यम से था इसलिए अतिरिक्त लागत स्पष्ट है।

12.11 समय से भंडारण और मार्गस्थ हानियों के विनियमन का अभाव अन्य कमजोरी है। लगभग 774 करोड़ रु. की हानियों का नियमन नहीं हुआ था। निकासी की गति बहुत खराब थी और निगम को 15.50 % की उधार दर पर प्रतिवर्ष लगभग 120 करोड़ रु. की हानि हो रही थी।

मंत्रालय ने बताया (मार्च 1995) कि वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धकों को इस संबंध में व्यक्तिगत ध्यान देने की सलाह दी गई है और 150 करोड़ रु. की हानियों के विनियमन का लक्ष्य रखा गया है।

12.12 ब्याज व्यय की अन्य महत्वपूर्ण मद है। 1991-92 से 1993-94 तक के तीन वर्षों की अवधि के दौरान इस संबंध में 3073.41 करोड़ रु. की राशि का व्यय किया गया था। 180 लाख मी ट खाद्यान्न की बिक्री के लिए और 60 लाख मी.ट. प्रचालनात्मक स्टाक की धारिता के लिए औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो ने गेहूं की बिक्री के लिए 10.90 रु. प्रति क्विंटल और चावल की बिक्री के लिए 15.70 रु. प्रति क्विंटल ब्याज लागत का अनुमान लगाया था। 60 लाख मी ट के बफर स्टाक की धारिता के लिए औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो ने गेहूं के लिए 24.70 रु. प्रति क्विंटल और चावल के लिए 35.70 रु. प्रति क्विंटल की ब्याज लागत का अनुमान लगाया था। वर्ष 1993-94 के लिए वास्तविक ब्याज लागत निम्नवत थी:-

(प्रति क्विंटल रु.)

	प्रचालनात्मक स्टाक	बफर स्टाक
गेहूं	33.06	43.24
चावल	42.96	74.15

12.13 उपरोक्त के अलावा समय से खराब खाद्यान्नों के निपटान में विफलता और गेहूं तथा चावल की खुले बाजार में बिक्री के लिए उपयुक्त कीमत तय करने में विफलता के कारण सीमान्त हानियां हुई थीं। इससे परिहार्य रखाव लागत और आर्थिक सहायता में वृद्धि हुई।

12.14 सारांश में औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो द्वारा यथा निर्धारित गेंहूं और चावल की आदर्शी वितरण लागत और वास्तविक लागत निम्नवत है:-

	1993-94			
	आदर्शी लागत		वास्तविक लागत	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
परिवहन	30.50	30.50	50.22	41.82
ब्याज	10.90	15.70	33.06	42.96
भंडारण	4.70	4.70	8.11	8.07
अन्न हानि	1.90	3.70	4.40	9.97
सम्हलाई श्रमिक	8.80	8.80	10.70	10.69
प्रशासनिक उपरिव्यय	7.20	7.20	10.95	10.94
वितरण लागत	64.00	70.60	117.44	124.45

औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरों ने अनुमान लगाया था कि आदर्शी लागतों के अपनाए जाने के परिणामस्वरुप 205 करोड़ रु. की बचत होगी जो सीधे आर्थिक सहायता को कम कर देगी। तथापि 64 रु. प्रति क्विंटल की आदर्शी लागत के प्रति भा.खा.नि. गेहूं के लिए प्रति क्विंटल 117.44 रुपए व्यय कर रहा था और उसके लिए दावा कर रहा था। चावल के मामले में 70.60 रु. के प्रतिमान के प्रति यह 124.45 रुपए प्रति क्विंटल था।

13. अन्य ध्यान देने योग्य विषय

13.1 पिछले अध्यायों में शामिल न की गई प्रमुख अनियमितताओं के कुछ उदाहरण इस अध्याय में दिए गए हैं। इन अनियमितताओं में 3530.51 लाख रु. का मौद्रिक मूल्य निहित है। चूंकि यह राशि आर्थिक लागत में जोड़ी गई थी इसलिए भा.खा.नि. की इसकी प्रतिपूर्ति आर्थिक सहायता के रुप में की गई थी। ऐसा न होने देने पर इस सीमा तक सरकार पर आर्थिक सहायता का बोझ कम हो जाएगा।

13.2 भा.खा.नि. ने बिना लाभ और बिना हानि के आधार पर कृषि मंत्रालय की ओर से 1966 से आगे एजेंसी आधार पर आयातित उर्वरक की सम्हलाई की। मार्च 1978 में खाद्य मंत्रालय ने आयातित उर्वरक की सम्हलाई के लिए छः और एजेंसियों को लगाया और भा.खा.नि. को आगे का आबंटन फरवरी 1982 से बंद कर दिया गया। तथापि निगम ने निम्नवत अपेक्षा से अधिक पैकिंग सामग्री खरीदना जारी रखा।

(लाख थैलों में)

वर्ष	वितरण	अथशेष	खरीद	आवक अन्तरण	जावक अन्तरण	खपत	शेष
1979-80	एस.बी.टी. बोरियां	9.05	64.86	8.85	शून्य	29.60	53.16
	लैमिनेटेड बोरियां	8.85	73.74	2.40	शून्य	67.49	17.50
	पोलीथीन लाइनर्स	35.04	38.17	शून्य	5.30	24.38	43.53
1980-81	एस.बी.टी. बोरियां	53.16	15.45	शून्य	28.01	23.69	16.91
	लैमिनेटेड बोरियां	17.50	108.91	शून्य	शून्य	51.83	74.58
	पोलीथीन लाइनर्स	43.53	29.59	शून्य	14.50	20.65	37.97
1981-82	एस.बी.टी. बोरियां	16.91	शन्यू	103	शून्य	3.91	14.02
	लैमिनेटेड बोरियां	74.58	शून्य	शून्य	शून्य	44.84	29.74
	पोलीथीन बोरियां	37.97	10.00	शून्य	शून्य	4.00	43.97

मार्च 1982 के अंत में 286.61 लाख रु. मूल्य की बोरियों के स्टाक में से 173.01 लाख रु. मूल्य के स्टाक की 1982-83 से 1984-85 तक के दौरान खपत की गई और 113.60 लाख रु. मूल्य की शेष बोरियों का 21.58 लाख रु. की हानि पर दिसम्बर 1987 में नीलामी की गई थी। कुल मिलाकर भा.खा.नि. को 2 वर्ष 9 महीने के नकद क्रेडिट पर 5.30 लाख रु. के भंडारण प्रभार, 1.68 लाख रु. की भंडारण कमियों और 43.73 लाख रु. की परिहार्य हानि सहित 72.29 लाख रु. की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया कि कारबार में गिरावट का अनुमान नहीं लगाया जा सका और निपटान में विलम्ब विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले निर्णयों के संदर्भ में अपरिहार्य था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भा.खा.नि. ने 1979-80 और 1980-81 के दौरान पैकिंग सामग्री की एक मुश्त खरीद की उसके बाद सरकार ने मार्च 1978 बहु एजेंसी प्रणाली लागू की।

13.3 अपने कार्यालय नियम पुस्तक खंड I में निहित अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत खाद्य आपूर्ति डिपो बैरकपुर खाद्यान्नों, चीनी आदि की लागत के लिए खरीदारी से भुगतान के रुप में बाह्य स्थित बैंकों से आहरित बैंक ड्राफ्ट/डिपाजिट ऐट काल रिसीट स्वीकार कर रहा था। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 1986 से फरवरी 1989 की अवधि के दौरान संग्रहण प्रभारों के संबंध में 10.93 लाख रु. का परिहार्य व्यय का वहन करना पड़ा।

13.4 नवम्बर 1991 से जून 1994 के दौरान आंध्रप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा प्रेषित चेक 2 से 6 दिनों के विलम्ब से भा.खा.नि. के खाते में क्रेडिट किया गया। इसके परिणामस्वरुप भा.खा.नि. को 14.38 लाख रु. के ब्याज की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 1995) कि 1.7.1994 से भा.खा.नि. ने अब शाखा में खाता खोल लिया है जहां से बैंकर चेक जारी किए जाते हैं और इस प्रकार उसी दिन क्रेडिट हो जाते हैं। यदि ऐसा पहले किया गया होता तो 14.38 लाख रु. के ब्याज की हानि का परिहार किया जा सकता था।

13.5 भारतीय खाद्य निगम ने 969.99 रु. प्रति कवर की दर से सितम्बर 1980 में 25,500 ब्लैक लो डेनसिटी पोलीथीन कवर खरीदा। सामग्री की आपूर्ति स्वीकृति के पहले निरीक्षण के अध्यधीन थी। कवर जनवरी 1981 तक आपूर्त कर दिए गए थे। हरियाणा, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश और पंजाब को भेजे गए इन कवरों के लिए निम्नतर वजन, निम्नतर गेज, निम्नतर परिमाण और बड़े छिद्रों की शिकायतें मिली। अगस्त 1983 में निगम ने पूर्तिकार से 24.83 लाख रु. का दावा किया। पूर्तिकार ने दावे को अस्वीकार कर दिया और मामला पंचनिर्णय को भेजा गया था। आन्ध्रप्रदेश और तमिलनाडु से संबंधित दावे अस्वीकार कर दिए गए थे क्योंकि ये कालातीत हो गए थे। भा.खा.नि. को 22.80 लाख रु. हानि हुई और केवल 2.03 लाख रु. वसूल कर पाया। आपूर्ति के पूर्व निरीक्षण की विफलता और समय से दावा प्रस्तुत करने की विफलता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं तय की गई थी।

प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 1995) कि भा.खा.नि. को हानि केवल 7.36 लाख रु. की हुई थी न कि 22.80 लाख रु. की। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह 6880 घटिया कवरों जो रिआयती मानक के अन्तर्गत स्वीकार किए गए थे के संबंध में हुई हानि को हिसाब में नहीं लेता है।

13.6 अगस्त 1986 में खाद्य विभाग और भा.खा.नि ने मंत्रालय को आर्थिक सहायता के दावों को प्रस्तुत करने के लिए और चैकों के जारी करने के लिए समय सूची को स्वीकार किया। न तो भा.खा.नि. ने, न ही मंत्रालय ने समय सूची का अनुपालन किया परिणामतः भा.खा.नि. को 1990-91 से 1992-93 तक के दौरान दावित चेकों की विलम्ब से प्राप्ति के कारण 37.54 करोड़ रु. के ब्याज की हानि हुई। यदि यह राशि समय से अदा की गई होती तो भा.खा.नि. प्राप्त नकद क्रेडिट पर इस सीमा तक ब्याज बचा सकता था जो आर्थिक सहायता के घटक के रुप में भा.खा.नि. को प्रतिपूर्ति की गई।

मंत्रालय ने बताया (मई 1994) कि अगस्त 1986 में नियत अनुसूचित तारीखें आंतरिक लक्ष्य की द्योतक थी। इसने आगे बताया कि 1993-94 में स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तथ्य यह रहता है कि 37.54 करोड़ रु. तक की आर्थिक सहायता बचाई जा सकती थी यदि दावे के चेक समय से जारी किए गए होते।

13.7 ऐसे मामलों में जहां खाद्यानों का प्रेषण रेलवे रसीद अथवा सम्प्रेषण नोट के साथ नहीं होता है वहां डिस्ट्रिक्ट केटेगराइजेशन कमेटी खाद्यान्नों की किस्म अवधारित करती है जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निगर्म में विलम्ब न हो। केरल के नौ जिलों में समिति द्वारा ऐसे निर्धारण के नमूना जांच से यह परिलक्षित होता है कि 1990-91 में 31518 मी.ट., 1991-92 में 51282 मी.ट., 1992-93 में 36330 मी.ट. और 1993-94 में 17300 मी.ट. गलती से उच्च श्रेणी में वर्गीकृत हो गए थे। इसके परिणामस्वरुप भा.खा.नि. को 418.71 लाख रु. के अतिरिक्त राशि का अर्जन हुआ। यह राशि निगम को देय नहीं थी क्योंकि ग्राहकों से अधिक प्रभार लिया गया था।

प्रबन्धन ने सूचित किया (जनवरी 1995) कि सुधारित कार्यविधि के कारण ऐसे मिस कैटेगराइजेशन की अधोमुखी प्रवृत्ति थी। अधिक उगाही की गई राशि के संबंध में निगम ने बताया कि इससे सरकार को लाभ मिलता है क्योंकि आर्थिक सहायता की राशि तदनुरुप कम हो गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं हे क्योंकि उपभोक्ता ने इन गलतियों के लिए अधिक कीमत अदा की।

13.8 अप्रैल/मई 1990 में आंध्रप्रदेश के नेल्लोर और राजूपालम गोदामों में भंडारित 3861.40 टन धान इस तर्क पर तमिलनाडु के त्रीची/सेवुर में ले जाया गया कि आंध्रप्रदेश में अतिरिक्त भंडारण स्थान अपेक्षित है और इस धान को तुरन्त मिलिंग की आवश्यकता है। यह देखा गया कि तमिलनाडु को ले जाए गए धान का पेषण 10 से 18 महीनों के बाद किया गया और नेल्लोर को मिलिंग के लिए नया धान लाया गया। इस प्रकार धान का अनियोजित संचलन हुआ और भाड़े तथा सम्हलाई पर 11.02 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

13.9 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रधान नियोक्ता को भविष्य निधि के लिए अंशदान काटना अपेक्षित है। भा.खा.नि. ने ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित कामगारों की मजदूरी से ऐसा अंशदान नहीं काटा था। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त जयपुर ने 1968 से 1984 की अवधि के लिए 22.48 लाख रु. की मांग प्रस्तुत की। भा.खा.नि. ने उच्चतम न्यायालय में इसका असफलता पूर्वक विरोध किया और अन्त में जनवरी और मार्च 1993 में 10.37 लाख रु. का भुगतान किया।

प्रबन्धन ने सूचित किया (दिसम्बर 1994) कि जुलाई 1975 में पर्याप्त और यथोचित अनुदेश जारी किए गए थे और जून 1994 में क्षेत्रों द्वारा इसके सतर्क कार्यान्वयन के लिए फिर दोहराया गया।

13.10 अस्थाई ढेरों और स्थाई ढेरों के लिए विभेदक दरें हैं। स्थाई ढेरों में 16 से 20 तह तक थैलों का ढेर लगाया जा सकता है जिसमें ढेर लगाते समय और ढेर से हटाते समय अधिक काम होता है। 1988 से 1989 के कैलेंडर वर्ष के दौरान कोचीन पत्तन न्यास में ट्रांजिट शेड में 21.79 लाख थैले अस्थाई रूप से रखे गए थे। भा.खा.नि. को स्थाई ढेर के लिए लागू उच्चतर दर अदा करनी पड़ी। 15.08 लाख रु. का अधिक भुगतान हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (मई 1994) कि पत्तन सेड का तात्पर्य अधिक समय तक के भंडारण से है और 16-20 थैलों तक के पारम्परिक ढेरों का आश्रय लिया गया। प्रबन्धन का उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि थैले प्राप्ति के 10 दिन के अन्दरर गोदामों से भेजे गए थे। इसलिए पत्तन शेड में ढेर केवल अस्थाई थे और गोदामों में स्थाई ढेर के लिए देय दर की अपेक्षा निम्नतर दर के योग्य थे।

उसी तरह नौ उप डिपुओं में 84.17 लाख थैलों का अस्थाई रूप से ढेर लगाया गया जिसके लिए उच्चतर दर अदा की गई थी। 38.35 लाख रु. का अधिक भुगतान हुआ।

भा.ख्रा.नि. के अनुसार (दिसम्बर 1994) यद्यपि उप-डिपुओं के स्टाक तत्काल बेचने के लिए थे फिर भी परम्परा के अनुसार ढेर लगाया गया और तदनुसार उसके लिए भुगतान किया गया। उत्तर में पारम्परिक ढेर की आवश्यकता की व्याख्या नहीं की गई है जबकि साधारण ढेर जिसमें सम्हलाई की न्यूनतर दर अन्तर्ग्रस्त हो, पर्याप्त था।

(रमेश चन्द्र)

नई दिल्ली 28 DEC 1995

दिनांक:

उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

सि. जि. सोमैया

(सि.जि. सोमैया)

नई दिल्ली

दिनांक

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

02 JAN 1996

अनुबन्ध -I

(देखें पैराग्राफ 1.2)

<u>संगठनात्मक ढांचा</u>

भा.खा.नि. मुख्यालय

कार्यकारी समिति

प्रबन्ध निदेशक

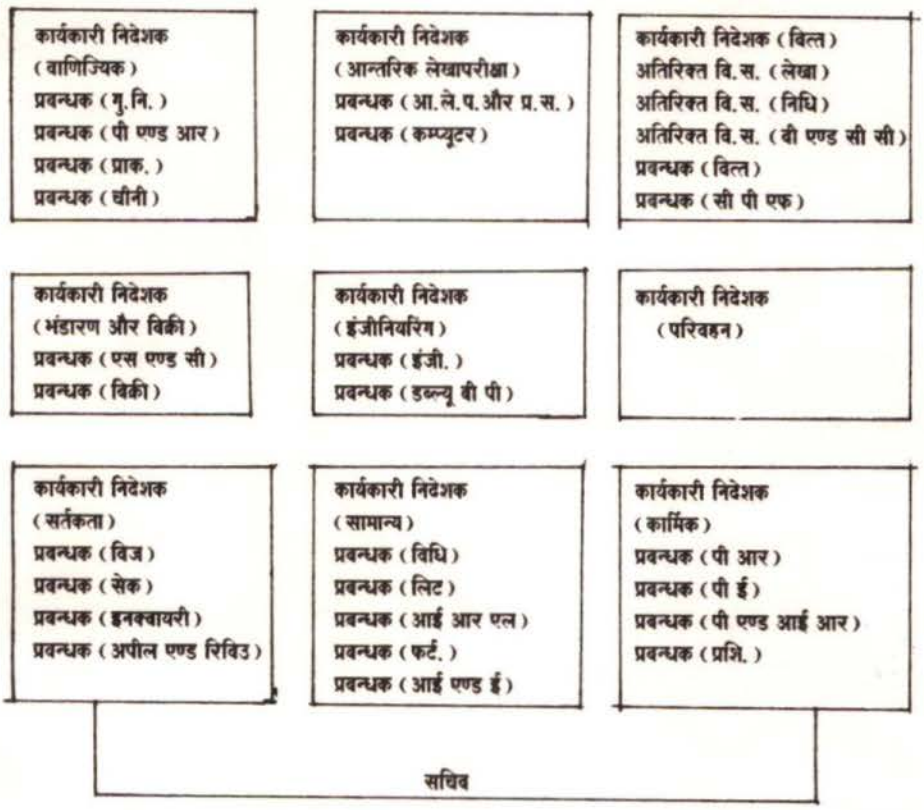

जोनल प्रबन्धक उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूर्वोत्तर

क्षेत्रीय प्रबन्धक (19 रीजन)

जिला प्रबन्धक (162 जिला)

1704 डिपो

अनुबन्ध - II

(देखें पैराग्राफ 6.5)

गोदामों के निर्माण में विलम्ब

केन्द्र	क्षमता (हजार टनों में)	एजेन्सी	पूरा करने की अनुबद्ध तारीख	पूरा करने की वास्तविक तारीख
गुडीवडा	30.00	एन पी सी सी	8/85	11/92 से 5/93
हुबली	30.00	एन पी सी सी	1/86	3/93 से 2/94
घेवरा	25.00	एन पी सी सी	8/85	6/92
बारन	2.50	एन पी सी सी	7/85	10/92
बारमेर	10.00	एन पी सी सी	7/85	10/92
चन्देरिया	12.08	एन पी सी सी	6/85	10/92
हनुमानगढ़	5.00	एन पी सी सी	6/85	10/92
केशोरामपथनाम	11.67	एन पी सी सी	6/85	10/92
श्रीविजयनगर	11.74	एन पी सी सी	9/85	10/92
बुलन्दशहर	3.34	एन पी सी सी	4/85	11/92
कोसीकालन	6.83	एन पी सी सी	7/85	3/93
मथुरा	2.24	एन पी सी सी	7/85	10/92
परतापुर	19.58	एन पी सी सी	6/85	6/92 से 9/92
मुरादाबाद	10.00	एन पी सी सी	4/85	3/93
वाराणसी	3.49	एन पी सी सी	7/85	10/92
रोजा	30.00	भा.खा.नि.	10/88	3/92
पासीघाट	2.50	भा.खा.नि.	6/90	2/94
लांगतलाई	3.34	एन बी सी सी	3/88	अभी पूरा नहीं हुआ
मान	2.22	एन बी सी सी	6/89	3/92
कुमारघाट	4.18	एन बी सी सी	3/89	काम अवरुद्ध है

चुराईबारी	1.67	भा.खा.नि.	9/91	3/92
कार्गिल	2.50	पी.डब्ल्यू.डी.	6/89	8/93
धनकुनी- फेस I	10.00	भा.खा.नि.	7/89	3/90 से 11/91
फेस II	10.00	भा.खा.नि.	1/90	12/91 से 6/94
बेल्लारी	25.00	भा.खा.नि.	6/93	9/93 से 3/94
				(पूरा हुआ 15.0)
पुंछ	2.50	भा.खा.नि.	5/91	10/93
भैराबी	5.00	भा.खा.नि.	10/93	पूरा किया जाना है
करुंगापालो	10.00	भा.खा.नि.	5/90	3/92 से 7/92

अनुबन्ध - III

(देखे पैराग्राफ 6.11)

भूमि का स्वामित्व लिया, परन्तु गोदामों का निर्माण नहीं किया गया

जगह का नाम	कब प्राप्त किया गया	क्षेत्र (एकड़ में)	लागत (लाख रु. में)
1. हसन	1986	6	0.46
2. कोप्पाल	1986	8.36	2.57
3. तुमकर	1986	8.00	0.82
4. सिमोगा	1986	25	6.46
5. इम्फाल	1986	उ.न.	उ.न.
6. कापा (एम पी)	1984	350.67	42.08
7. तोदीरामजानीपुरा (राज.)	1985	उ.न.	उ.न.
8. बेलगांव	1987	10	3.19
9. बीजपुर	1987	10	1.45
10. कथुआ (ज.और क.)	1989	उ.न.	उ.न.
11. अलवर (राज.)	1990	उ.न.	उ.न.
12. उडिपी	अक्तू. 92 मई 93	10.00	42.70
13. बारामुला	1989	24 कनाल	19.32
14. किस्तवार	1989	24 कनाल और 19 मार्ला	7.50

अनुबन्ध - IV

(देखें पैराग्राफ 7.3)

क्षेत्र	रेलवे साइडिंगों की संख्या	प्रति साइडिंग सर्विस की गई क्षमता	प्रति प्रचालन साइडिंग प्रहस्तित मात्रा
		(1992-93 के आंकड़ों पर आधारित)	
		लाख मी.ट.	लाख मी.ट.
उत्तर जोन			
दिल्ली	3	1.18	
हरियाणा	5	1.10	0.66
ज.और का.	1	0.67	3.07
पंजाब	12	1.74	0.61
राजस्थान	6	1.18	
उ.प्र.	13	1.14	0.46
दक्षिण जोन			
आ.प्र.	18	0.60	0.79
पी ओ वाइजग	2	0.21	
केरल	10	0.52	1.30
कर्नाटक	2	1.05	2.07
तमिलाडु	4	1.58	1.03
पी ओ मद्रास			
पश्चिम जोन			
गुजरात	2	1.69	2.21
पी ओ कांडला	1	1.43	1.79
महाराष्ट्र	7	1.69	1.33
म.प्र.	7	1.15	0.49

यू.सी. जोन			
असम	5	0.40	0.39
पू.उ.सी.	1	0.56	
पूर्व जोन			
बिहार	10	0.41	0.67
उड़ीसा	5	0.45	
पश्चिम बंगाल	5	0.85	1.11
पी ओ कलकत्ता	5		
सिक्किम	--		

नोटः- पंजाब, आ.प्र., बिहार और गुजरात में क्रमशः 9, 12, 8 और 1 साइडिंगों पर प्रहस्तित मात्रा तक सूचना सीमित है।

शुद्धि पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
iv	3	सीमित थी।	सीमित थी। 31 मार्च 1994 को भा.खा.नि. की प्रदत्त पूंजी 969.98 करोड़ रु. थी।
iv	15	पिछले चार..... हुई	पिछले चार वर्षों में अधिप्राप्ति मूल्य और अधिप्राप्ति लागतों में तेजी से वृद्धि हुई परन्तु निर्गम मूल्य आनुपातिक रूप से नहीं बढ़ाया गया।
iv	19	258.36	258.26
vi	7 नीचे से	13.65	12.47
vi	2 नीचे से	123.71	123.72
viii	2	द्वारा वास्तविक	द्वारा उठाई गई वास्तविक
1	2 नीचे से	9.29 लाख	9.21 लाख
10	12	संस्वीकृति में	संस्वीकृति (अगस्त 1991) में
19	5 नीचे से	फरवरी 1979 और अप्रैल 1979	फरवरी 1989 और अप्रैल 1989
20	5 नीचे से	1994	1.7.1994
22	18	जनवरी से	जनवरी 1992 से
27	3 नीचे से	565	-565
31	1	अनुपालन	अननुपालन
34	4 नीचे से	52 देशों	52 केन्द्रों
39	5 नीचे से	21.22% लाख	21.22 लाख
41	14	माइक्रो	मैक्रो
42	7	थे। भा खा नि	थे। 1969 तक 22.93 लाख टन क्षमता अतिरिक्त की गई थी। भा.खा.नि.
44	4 नीचे से	मैदान	पर्वतीय
	3 नीचे से	मैदान 1411.96	पर्वतीय 1441.96
57	8.3 की	तालिका के ऊपर	(करोड़ रु. में)
64	2 नीचे से	भा.नि.	भा.खा.नि.
84	8 नीचे से	103	1.03